लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 18-5-93
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . . . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . . २१५४—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२६३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२६४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य—चर्चा . . . २२६४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६६—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४-९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९—२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९—६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना . . . . . २६३२—३३

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २६३३—३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण २६३६–३७

स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य . . . . . २६३७—३६

सभा का कार्य . . . . २६३६—५८

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २६३६

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन २६५८

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . . २६५६—७६

अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प . २६७६—८१

निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . २६८१—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २६८७—६३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १६६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —
तारांकित प्रश्न संख्या ८१६, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२६, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३६। . . . . . . २६६५—२७१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४ . . . . . . २७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . . . २७२३—४६

स्थगन प्रस्ताव—
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . . २७४६—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय २७५५

१० मार्च, १६६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना २७५६–५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७५७–५८

राज्य सभा से सन्देश २७५८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या २७५९

अनुदानों की मांगें—

विधि मन्त्रालय . . . . २७६०—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . २७९३—९७

अंक २७—मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९—२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . . २८३१—४९

स्थगन प्रस्ताव—

कोचीन में शिपयार्ड . . . . २८४९—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . २८५२—५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना . . . . . . २८५३—५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४—५८

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . २८५८—२९२०

दैनिक संक्षेपिका . . . . २९२१—२४

अंक २८—बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . . २९२५—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . . २९४७—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . . २९५६—७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—
कमाण्डर नानावती की सज़ा का निलम्बन . . . २९७४–७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उनसठवां प्रतिवेदन २९७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९
अनुदानों की मांगें—
शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३
सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४
प्राक्कलन समिति—
छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५
अनुदानों की मांगें—
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०
कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य. . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४–५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६—७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—(धारा ७३ का संशोधन)—श्री हेम राज का—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२—७७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक सभा-वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १४ मार्च, १९६०
२४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे। तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ श्री राम कृष्ण गुप्त।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : जी हां, मैं प्रश्न पूछता हूं।

†एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री अनुपस्थित हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : मन्त्रालय के सभी मन्त्री अनुपस्थित हैं।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मन्त्रालय के सभी मन्त्री अनुपस्थित हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

केन्द्रीय सूचना सेवा

\+

*८१९. { श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सूचना सेवा के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री अ० चं० जोशी) : केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना १ मार्च, १९६० से हो गई है।

423(Ai)LSD—1.

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में भी ।

†अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सच है कि इस नई सेवा की स्थापना हो जाने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन क्रम अभी तक तै नहीं हो पाए हैं । अगर ऐसा है, तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है और इसका फैसला कब तक हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : यह सही नहीं है कि वेतन तै नहीं हुए हैं । जिन लोगों को सरविस की स्केलों से ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी उनकी स्केल किस प्रकार तै की जाए इस बारे में अभी तक निश्चय नहीं हो रहा है लेकिन औरों की स्केल का कुछ सवाल नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, लगभग एक वर्ष पहले इस सम्बन्ध के नियम गजट में प्रकाशित हुए थे और उनके आधार पर सुझाव दिये गये थे । क्या उन सुझावों पर विचार करने के बाद इस सरविस का निर्माण हुआ है, या वह सुझाव अभी तक विचाराधीन है ?

डा० केसकर : इस सरविस के बारे में बहुत काफी सुझाव आए थे और उन सब पर विचार किया गया, बल्कि इसीलिये इसमें काफी देरी हुई । माननीय सदस्य को मालूम है कि ऐसा कोई परमानेंट केडर बनाने के लिये मुख्यतः होम मिनिस्ट्री और पब्लिक सरविस कमीशन की जिम्मेदारी है और वही इस बारे में हमारा मार्ग दर्शन करते हैं । बल्कि उनकी बात ही आखिरी फैसला होती ह । तो यह मामला कई बार उनके पास गया । उनके सुझाव हमको मिले । फिर उनके अनुसार इसमें कुछ फेर बदल किया गया और अन्त में पब्लिक सरविस कमीशन की अन्तिम स्वीकृति के बाद ही यह १ मार्च से जारी की गयी है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : अन्य अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के मुकाबले में केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतन और भत्तों में क्या अन्तर है ?

†डा० केसकर : निश्चित किये गये स्टैण्डर्ड वेतन-क्रमों को ध्यान में रखते हुए ये वेतन क्रम निश्चित किये गये हैं और गजट में जो अधिसूचना प्रकाशित की गई है उसमें विभिन्न वेतन क्रम दिये गये हैं । यदि माननीय मन्त्री चाहें, तो उससे देख सकत हैं ।

डा० रामसुभग सिंह : इस नई व्यवस्था की स्थापना के बाद क्या यह आशा की जा सकती है कि अन्य सभी मन्त्रालयों के भी सूचना सम्बन्धी कार्य इस सेवा के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

डा० केसकर : मैं नहीं समझता कि सूचना यानी इनफार्मेशन या प्रेस के मामले में अन्य मन्त्रालयों के पास कोई अफसर या कोई काम है । इस बारे में अधिकांश काम इस मन्त्रालय में पहले से ही केन्द्रीभूत हैं ।

†श्री जोकीम आल्वा : आधुनिकतम स्थिति क्या है ? क्या केन्द्रीय सूचना सेवा योग्य और परिश्रमी युवकों के लिये खुली रखी गई है जिन्हें विदेश सूचना सेवा में खपाया जाए, क्योंकि विदेश सूचना सेवा में गतिशीलता और आधुनिकतमता की कमी है ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य का विदेश सूचना सेवा से क्या तात्पर्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकीम श्राल्वा : क्या उन्हें विदेश सेवा में खपाने के लिये दरवाजे खुले रखे गये है ?

†डा० केसकर : मेरा विदेश सेवा से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री त्यागी : यह जो तमाम मिनिस्ट्रियां श्राजादी के साथ श्रपने श्रपने तरह तरह के श्रखबार वगैरह बहुत सारे निकाल रही है क्या उन पर भी कुछ कण्ट्रोल इस सरविस का हो जाएगा, या तमाम मिनिस्ट्रीज़ श्राजादी से श्रपने श्रपने श्रखबार श्रलग निकालती रहेंगी ?

डा० केसकर : इस सरविस का श्रखबारों से ऐसा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । बल्कि प्रेस श्रौर पबलिसिटी के सम्बन्ध में जो इस मिनिस्ट्री के श्रफसर इस मिनिस्ट्री के भिन्न भिन्न यूनिट्स में थे उन सब का एकीकरण इस सरविस में किया गया है ।

श्री श्र० मु० तारिक : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सरविस के बनने से बहुत से श्रफसरों की सीनियारिटी पर श्रसर पड़ गया है श्रौर बहुत से श्रफसर जो पहले सीनियर थे वह कुछ श्रफसरों से जूनियर हो गये है ?

डा० केसकर : यह हो सकता है कि कोई श्रफसर किसी छोटे से यूनिट में था श्रौर वहां उसकी खास सीनियारिटी रही हो श्रौर इस सरविस में श्राने के बाद वह किसी श्रौर से कम सीनियर हो गया हो । लेकिन इन सब मामलों में होम मिनिस्ट्री श्रौर पब्लिक सरविस कमीशन के नियमों के श्रनुसार सीनियारिटी निश्चित की जाती है श्रौर उसका श्रनुसरण हमें करना पड़ता है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सरविस उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार कि इण्डियन रेलवे सरविस है जिसमें श्राई० ए० एस० श्रौर श्राई० सी० एस० का कोई कंट्रोल नहीं है श्रौर सारे डिसीशन रेलवे वाले ही करते है या कि यह सरविस श्राई० ए० एस० श्रौर श्राई० सी० एस० के कंट्रोल में रहेगी ?

डा० केसकर : इस सरविस के बारे में गजट नोटिफिकेशन में सब चीजें दी गयी हैं । लेकिन मैं एक दो लाइनों में इस सरविस के बारे में बता देना चाहता हूं ।

> †"मन्त्रालय के विभिन्न एककों में पत्रकारिता व जन सम्पर्क का श्रनुभव रखने वाले श्रधिकारियों को इस सूचना सेवा में शामिल कर लिया गया है ।"

खास काम के लिए ही जो श्रफसर हैं उनको इस केडर में सम्मिलित किया गया है श्रौर इसमें श्रा नहीं सकते ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस योजना को चलाने के लिये कितनी श्रतिरिक्त राशि खर्च होगी ?

†डा० केसकर : इसका श्रनुमान लगाना मेरे लिये सरल काम नहीं है । श्रतिरिक्त खर्च दीर्घकालीन दृष्टि कोण से ही होगा श्रर्थात् सरकार को इन लोगों को पेंशन श्रादि देते समय श्रधिक देना पड़ेगा । इसका हिसाब वित्त मन्त्रालय ने मोटे तौर पर लगाया है किन्तु इस समय मेरे लिये वे श्रांकड़े बताना सम्भव नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था के संबन्ध में श्रन्तिम निश्चय हो चुका है, या यह कि श्रगर इसमें कुछ कठिनाई श्रनुभव हो श्रौर कुछ सुझाव दिये जायें तो उन पर विचार किया जा सकेगा ?

†श्री बी० चं० शर्मा : हम श्राध घण्टे की चर्चा करेंगे।

---

†मूल श्रंग्रेजी में

डा० केसकर : हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को जो इसमें सम्मिलित किये गये हैं उनको अपनी सीनियारिटी की स्थिति के बारे में असन्तोष हो, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है और वह रिप्रेजेंटेशन अपनी टीका के साथ मिनिस्ट्री पब्लिक सरविस कमीशन के पास भेजेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

प्रश्न संख्या ८१८ के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : अब हम तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ लेंगे ।

श्री मनुभाई शाह : मैं आप से और सभा से कुछ मिनट लेट हो जाने के कारण क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी कार क्वीन्जवे के पास भीड़ में फंस गई थी ।

†श्री खुशवक्त राय : होली की भीड़ में ?

†श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मन्त्री तो इस कारण लेट हो गये, परन्तु उनके मन्त्रालय के अन्य मन्त्रियों को क्या हुआ ?

छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग

†*८१८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों को उदारतापूर्वक सहायता देने का मामला किस स्थिति में है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों को ऋण देने की शर्तों और निबंधनों को ढीला करने के प्रश्न पर सतत विचार किया जा रहा हैं और जहां कहीं सम्भव होता है नियमों को सरल या ढीला किया जाता है । अधिकांश राज्य सरकारों ने उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम/नियमों के अधीन ऋण की शर्तों और निबन्धनों को ढीला कर दिया है जिनके द्वारा छोटे उद्योगपति प्रत्याभूति के ७५ प्रतिशत मूल्य पर ऋण ले सकते हैं । २५००० रुपये तक के ऋण के लिये औद्योगिक सहकारी संस्थाओं से २$^1/_2$ प्रतिशत और छोटी औद्योगिक इकाइयों से ३ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है । रिजर्व बैंक के द्वारा ऋण प्रत्याभूति योजना जारी करने के लिये व्यवस्था की जा रही है जिसके द्वारा छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिये संस्थायिक ऋण अभिकरण प्रोत्साहित किये जायेंगे ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि छोटे पैमाने के उद्योगों के उपक्रमों को दिये गये बैंक ऋण की प्रत्याभूति देने के लिये योजना बनाई गई थी। क्या यह तैयार और अनुमोदित हो चुकी है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसे ऋण प्रत्याभूति योजना कहा जाता है । भारत सरकार ने अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक को भेज दिया है । इस योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के सब

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों को लगभग २० प्रतिशत अधिक ऋण मिलेगा, अर्थात् उनका घाटा कम हो जाएगा और उसकी हानि प्रारम्भ में, भारत के २१ जिलों के लिये ७५ लाख रुपये प्रति वर्ष तक केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण में कहा गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने नियम सरल या ढीले कर दिये हैं। मैं उन राज्यों के नाम जानना चाहता हूं।

†श्री मनुभाई शाह : अधिकांश राज्यों ने ऐसा किया है। अभी केवल एक या दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अग्रेतर उदारीकरण स्वीकार नहीं किया। किन्तु अधिकांश ने हमारी सिफारिशें मान ली हैं।

सहायक उद्योग

†*८२०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपक्रमों ने सहायक उद्योग स्थापित किये हैं या करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों की संख्या क्या है और वे किस प्रकार के उद्योग हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर को जिन पुर्जों की आवश्यकता होती है, उन को हमेशा वे देने के लिये तीन छोटे पैमाने की सहायक इकाइयां स्थापित की जा रहीं हैं। इस इकाई के लिये और सहायक उद्योग खोलने की संभाव्यताओं का विचार किया जा रहा है।

मैसर्स इंडियन टैलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के तार बनाना, ट्रांसफर प्रिंटिंग, साइन राइटिंग, बक्से बनाने आदि कुछ कामों के लिये सहायक उद्योग के रूप में काम करने के निमित स्त्रियों के लिये एक औद्योगिक सहकारी समिति बनाई गई है।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, कलकत्ता के लिये दो छोटे पैमाने की सहायक इकाइयां शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली हैं। उन में से एक, बड़ी यूनिट द्वारा तैयार किये औजारों के लकड़ी के पुर्जे बनाएगी और दूसरी जिग, लकड़ी आदि को दीवार आदि और औजार बनाएगी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण से स्पष्ट है कि इस दिशा में बहुत ही कम प्रयत्न किया गया है। क्या सरकारी क्षेत्र के लिये छोटे पैमाने के सहायक उद्योगों के विकास की संभाव्यताओं का अनुमान लगाया गया है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या सक्रिय कदम उठाये गये हैं ? क्या कुछ हिदायतें जारी की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : सबसे पहली बात यह है कि सरकारी उपक्रमों की स्थापना मुख्य उद्देश्य है। सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं के सहायक उद्योगों की स्थापना गौण काम है। इसलिये मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि पहले इन भारी उद्योगों की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं वास्तविक, ठोस, वाणिज्यिक और लाभदायक तरीके पर स्थापित की जाएं। फिर हमने हिदायतें भी जारी की हैं सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं संबंधी संयोजक समिति ने इस आशय का संकल्प पास किया है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बड़े उद्योग को अपने इर्दगिर्द छोटे सहायक उद्योग स्थापित होने में सहयोग देना चाहिये। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की बिभिन्न परियोजनाओं के इर्दगिर्द सहायक उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के लिये १९६०–६१ में २५ लाख रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है।

†श्री मुरारका : क्या ये सहायक उद्योग सरकार द्वारा आरम्भ किये जाएंगे या ये गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को सहायक उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : छोटे पैमाने के क्षेत्र में केवल गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा। सरकार ये सहायक उद्योग स्थापित नहीं करेगी, क्योंकि उनका केवल सरकारी क्षेत्र की बड़े पैमाने की परियोजनाओं से संबंध है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथर : सरकार की इस निश्चित नीति की दृष्टि से कि सहायक उद्योग दलित एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाएं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अभी तक कोई प्रयत्न किया गया है और क्या पिछड़े क्षेत्रों में कोई सहायक उद्योग स्थापित किया जा चुका है अथवा स्थापित किये जाना का प्रस्ताव है ?

†श्री मनुभाई शाह : सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के इर्द गिर्द सहायक उद्योग गौण उद्योगों के रूप में होंगे क्योंकि कर्मचारियों को छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रविधिक परामर्श देने होंगे। देश के पिछड़े क्षेत्रों में सहायक और छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना संबंधी दूसरा प्रश्न बड़ा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। इसलिये पुरी में और हाल में दिल्ली में हुए छोटे पैमाने के उद्योगों के बोर्ड की बैठक में, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, हमने पिछड़े क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर बड़ा जोर दिया है।

†डा० सुशीला नायर : गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ बड़े उद्योग हैं, और ये लोग भी अपने सहायक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

सरकार ने इस उद्देश्य के लिये क्या कार्रवाई की है कि अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए लोग छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में सहायक उद्योग स्थापित करें ?

†श्री मनुभाई शाह : ठीक यही सरकार की नीति है। अत्यन्त महत्वपूर्ण मोटर सहायक उद्योग के बारे में झा समिति के एक बड़े खोजपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभी भी निर्माता छोटे पैमाने की अधिकांश चीजें स्वयं नहीं बनाते। विश्लेषण में कहा गया है कि आज भी सहायक आवश्यकता वाली छा प्रतिशत से अधिक चीजें अधिकांश बड़ी इकाइयों द्वारा खरीदी जातीं हैं और यह हमारी निश्चित राष्ट्रीय नीति है कि जो व्यक्ति बड़ा उद्योग स्थापित करता है वह, यथासंभव, सहायक उद्योग स्थापित न करे।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले ऐसे सहायक उद्योगों को सरकार क्या सहायता देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ८० प्रतिशत ऋण देता है। इंजनीयरी और प्रविधिक योग्यताओं वाले शिक्षित युवकों को नई योजना में ९५ प्रतिशत ऋण दिया जाता है और शिक्षित उपक्रमी को केवल ५ प्रतिशत अपनी जेब से लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रत्याभूति की नई योजना, जो संभवतः छोटे पैमाने के उद्योग के समस्त ऋण संबंधी ढांचे में क्रान्ति ला देगी, जारी कर दी गई है। इसके अलावा सेवा संस्थाओं और औद्योगिक सेवा सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें सहयोग देते हैं।

†श्री नरसिंहन : क्या सरकार ने इस विषय पर उपक्रमियों को परामर्श देने के लिये एक छोटी विशेष समिति बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है?

†श्री मनुभाई शाह : एक समिति इतने बड़े संघानीय देश की सब इकाइयों को परामर्श नहीं दे सकती। हमारे पास ८६ से अधिक विस्तार केन्द्र, और राज्यों में १४ छोटी सेवा संस्थाएं हैं और संभव है कि तीसरी योजना में ३०० औद्योगिक बस्तियां और बहुत से विस्तार केन्द्र होंगे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस तथ्य की दृष्टि से कि मंत्रालय के लगातार प्रयत्न के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग ने सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार नहीं किया है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में क्या सक्रिय कार्रवाई की है और क्या वह सरकारी क्षेत्र में मार्ग दर्शन करने का विचार रखती है।

†श्री मनभाई शाह : पहले तो, मैं इस प्रश्न में अन्तर्निहित इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि देश के बड़े उद्योगों ने सहायक या छोटे पैमाने के उद्योगों आरम्भ नहीं किये हैं। देश में हजारों छोटे पैमाने के उद्योग पनप रहे हैं। यदि छोटे पैमाने और सहायक उद्योगों के मार्ग में कोई बड़ी बाधा है, तो यह कच्चे माल पुर्जों और उसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी है। परन्तु इस समय हमारे समस्त प्रयत्न इस ओर हैं कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं बढ़ें और सहायक उद्योगों, विशेषकर बड़े पैमाने की सब परियोजनाओं से संबद्ध गौण उद्योगों के विकास के लिये अपने आप को तैयार करे।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस आशय के लिये कि बड़े उद्योग अपने पुर्जे छोटे पैमाने के उद्योग से ही लें, कोई वैधानिक या अन्य उपाय करने का विचार है?

†श्री मनुभाई शाह : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और देश की लाइसेंस देने की नीति के अनुसार, हमें पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, किन्तु औद्योगीकरण संबंधी विश्व के अनुभव से पता चलता है कि इसके लिये कानून बनाना उतना लाभदायक नहीं होता जितना कि विकास संबंधी अन्य उपाय करना। इसलिये लाइसेंस देने के विषय में हमारी निश्चित हिदायतें और अनुदेश यह रहे हैं कि छोटे पैमाने के सहायक क्षेत्र में इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।

टिन प्लेटें

†*८२१. श्री मुरारका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिन पलेटें कोटा पाने वालों (कोटा होल्डर्स) को लगातार दी जाती है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या प्लेटें देने से पूर्व यह जांच की जाती है कि ये कोटा पाने वाले (कोटा होल्डर्स) कारखाने चला रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). टिन प्लेटों का आवंटन त्रैमासिक आधार पर फैक्टरियों को उन की अनुमोदित क्षमता के आधार पर किया जाता है। फैक्टरियों को मासिक विवरण देने पड़ते हैं। जो विवरण नहीं भेज पाते, उनके कोटें रद्द कर दिये जाते हैं।

†श्री मुरारका : क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि कुछ फैक्टरियां वास्तव में इन टिन प्लेटों से कोई चीज नहीं बनातीं, बल्कि बहुत अधिक दाम लेकर दूसरे निर्माताओं को कोटा का माल बेच देतीं हैं।

†श्री मनुभाई शाह : शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। डिब्बे बन्द करने वाला उद्योग आज तक बहुत प्रगति पर है और सब कोई अपने कोटा का प्रयोग करना चाहता है। किन्तु कुछ लोग ऐसे हमेशा होते हैं जो माल की कमी की हालत में ऐसा करते हैं और जब हमें ऐसे मामलों का पता चलता है तो हम कड़ी कार्रवाई करते हैं।

†श्री मुरारका : देश में कितनी प्लेटें उपलब्ध हैं और कितनी आवश्यकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमारी वर्तमान आवश्यकता १,५०,००० टन है और हमें ८५,००० से ९०,००० टन तक उपलब्ध होती हैं।

†श्री हेडा : क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि वैधानिक कठिनाई को दूर करने के लिये, कुछ कोटा पाने वाले इन प्लेटों के कोनों को थोड़ा मोड़ देते हैं और उन्हें आगे चला देते हैं कि उन्होंने माल का परिकरण कर दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसा टिन प्लेटों में नहीं होता। ऐसा तो हल्की चादरों की प्लेटों और काली चादरों के मामले में होता है। वे कोनों को मोड़ कर अच्छी चादरों को नुक्स वाले माल के रूप में चलाने का प्रयत्न करते हैं परन्तु जब हमें ऐसे मामलों का पता चलता है तो हम कड़ी कर्रवाई करते हैं।

†श्री पाणिग्रही : क्या सरकार को दिल्ली की टिन-प्लेट संथा और दूसरे कोटा पाने वालों से कुछ राशि वसूल करनी है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का दुर्भाग्य है कि इन सब मूल कच्चे माल की कमी के बारे में लोगों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती हैं।

†श्री पाणिग्रही : मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार को माल के लिये टिन प्लेट व्यापारियों की संथा से कुछ लेना है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस प्रकार की कोई अखिलभारतीय टिन-प्लेट व्यापार संथा नहीं है। किन्तु स्थानीय संगठन अभ्यावेदन करते रहे हैं। मैंने कई बार सभा को बताया है कि इन मालों की बड़ी कमी है इसलिये वे शिकायतें करते हैं।

†श्री मुरारका : कितनी इकाइयों को इन टिन-प्लेटों की आवश्यकता होती है और कितने वास्तव में टिन डिब्बे बनाने के लिये इन का प्रयोग करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : बड़े पैमाने के क्षेत्र में लगभग ३५०, किन्तु छोटे पैमाने के क्षेत्र में बहुत सी इकाइयां हैं।

रेडियो का निर्यात

+

†*८२२. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
{ **श्री पांगरकर** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रेडियो और उसके पुर्जे बनाने में १९५९ के अन्त तक किस हद तक स्वावलंबी हो गया है ; और

(ख) भारत इस मामले में कब तक स्वावलंबी बन जाएगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत रेडियो बनाने में पहले से ही स्वावलंबी है। इसलिये अक्तूबर १९५७ से रेडियो आयात पर बिल्कुल पाबन्दी है। रेडियो की फैक्टरी से निकलने की कीमत का ३५–४० प्रतिशत तक पुर्जों का आयात करने दिया जाता है।

(ख) आशा है कि इन पुर्जों के मामले में भी हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वावलंबी हो जाएंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : आयात किये जाने वाले पुर्जों के निर्माण में शीघ्र स्वालम्बी होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी सब सेवा संस्थाओं को पिछले दो वर्षों से चौकन्ना कर दिया गया है और उन्हों ने छोटे और मध्यम पैमाने के दोनों क्षेत्रों में रेडियो के पुर्जे बनाने में मनोनीत करने की दिशा में अच्छे परिणाम निकले हैं। इसलिये हम ने विश्वास के साथ आशा व्यक्त की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, देश में वल्ब टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप के रेडियो की बढ़ती मांग के बावजूद, हम तीसरी योजना के अन्त तक स्वालम्बी हो जायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सस्ते रेडियो बनाने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ एक दिन इस चर्चा पर विचार किया था और हम वल्ब टाइप तथा ट्रांजिस्टर टाइप दोनों प्रकार के सस्ते रेडियो बनाने के पक्ष में शीघ्र ही निश्चय करने वाले हैं, ताकि हम १५० रु० मूल्य तक सस्ते रेडियो और कम दाम पर रेडियो रिसीवर देश के लोगों को दे सकें।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को विदित है कि ट्रांजिस्टर रेडियो बहुत लोक-प्रिय हो रहे हैं और देश में ऐसे रेडियो बनाने वाला कोई है ? क्या सरकार इस की ओर ध्यान देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चालू वर्ष में, लाइसेंस देने की नीति में हम सब रेडियो रिसीवर निर्माताओं को, जो संख्या में ४९ हैं, २५ प्रतिशत रेडियो ट्रांजिस्टर वाले बनाने की अनुमति देदी है और आशा है अगले वर्ष लगभग एक लाख ट्रांजिस्टर बनाये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या पूरा रेडियो बनाने वाले यूनिटों को या विभिन्न पुर्जे बनाने और परस्पर सहयोग कर लेने वाले यूनिटों को लाइसेन्स देने की नीति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न का अन्तिम भाग नीति है। अर्थात हमारी यह नीति है कि हम देश में ही पुर्जे और सारा ढांचा तैयार करें। परन्तु साधारणतया बड़े पैमाने वाले पुर्जों को जोड़ कर रेडियो बनाते हैं और पुर्जे छोटे पैमाने के तथा सहायक उद्योग से खरीदते हैं। हम इस नीति के आधार पर कार्य कर रहे हैं, और आज कल छोटे पैमाने के निर्माता पुर्जे बनाने लग गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ८२४, श्री रामेश्वर टांटिया अनुपस्थित।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : श्रीमान् जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः इसे लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते, न ही वे प्रश्न पूछने के लिये दूसरे किसी सदस्य को अधिकार देते हैं। यह रोजाना की बात हो गई है। मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा।

स्कूटरों की बिक्री

†*८२५. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूटर खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों ने दिल्ली की स्कूटर फर्मों के पास जो रुपया जमा किया था वह उन फर्मों द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५९ तक नहीं लौटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

जैसा कि १५-१२-५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के संबंध में बताया गया था, सरकार ने स्कूटर निर्माताओं को यह हिदायतें भेज दी हैं, कि पहले लिया गया सारा धन ३१ दिसम्बर, १९५९ तक लौटा दिया जाये। इस के बदले में निर्माताओं ने २२ दिसम्बर, १९५९ को अपने व्यापारियों को इसी आधार पर हिदायतें भेज दीं। अतः दिल्ली के व्यापारी को, जिस के पास लगभग ३६०० आर्डर दर्ज थे, निश्चित तारीख तक सारा धन लौटाना संभव नहीं था। किन्तु फिर भी उस ने तुरन्त कार्यवाही की। उस ने एक परिपत्र छपवाया और इसे सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज कर उस ने उन लोगों से काम के दिनों में काम के घंटों के दौरान किसी भी समय चैक ले लेने के लिये कहा। वह एक दिन में २०० से अधिक पत्र नहीं भेज पाया। जब कुछ पत्र उन के पास वापस आ गये और संबंधित लोगों को, नहीं मिल पाये तो उन्हों ने सब को सूचना देने के उद्देश्य से १ फरवरी, १९६० को समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया।

२३-२-६० को उस व्यापारी से पूछने पर यह मालूम पड़ा कि ८०० व्यक्तियों ने अभी अपने चैक नहीं लिये हैं। कुछ लोगों ने तो उन को यह लिख कर भेजा है कि वे धन वापस नहीं चाहते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली के व्यापारी ने धन को शीघ्रातिशीघ्र वापस करने के लिये जो अनेक उपाय किये हैं उन से सरकार सन्तुष्ट है ।

श्री अ० मु० तारिक : पिछले इजलास में इस सवाल के जवाब में कहा गया था कि दिसम्बर के आखिर तक पैसे वापस कर दिये जायेंगे । लेकिन बहुत से केसेज में यह पैसे वापस नहीं किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या कदम उठायें ।

श्री मनुभाई शाह : पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनका इतनी छोटी सी बात पर बार यह सवाल उठाना बहुत तकलीफदेह होता है । बहुत कुछ पैसा हम ने वापस करवा दिया है । बार उस में कारण भी दिया है । जिन ८०० आदमियों का पैसा अभी वापस नहीं किया गया है, उस का एक्स्प्लेनेशन दिया गया है । वह इतना सन्तोषजनक है कि उस पर और कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : स्कूटरों के लिये लोगों से अग्रिम धन लेने की पद्धति समाप्त करने वाले इस आदेश के बाद क्या सरकार द्वारा ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्कूटर बेचने वालों के पास बहुत से नकली आर्डर दर्ज कर दिये गये हैं और जिन लोगों को वास्तव में स्कूटरों की आवश्यकता है उनको पीछे कर दिया है ताकि उन्हें सालों तक स्कूटर न मिल सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब हमने अग्रिम धन लेना आरम्भ किया तो लोगों ने उस पर आपत्ति की और जब हमने वह प्रथा समाप्त कर दी तो स्वभावत : ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि पहले से धन जमा करने की पद्धति फिर से चालू कर दी जाये । सब बातों का ध्यान करते हुये हमने यह महसूस किया कि स्कूटर जैसी चीज के लिये धन जमा करने की पद्धति व्यर्थ है और इस लिये हमने उसे समाप्त कर दिया है । स्कूटरों की मांग की पूर्ति करने के लिये जैसे कि मैंने सभा के समक्ष विवरण रखे हैं, हमने दो और एककों को लाइसेंस दिये हैं और एक के बारे में और विचार किया जा रहा है और वर्तमान उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से ५० प्रतिशत बढ गया है । हमें आशा है कि देश की मांग अगले दो या तीन वर्षों में पूरी हो जायेगी ।

बर्मा में भारतीय व्यापारी

†*८२९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में कितने भारतीय व्यापारियों की फर्मों का पंजीयन रद्द कर दिया गया है;

(ख) बर्मा सरकार ने उन फर्मो का पंजीयन किस आधार पर खत्म किया है ; और

(ग) क्या उन व्यापारियों ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह बर्मा सरकार से बात चीत करके उनके हितों की रक्षा करे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जहां तक हमें मालूम है, १६९ भारतीय फर्मों का पंजीयन समाप्त किया गया है ।

(क) बर्मा सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकार के कई व्यापारियों के पास केवल आयात लाइसेंस ही थे और वे स्वयं बाहर से माल नहीं मंगाते थे । १९५५ में सभी पंजीकृत आयात करने वालों से विस्तार में उन के व्यापार के बारे में पूछा गया । इस के आधार पर तथा जहां आवश्यक समझा गया वहां और जांच पड़ताल करने के बाद स्थानीय और साथ ही साथ विदेशी फर्मों को गैर-पंजीकृत कर दिया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गैर-पंजीकृत केवल दो भारतीय फर्मों ने अभी तक भारतीय राजदूतावास से इस संबंध में प्रार्थना की है । और संबंधित प्राधिकारियों से उनके मामले के बारे में बातचीत की गई है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उत्तर में यह बताया गया है कि प्रश्नावली के आधार पर कई स्थानीय व विदेशी फर्मों का पंजीयन रद्द कर दिया गया । उन में से १६६ भारतीय हैं । कितनी स्थानीय अथवा बर्मी फर्मों का पंजीयन समाप्त किया गया है ।

†**श्री सादत अली खां** : १६८२ फर्मों में से १,४२६ बर्मी फर्मों का जिन में चीन और यूरोप की लिमिटेड, कम्पनियां भी सम्मिलित हैं, पंजीयन समाप्त किया गया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों ने अपनी कठिनाइयों के बारे में सरकार से कुछ निवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में यू नू से बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कहा था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । रंगून में स्थित हमारे राजदूत को वे प्राप्त हुए हैं और उन पर तदनुसार कार्यवाही की गई है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट मामले का उल्लेख कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री ने यू नू से इस संबंध में बातचीत की है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, यह स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही** : बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों को पंजीयन के लिये ५० रुपये देने पड़ रहे हैं. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब क्यों ?

†**श्री पाणिग्रही** : प्रधान मंत्री स्पष्ट प्रश्न चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मेरे विचार में समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है । कई सालों से सरकार ऐसा कर रही है । माननीय सदस्य को सामान्य प्रश्न नहीं पूछना चाहिये । उन्होंने यू नू के बारे में पूछा । प्रधान मंत्री ने उत्तर दे दिया है और माननीय सदस्य सामान्य प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि बर्मा में भारतीयों को मुख्य कठिनाई अपने ठहरने की अनुमति पत्रों का पुनर्नवीकरण कराने तथा वहां के नागरिक के रूप में अपना पंजीयन कराने में आ रही हैं ? यह शिकायत कई वर्षों से चल रही है । क्या प्रधान मंत्री ने अथवा भारत सरकार ने बर्मा में भारतीयों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये विशेषतः बर्मा की सरकार के साथ कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी बताया है कि उन्हें बर्मा में बदली हुई दशाओं तथा नियमों व विनियमों के कारण कई कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। इन कठिनाइयों को वे ही नहीं सह रहे हैं अपितु विदेशी राष्ट्रजन और बर्मी-राष्ट्र जन भी सह रहे हैं । हम प्रयेक मामले के बारे में बर्मा

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार से बातचीत करते हैं; हम कोई कठिनाई दूर नहीं कर सकते। हमारे राजदूत उस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं और यथा संभव उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : भारतीय राष्ट्रजनों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या भारत सरकार बर्मा सरकार के साथ कोई नया उत्प्रवास करार करना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। एक प्रश्न से प्रत्येक बात उत्पन्न हो सकती है। किन्तु प्रश्न की सीमा के अन्दर ही प्रश्न पूछना चाहिये।

पटसन का मूल्य

†*८३०. **श्री हेम बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिससे पटसन की मंडियों में विशेषत: कलकत्ता की मंडियों में काफी अस्थिरता आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष पटसन पहले से काफी कम मात्रा में आयेगी; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुक़ाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). इस वर्ष पटसन के कम आने की सम्भावना से सट्टा बढ़ जाने के कारण दिसम्बर १९५९ में पटसन का मूल्य यकायक बढ़ता गया। सरकार ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यह आश्वासन देने के लिये तुरन्त कार्यवाही की कि ऐसी शंका करना व्यर्थ है और चालू वर्ष में पटसन की पैदावार इतनी होगी जिससे उद्योग की आवश्कतायें अच्छी तरह पूरी हो जायेंगी। सरकार ने पाकिस्तान से पटसन की कतरनों की २ लाख गाठ मंगाने की भी अनुमति दे दी। तब से मूल्य कम होता जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ब्रिटेन द्वारा पटसन के मूल्य पर ३० प्रतिशत वृद्धि की जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इंगलैंड की सरकार से इसमें कुछ कमी करने के लिये कहा है ? पहले ४० प्रतिशत वृद्धि की जाती थी किन्तु संघ सरकार के अभ्यावेदनों तथा इंगलैंड के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के परिणामस्वरूप इसमें १० प्रतिशत की कमी कर दी गई थी।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस विषय पर अब भी चर्चा चल रही है और इंगलैंड में हमारे राजदूतावास के वाणिज्यिक प्रतिनिधि ने इंगलैंड की सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा की है तथा इस पर अब भी चर्चा चल रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हमारी दरियों की बिक्री के लिये इंगलैंड, अमेरिका व कनाडा में नया क्षेत्र निकल रहा है और यदि हां, तो आवश्यक करघों तथा इसी प्रकार के अन्य सामान करके उन क्षेत्रों में इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पटसन की दरियों के बारे में हाल ही में हमने मंडियों का सर्वेक्षण किया था तथा हमने यह देखने के लिये कानपुर की एक मिल में तीन नये चौड़े करघों के लिये लाइसेंस दिये हैं कि इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये हम किस-किस प्रकार की चीजें तैयार कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अरविन्द घोषाल : पटसन के मूल्य में कमी के बावजूद भी क्या पटसन मिलों को पिछले वर्ष बहुत लाभ हुआ था तथा तैयार किये गये माल पर लाभ का प्रतिशत कच्चे पटसन के मूल्य में वृद्धि के प्रतिशत से कहीं अधिक है ?

†श्री मनुभाई शाह : हिसाब किताब का वास्तविक परीक्षण करने पर यह धारणा सही निकलेगी। पटसन के मूल्य में इतना अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है कि इस प्रकार की तुलना ठीक नहीं होगा ।

†श्री फ० गो० सेन : क्या यह सच है कि कच्ची पटसन का मूल्य ३० से ४० प्रतिशत तक गिर गया है और इस समय मूल्य उत्पादन की लागत से २०–२५ रुपये कम है ? क्या यह सच है कि पटसन मिल संघ पटसन नहीं खरीद रहा है और कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहांतक पटसन की खरीद का सम्बन्ध है, भारतीय पटसन मिल्स संघ तथा उनके कारखानों के पास ३ या ४ महीनों का स्टाक रहता है, जो कि एक सामान्य स्टाक है, हमने स्थिति को संतुलित करने के लिये उनसे एक महीने का स्टाक और खरीदने के लिये कहा है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बात देखते हुये कि भारतीय पटसन मिल्स संघ के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष पटसन का व्यापार सबसे अधिक हुआ है, तो क्या उन करघों को, जिन पर सील लगा दी गई थी, फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उत्पादन बढ़ सके ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने स्वयं ही निर्यात संवर्धन परिषद् की बैठक में भारतीय पटसन मिल्स संघ को सील लगे करघों को फिर से चालू करने की सलाह दी थी। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि १२.५ प्रतिशत करघों पर शील लगाई गई थी और अब केवल १० प्रतिशत रह गये हैं। यह कहना कठिन है कि वे और करघों को चालू करेंगे या नहीं। किन्तु सरकार ने भारतीय पटसन मिल्स संघ से इस सम्बन्ध में बातचीत की है और मेरे ख्याल में वे इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पटशन की चीजों की बिक्री बहुत बढ़ गई है। क्या यह स्थाई है और यदि हां, तो इतनी वृद्धि के क्या कारण हैं और क्या इसको आगामी वर्ष में कायम रखा जायेगा ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह बताना कठिन है कि इतनी बिक्री हमेशा होती रहेगी। पटसन के माल को बाहर भेजने के मामले में हम गारण्टी के साथ कुछ नहीं कह सकते। विश्व की मंडियों में इसकी प्रतियोगिता बराबर बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में जितना माल बाहर भेजा जा रहा है उसकी मात्रा कायम रखने के लिये हम पूरी कोशिश करेंगे।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : गत वर्ष जो यह प्रस्ताव तय किये गये थे कि सरकार के खरीद संगठनों और सहकारी समितियों द्वारा पटसन खरीदा जायेगा, उनका क्या हुआ ? क्या वह योजना भी सक्रिय रूप से चल रही है ताकि मूल्य स्थिर रखे जा सकें ?

†श्री लाल बहादुरशास्त्री : पिछले साल मूल्य काफी गिर गये थे अतः राज्य व्यापार निगम ने भी इस क्षेत्र में पदार्पण किया। इस वर्ष मूल्य उचित हैं और उत्पादक को अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। उत्पादकों की सहायता करने के लिये हमने बिहार, बंगाल, आसाम आदि राज्यों की सरकारों को सहकारी समितियां और विशेषतः शीर्ष सहकारी समितियां संगठित करने की सलाह दी हैं तथा उनसे इसके लिये निवेदन भी किया है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में चीन में पटसन की जो औसत खपत हुई है उससे दस गुनी पटसन मंगाने के लिये चीन ने लंदन की मंडी को बड़े बड़े आर्डर दिये हैं और यदि हां, तो इस मांग की काफी अंश में पूर्ति करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

†श्री मनुभाई शाह : मेरे विचार में सभा से यह प्रश्न पूछा गया था और हमने सभा को बताया था गत वर्ष जो खरीद की गई थी वह उससे पिछले वर्षों में की गई खरीद के मुकाबले में कहीं अधिक थी और चालू वर्ष में मांग और भी अधिक बढ़ सकती है ।

†श्री फ० गो० सेन : मैं यह समझता हूँ कि मिलों से ४-५ महीने का पटसन का स्टाक भरने के लिये कहा गया था । अब उनके स्टाक की क्या स्थिति है ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसा हमेशा रहता है । मैंने सभा को बताया है कि सामान्य नीति के रूप में भारतीय पटसन मिल्स संघ सरकार के परामर्श से ४-५ महीने का स्टाक रख रहा है । उत्पादक की और सहायता करने के लिये हमने एक महीने का स्टाक और रखने के लिये कह दिया है ।

मध्यम तथा लघु उर्वरक कारखानें

+
†*८३४. श्री रामी रेड्डी :
श्री वामानी :
श्री सं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने मध्यम तथा लघु उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इन कारखानों की स्थापना के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां से प्राप्त हुये हैं ; और

(ङ) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ). मेसर्स ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें लाइसेंस दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामी रेड्डी : इस कारखाने की क्षमता क्या है और इस की अनुमानित लागत क्या है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस में ५१,४८० टन अमोनियम फासफेट के रूप में ८,२५० टन नाइट्रोजन तैयार किया जायेगा ।

†श्री रामी रेड्डी : यह बात देखते हुए कि मध्यम तथा लघु उर्वरक कारखानों की स्थापना से उर्वरकों का ठीक समय पर वितरण हो सकेगा, यातायात का खर्च बचेगा तथा अन्य लाभ भी होंगे क्या सरकार सारे देश में उन की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : गैर-सरकारी क्षेत्र से लघु तथा मध्यम अथवा बड़े उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर सरकार बड़ी सहानुभूति के साथ विचार करेगी ।

†श्रीमती रेणुका राय : उर्वरकों की इतनी अधिक मांग को देखते हुए तथा यह भी देखते हुए कि छोटे उर्वरक कारखानों से जल्दी लाभ होगा, भारत सरकार ने लघु तथा मध्यम उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से क्या किया है ?

†श्री सतीश चन्द्र: हम यथासंभव अधिक से अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये बड़े आतुर हैं और राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से जो कोई भी प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस का स्वागत किया जायेगा ।

†श्रीमती रेणुका राय : मैं यह जानना चाहती थी कि इस संबंध में ठीक कार्यवाही क्या की गई है । क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव किया है कि यदि राज्य सरकारें इन कारखानों को चालू करेंगी तो उन्हें इतनी सहायता दी जायेगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के साधनों के बारे में योजना में बता दिया जाता है । फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज, त्रावनकोर राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है । आन्ध्र और मैसूर में उर्वरक के उत्पादन के लिये ऐसे कारखाने हैं । दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है । यदि राज्य सरकार उस में भाग लेना चाहती है, तो हम उस का स्वागत करेंगे । हम उन से ऐसा करने के लिये कह रहे हैं ।

†श्रीमती रेणुका राय : योजना में कितना उपबन्ध किया गया है ? यह कहना कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, पर्याप्त नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या विशेष योजनायें भेजी जाती हैं ? अगले वर्ष अथवा इस वर्ष के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, दूसरी पंचवर्षीय योजना में फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्ज़, त्रावनकोर के विस्तार का उपबन्ध किया गया था । इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना विचाराधीन है । आन्ध्र प्रदेश सरकार को हाल में अपने राज्य में एक बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है जिस की क्षमता ८०,००० टन नाइट्रोजन की होगी । किसी अन्य प्रस्ताव का भी स्वागत है किन्तु यह तो राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह इस बात को योजना आयोग के समक्ष रखे और उस के लिये धन मंजूर करा ले ।

†श्री सै० अ० मेहदी : इस समय जो कारखाने हैं और जो बड़े उर्वरक कारखाने स्थापित हो रहे हैं क्या उन से हमारी उर्वरक की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ? यदि नहीं तो मध्यम और छोटे उर्वरक कारखानों की स्थापना में क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि निश्चित नाइट्रोजन की १२ लाख टन मात्रा आवश्यक होगी। योजना आयोग इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना में १० लाख टन उर्वरक उत्पादन करने पर विचार कर रहा है जिस में से सरकारी क्षेत्र में कुल ८,००,००० टन के उत्पादन के लिये धन का उपबन्ध किया जा रहा है और २,००,००० टन की शेष मात्रा का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र पर अथवा राज्य उपक्रमों पर छोड़ दिया जायेगा।

†श्री आचर : माननीय उपमंत्री ने बताया कि गैर-सरकारी क्षेत्र से एक आवेदन प्राप्त हुआ। जब उर्वरकों की इतनी अधिक मांग है तो क्या कारण है कि गैर-सरकारी क्षेत्र से और लोग आगे नहीं आ रहे हैं और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : जैसाकि मैं ने बताया है, ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज़ लिमिटेड की ओर से एक लघु कारखाने के लिये एक आवेदनपत्र आया था और उसे स्वीकार करते हुए कारखाने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। हम केवल गैर-सरकारी उपक्रमों को ही सुझाव भेजने के सम्बन्ध में कह सकते हैं। यदि उन की ओर से कोई सुझाव नहीं आता तो उस स्थिति में भी हमें उन्हीं को प्रोत्साहित करना होगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में केवल एक ही आवेदन पत्र क्यों आया है ? क्या गैर-सरकारी फर्मों को इस सम्बन्ध में किन्हीं विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

†श्री सतीश चन्द्र : बड़े पैमाने के कारखानों के लिये लगभग २५ करोड़ से ३० करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और गैर-सरकारी फर्मों को अभी तक इस बात के लिये राज़ी नहीं किया गया है कि वे उर्वरक फैक्टरियों की स्थापना के लिये इतनी राशि लगायें। छोटी फैक्टरियां सामान्यतया लाभप्रद सिद्ध नहीं होती। बड़े पैमाने की फैक्टरियों की स्थापना के बाद छोटी फैक्टरियां केवल किन्हीं विशेष स्थितियों में ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। और गैर-सरकारी उद्योगपति इन फैक्टरियों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†श्री गोरे : आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त और किस किस राज्य ने उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट की है ?

†श्री सतीश चन्द्र : जहां तक नाइट्रोजन से तैयार होने वाले उर्वरक का सम्बन्ध है, इस बारे में और किसी भी राज्य ने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की है, परन्तु जहां तक सुपर फास्फेट का संबंध है, वे तो बहुत से राज्यों में हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

†श्री थानु पिल्ले : छोटे पैमाने की फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी होती है और उस पर कुल कितनी लागत आती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ एक नाइट्रोजिनियस उर्वरक फैक्टरियों की क्षमता ७०,००० टन है, कुछ की ८०,००० टन है, कुछ की ६०,००० टन और कुछ की इस से भी अधिक है, ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज़ लिमिटेड ने जिस फैक्टरी के सम्बन्ध में सुझाव दिया है उस की क्षमता ८२५० टन की है। यह एक छोटे पैमाने की फैक्टरी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री तिरुमल राव : क्या सरकार ने गैरसरकारी फर्मों पर इस क्षेत्र में आने पर उत्पादन लागत, लाभ तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में कोई शर्तें लगा रखी हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : नहीं ऐसी बात नहीं है। पर हां, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा एक उर्वरक 'पूल' चलाया जा रहा है और सम्पूर्ण नाइट्रोजीनियस उर्वरक को उस 'पूल' में जमा कराना पड़ता है ताकि इसे सारे देश में बांटा जा सके। बस और कोई शर्त नहीं है। अब उन का काम है कि वे इस बात पर विचार कर लें और अपनी योजनाएं प्रस्तुत करें।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मेसर्स पैरी एण्ड कम्पनी द्वारा विजयवाड़ा में जो फैक्टरी स्थापित की जा रही है, उस पर अनमानतः कितनी लागत आयेगी। क्या उसे कुछ विदेशी मुद्रा भी आवंटित की गयी है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस पर कुल ३ से ४ करोड़ रुपयों तक खर्च आयेगा और लगभग ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा दी जायेगी।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : माननीय मंत्री ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि एक फैक्टरी के लिये लगभग २५ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। क्या मध्यम पैमाने की फैक्टरी के लिये भी इतनी राशि की आवश्यकता होगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : ७०,००० टन नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता वाली एक उर्वरक फैक्टरी के लिये लगभग २५ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी। जहां तक मेसर्स पैरी एण्ड कम्पनी की योजना का सम्बन्ध है, उस पर केवल तीन चार करोड़ रुपयों की पूंजी लगाई जायेगी।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये जितनी राशि निर्धारित की गई थी, उस का उपयोग कर लिया गया है ; और यदि नहीं, तो कितनी राशि शेष रहती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन निर्धारित सभी योजनायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं और उन्हें चलाया जा रहा है। आशा है कि १९६२ के अन्त तक उन सभी फैक्टरियों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। उन के लिये निर्धारित सम्पूर्ण राशि को इस्तेमाल किया जा रहा है।

वायदा बाजार आयोग

\+

†*८३५. { श्री पु० र० पटेल :
श्री फतह सिंह घोड़ासर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदा बाजार आयोग ने बम्बई तिलहन तथा तेल एक्सचेंज बोर्ड की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया था और बोर्ड के सचिव द्वारा अपने कार्य के प्रति की जाने वाली उपेक्षा के सम्बन्ध में हुए विचार-विमर्श में भी भाग लिया था ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस समय बोर्ड अपने निर्णयों को रिकार्ड करने वाला था उसी समय प्रतिनिधि सदस्य ने बोर्ड के सामने एक पत्र पेश कर दिया और इस प्रकार से बोर्ड के लोकतांत्रिक कार्यसंचालन में बाधा डाल दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):(क) जी, हां। वायदा बाज़ार आयोग के एक सदस्य ने, जो कि बम्बई तिलहन तथा तेल एक्सचेंज बोर्ड में सरकार की ओर से नाम-निर्देशित है, उस बैठक में भाग लिया था।

(ख) वायदा बाज़ार आयोग द्वारा जारी की गयी एक हिदायत उस सदस्य द्वारा बोर्ड की बैठक में बोर्ड के प्रधान (प्रेसीडेंट) को दी गयी थी। इसलिए बोर्ड के लोकतांत्रिक कार्य-संचालन में बाधा का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री पु० र० पटेल : एक्सचेंज बोर्ड एक लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी निकाय है और उसके प्रतिष्ठान-ज्ञापन-पत्र तथा अन्तर्नियमों की मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती है। अन्तर्नियमों के खण्ड ७६ के अधीन बोर्ड को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह एक्सचेंज के सचिव या किसी भी पदाधिकारी को मुअत्तिल या बरख्वास्त कर सकता है या दण्ड दे सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार वायदा संविदा विनियमन अधिनियम, १९५२ की धारा २८ के अधीन सरकार ने शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने खण्ड २८ के अधीन यह शक्ति कैसे प्राप्त की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार के निदेश जारी कर सकती है?

†उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्नों का इकट्ठे ही कैसे उत्तर दिया जा सकता है?

†श्री पु० र० पटेल : अच्छा, तो मैं केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार संविधान के अधीन एक लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी निकाय को इस प्रकार के निदेश जारी कर सकती है?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप केवल उनका मत पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है।

†श्री पु० र० पटेल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी आयोग द्वारा इस प्रकार का निदेश जारी किया जा सकता है?

†श्री सतीश चन्द्र : आयोग ने अधिनियम द्वारा सौंपी गयी शक्ति के अधीन ही यह निदेश जारी किया था। यह संथा उन १७ संथाओं में से एक है जो कि देश में तेल और तिलहन के सम्बन्ध में वायदा बाज़ार का व्यापार चलाती हैं। उन में कई प्रकार की गड़बड़ पकड़ी गयी थी। सचिव ने आयोग के एक निदेश को चार दिन तक अपने पास रोके रखा। अतः इस एक्सचेंज के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) ने स्वयं ही एक जांच समिति की नियुक्ति की थी और वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त जानकारी कुछ एक लोगों को तो गैर-सरकारी रूप से पता लग गयी थी और शेष लोगों को ज्ञात नहीं हो सकी। वह एक अत्यन्त गंभीर मामला था जिस में बहुत से व्यापारियों को पर्याप्त मात्रा में लाभ और हानि हो सकती थी और इसीलिए वायदा बाज़ार आयोग ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और वह शक्ति अधिनियम के अनुकूल ही थी।

†श्री त्यागी : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने हाल ही में वायदा बाज़ार व्यापार के सम्बन्ध में कुछ हिदायतें जारी की थीं जिन में यह कहा था कि कोई भी वायदा व्यापार करने से

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पहले कुछ प्रतिशत राशि जमा करा दी जाया करे । क्या इसी आर्डर को उस सचिव ने अपने पास चार दिन तक दबाये रखा था और कुछ एक को चुपचाप यह जानकारी दे दी थी और उन्होंने वायदा बाज़ार के बहुत से अंश खरीद कर अपार धन राशि प्राप्त कर ली थी ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस में अंश खरीदने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इस में मूंगफली के तेल के व्यापार का प्रश्न निहित है । माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि सरकार की ओर से कुछ प्रतिशत राशि निर्धारित की गयी थी । मूंगफली के तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही थीं, उस समय वायदा बाज़ार आयोग ने सभी एक्सचेंज केन्द्रों से यह कहा था कि वे पहले से ऊंची सीमा निर्धारित कर दें । उस सूचना को सन्था के कुछ पदाधिकारियों ने चार दिनों तक रोके रखा था ।

†श्री नथवानी : हमें यह बताया गया है कि इस सम्बन्ध में एक विशेष समिति नियुक्त की गयी थी । क्या उस समिति द्वारा की गयी जांच के परिणाम सचिव के अतिरिक्त किसी डायरेक्टर को भी दोषी ठहराया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस सम्बन्ध में अभी तक जांच की जा रही है । और मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि वायदा बाज़ार आयोग अत्यन्त सुन्दर तथा सुव्यवस्थित रूप से काम करता रहा है । मैंने स्वयं भी मामले की जांच करने का प्रयत्न किया है और मैं अनुभव करता हूं कि यह आयोग अभी तक विधि के अनुसार ही काम करता रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी यह आयोग यदि किसी डायरेक्टर या किसी और पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो कार्यवाही न्यायसंगत ही होगी ।

†श्री हेडा : क्या यह सच है कि जिस निरीक्षण पदाधिकारी ने बैठक में भाग लिया था, उसने बैठक में होने वाली चर्चा में भाग लेने के बाद और बोर्ड द्वारा अस्थायी निर्णय कर लिये जाने के बाद यह पत्र दिया था; और यदि हां, तो वह निदेश एक्सचेंज के पास पहले क्यों नहीं भेजा गया था ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि वायदा बाज़ार आयोग के निरीक्षण पदाधिकारी ने उस बैठक में भाग लिया था । परन्तु बैठक से पहले ही इस प्रकार की बातें चल रही थीं कि उस सचिव को, जिस ने सरकारी घोषणा को अपने पास ही छिपाये रखा था, बैठक में अपराध से मुक्त कर दिया जायेगा । वास्तव में निदेशकों (डायरेक्टर्स) में से कुछ एक व्यक्ति तो उस सचिव को दण्ड देने के पक्ष में थे और कुछ उसे क्षमा कर देने के पक्ष में थे । इस पदाधिकारी ने सभी डायरेक्टरों को इस बात के लिए मनाने का यत्न किया कि सचिव की ओर से किया गया कार्य पूर्णरूपेण अनुचित कार्य है और इसलिए सचिव को दण्ड दिया जाना चाहिए । क्योंकि उसे दोषमुक्त कर देने के सम्बन्ध में कुछ बातें हो रही थीं, इसलिए वायदा बाज़ार आयोग ने उस पदाधिकारी से विशेष रूप से कहा था कि बैठक में विपरीत निर्णय होने पर यह निदेश इस बैठक में ही हवाले कर दिया जाये ।

†श्री त्यागी : क्या यह सच है कि कुछ एक डायरेक्टरों ने स्वयं ही बहुत सा वायदा बाज़ार व्यापार किया है और इस में बहुत सा रुपया कमाया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब उक्त जानकारी अन्य लोगों को दे दी गयी और उन्हें न मिल सकी तो इससे उन्हें बड़ी हानि हुई है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सम्भव है कि माननीय सदस्य का कहना सच हो, परन्तु मेरा उन से अनुरोध है कि वे अभी इस बारे में अपना कोई निर्णय न दें क्योंकि अभी इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैसूर में मोटर साइकल फैक्टरी

†*८३७. { श्री शिवनंजप्पा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में एक मोटर साइकल फैक्टरी स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक चैकोस्लावाकिया फर्म के सहयोग से मैसूर में एक मोटर साइकल फैक्टरी स्थापित करने की योजना को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उसके ब्योरों के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

†श्री शिवनंजप्पा : उस कारखाने की उत्पादन शक्ति कितनी होगी और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : अन्तिम प्रावस्था में उत्पादन-क्षमता लगभग १५,००० मोटर साइकलों की होगी। प्रारम्भ में यह केवल ६००० मोटर साइकलें बनायेगी। कुल लागत दो से तीन करोड़ रुपयों तक की होगी।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या बाहिर से सभी पुर्जे मंगवा कर यहां पर जोड़ने की बजाय कुछ एक पुर्जों का यहां पर भी निर्माण किया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : गत तीन वर्षों से यह नीति रही है कि किसी भी औद्योगिक उपक्रम को केवल बाहर से पुर्जे मंगवा कर यहां पर जोड़ने की इजाज़त न दी जाये। पुर्जों का निर्माण भी यहीं पर किया जाये और इस कारखाने के सम्बन्ध में हम ने यही योजना बनायी है कि तीन वर्षों की अवधि में मोटर साइकलों का पूर्णरूपेण भारत में ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाये।

†श्री मुहम्मद इलियास : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में आटो साइकलों और मोटर साइकलों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ एक फर्मों की ओर से आये हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध मैसूर से है, पश्चिमी बंगाल से नहीं।

प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात

†*८३८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भारत प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए विदेशों में मंडियां (मार्केट) खोजने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद् ने मिस्र, अदन और सीरिया के सम्बन्ध में मार्केट सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रकाशित करायी हैं।

(ग) हमारे प्रकाशित व्यापारिक आंकड़ों में प्लास्टिक वस्तुओं को अलग रूप से नहीं दिखाया जाता। प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद् पत्तनों से प्राप्त होने वाली दैनिक सीमा शुल्क सूचियों से इस सम्बन्ध में निर्यात सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित कर रही है। इन आंकड़ों से यही प्रतीत होता है कि १९५९-६० के पहले दस महीनों में लगभग ६२ लाख रुपयों की प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात किया गया था जबकि १९५५-५६ में ७ लाख रुपयों की वस्तुओं का निर्यात किया गया था।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जन तीन देशों में प्लास्टिक की वस्तुओं के लिये मंडियां खोजी जा रही हैं, क्या उन के अतिरिक्त अन्य देशों में भी मंडियां ढूंढी जा रही हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हमारी प्लास्टिक की वस्तुएं पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों को भेजी जा रही हैं। गत वर्ष इन तीन देशों में नयी मंडियां खोजने का यत्न किया गया है क्योंकि इस बात के संकेत मिल रहे थे कि इन देशों में भी वस्तुएं बेची जा सकती हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्लास्टिक की इन वस्तुओं के निर्यात पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रखा जाता है; और यदि हां, तो किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ एक लोगों ने यह शिकायत की है कि विदेशों को भेजा गया सामान घटिया दर्जे का होता है, और यदि हां, तो क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास भी इस प्रकार की कोई शिकायत आई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अधिक प्लास्टिक वस्तुओं का निर्यात 'केलेन्डरिंग प्लांट्स' (बेलनों से दबा कर जमाने वाले कारखानों) से किया जाता है और संभव है कि किसी विशेष माल के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई हो। मुझे इस बारे में इस समय निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। परन्तु मेरा अनुमान है कि अधिक शिकायतें नहीं आई हैं क्योंकि निर्यात दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

रेयन तथा कृत्रिम [फाइबर] का निर्यात

†*८३९. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में रेयन तथा कृत्रिम फाइबर के निर्यात में कमी हो गई थी ;

(ख) क्या इन का उत्पादन १९५८ में २८५० लाख गज से बढ़ कर १९५९ में ३२८० लाख गज तक हो गया था ; और

(ग) निर्यात में कमी होने के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) रेयन और कृत्रिम फाइबर के निर्यात की अनुमति नहीं है, परन्तु यदि प्रश्न कपड़ों के बारे में पूछा गया है, तो १९५८ में उस के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई थी।

(ख) उत्पादन में वृद्धि हुई है, १९५७ में २८५० लाख गज का उत्पादन हुआ था, १९५८ में ३२८० लाख गज़ का और १९५९ में ४००० लाख गज़ का उत्पादन हुआ था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या इस की किस्म में गिरावट आ गई है ; और यदि हां, तो क्या सरकार इस के सुधार के सम्बन्ध में कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस में अब सुधार हो रहा है। नयी फैक्टरियां और नयी मशीनें चालू हो गयी हैं और निर्यात भी बढ़ रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कपड़ा मिलों का भविष्य निधि में अंशदान

†*८२३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कपड़ा मिलों ने अभी तक भविष्य निधि में अपने अंश अदा नहीं किये हैं, उन के मामलों के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) दिसम्बर, १९५९ और जनवरी, १९६० में उन से और कितनी राशि वसूल हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १११ कपड़ा मिलों में से, जिन के विरुद्ध १९९.५३ लाख रुपयों की राशि की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की गई थी। अभी तक ५३ मिलों ने ५५.१० लाख रुपयों की बकाया रकम चुकाई है। शेष ५८ मिलों के विरुद्ध कार्यवाही चालू है।

(ख) दिसम्बर, १९५९ में ७.१८ लाख रुपये जनवरी, १९६० में १७.६३ लाख रुपये।

भारतीय राजनयिक मिशन

†८२४. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशन उन देशों में चीनी सरकारों के हितों की देख भाल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मिशनों द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यों का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). वास्तव में तो हम किसी भी देश में चीनी हितों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, परन्तु एक विशेष मामले के रूप में और १९५५ में अमरीकी तथा चीनी सरकारों द्वारा की गई संयुक्त प्रार्थना के प्रत्युत्तर में हम ने अमरीका में इच्छुक चीनी राष्ट्रजनों को चीन वापिस भेजने के कार्य में दोनों सरकारों की सहायता करना स्वीकार कर लिया था ।

अम्बर चरखा

†८२६. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को कुल कितने अम्बर चरखा केन्द्र भारत में काम कर रहे थे ; और

(ख) क्या ऊन कातने के लिये कोई अम्बर चरखा बनाया गया है अथवा बनाया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गयी है ।

विवरण

३१ दिसम्बर, १९५९ को ३२३८ उत्पादन केन्द्र, प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिये ६१ विद्यालय, बढ़इयों को ट्रेनिंग देने के लिये १७ विद्यालय तथा अम्बर चरखों का निर्माण करने के लिये १०८ बड़े तथा ४८५ छोटे सरंजाम कार्यालय चल रहे थे । इन के अतिरिक्त कतवारों को ट्रेनिंग देने के अनेक केन्द्र हैं । इन केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कतवारों को पूर्णतः विकेन्द्रित आधार पर ट्रेनिंग दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

†*८२७. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में कुछ दलों को उत्पादिता संबंधी प्रशिक्षण के लिये विदेशों को भेजा जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का चुनाव किस-किस व्यवसाय में से किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]

पंजाब में निष्क्रांत भूमि

†*८२८. { श्री दलजीत सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनावंटित निष्क्रान्त भूमि को पंजाब सरकार को बेच देने की दृष्टि से उस के निरीक्षण और कीमत आंकने के लिये बनाई गई समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार को लगभग ४७,००० एकड़ बंजर कदीम निष्क्रान्त भूमि का क्षेत्र ५ रुपये प्रति एकड़ और लगभग ३६,००० एकड़ गैर मुकीन निष्क्रान्त भूमि १०० रुपये के प्रतीक-मूल्य पर हस्तांतरित कर देने का निश्चय किया गया है ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम[1]

†*८३१. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के १००० कर्मचारियों ने ६ जनवरी, १९६० को प्रबन्धकों के साथ अपने पांच महीने से चल रहे विवाद के निबटारे के लिये एक मध्यस्थ की नियुक्ति की सिफारिश की थी ; और

(ख) अधिकारियों ने उन की मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन उपक्रम की क्रियान्वय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें विचार के लिये दिल्ली परिवहन के पास भेज दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*८३२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुछ मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपनी देय राशियों का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मालिकों का विवरण क्या है ;

(ग) उन्होंने कितनी राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ३१ दिसम्बर, १९५९ को गैर-सरकारी क्षेत्र के २१९ संस्थापनों के लगभग १,८६,००० रुपये और सरकारी क्षेत्र के २० संस्थापनों से लगभग ३,०६,००० रुपये बकाया थे ।

(घ) जहां भी आवश्यकता हुई है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Delhi Transport Undertaking.

छपाई के कागज का संभरण

†*८३३. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों के संघों अथवा सहकारी समितियों को नियमित रूप से छपाई के कागज (अखबारी कागज को छोड़कर) के कोटे देती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन संगठनों को विदेशी और भारतीय छपाई का किस-किस किस्म का कागज मंजूर किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार का छपाई का कागज सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से कहीं अधिक कीमत पर चोर-बाजार के भावों पर बेच दिया जाता है ; और

(घ) पुस्तकों एवं पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों के लिये छपाई के कागज के उचित संभरण की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कागज के वितरण पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। फिर भी, कागज बनाने वाले १९५७ के खरीद के भावों पर कागज का संभरण करने को राजी हो गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने कागज उद्योग संबंधी प्रश्नों को १-९-५८ को प्रशुल्क आयोग के सुपुर्द किया था और इन वस्तुओं के उचित मूल्यों के बारे में पूछ-ताछ करने और अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। आयोग ने इस मामले की जांच करने के पश्चात् विभिन्न किस्मों के उचित मूल्यों के संबंध में सिफारिश करते हुए जून १९५९ में अपनी रिपोर्ट दे दी। इन सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और ५-१२-१९५९ को प्रकाशित सरकारी संकल्प द्वारा स्वीकार कर नये मूल्यों को १-१-६० से लागू कर दिया। प्रशुल्क आयोग के रिपोर्ट और संकल्प की प्रतियां ७-१२-१९५९ को सभा-पटल पर रख दी गयीं थीं। उपर्युक्त के अलावा, मांग और संभरण के बीच का अन्तर पूरा करने के लिये भारत का राज्य-व्यापार निगम हाल ही में २५,००० टन कागज का आयात कर रहा है और यदि आवश्यकता हुई तो और भी अधिक परिमाण का आयात किया जायगा।

उपर्युक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप बाजारों में कागज के संभरण की स्थिति में सुधार के चिह्न दृष्टिगोचर भी होने लगे हैं और यह आशा की जाती है कि इससे पुस्तकों तथा पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों को भी कागज मिलने में सहूलियत हो जायगी।

दक्षिण भारत में सूत के भाव

†*८३६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में सूत के भावों में कुछ वृद्धि हो गयी है जिसका हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अगर उनके संबंध में कुछ कार्यवाही की गयी हो तो वह क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) अतिरिक्त रुई के आयात की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि रुई के भावों में वृद्धि को कम किया जा सके और मिलें सूत का अधिकतम उत्पादन कायम करने में समर्थ हो सकें। इस मसले पर वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा कर ली गयी है और दक्षिण की कताई मिल इस बात के लिये राजी हो गयी हैं कि यदि भाव घट कर उचित स्तर तक न आये तो वे उपयुक्त स्थानों पर अपने डिपो खोल देंगी।

अनिवार्य बचत योजना

†*८४०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या योजना मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य बचतों संबंधी प्रश्नों का अध्ययन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख) अध्ययन अभी चल रहा है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*८४१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे उद्योगों के संगठन द्वारा तैयार किये गये समान्य उत्पादन कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उसने क्या सफलतायें प्राप्त की हैं ; और

(ख) उसे और भी प्रभावपूर्ण बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

छोटे उद्योगों के संगठन ने जिस सामान्य उत्पादन कार्यक्रम पर विचार किया था उसकी मुख्य विशेषतायें ये हैं :—

१. उत्पादन के कुछ क्षेत्रों का आरक्षण और सीमांकन ;

२. बड़े पैमाने वाले क्षेत्र की क्षमता को न बढ़ने देना ;

३. छोटे और बड़े पैमाने वाले क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा, कुछ ऐसी वस्तुयें रिजर्व की जा चुकी हैं और की जा रही हैं जिन्हें संभरण तथा निबटान के महानिदेशक केवल छोटे उद्योगों से ही खरीदेंगे।

मोटरों की बैटरियां और रेडियो रिसीवर बनाने वाले बड़े पैमाने के कारखानों को कतई विस्तार नहीं करने दिया गया है जबकि इन वस्तुओं का निर्माण करने वाले छोटे पैमाने के कारखानों को हर प्रकार की सहायता दी गयी है।

साइकिलें जोड़ने और सीने की मशीनों के निर्माण के लिये बड़े और छोटे पैमाने वाले, दोनों क्षेत्रों के लिये लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं।

सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित करने संबंधी ब्योरा तैयार होना अभी शेष है।

कलकत्ते के चीनियों द्वारा चीनी आक्रमण की निन्दा

†*८४२. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० गं० देब :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के चीनी निवासियों के कुछ संघों ने हाल ही में हुई एक प्रतिनिधि बैठक में कड़े शब्दों में भारत में चीनी आक्रमण की निन्दा की है और इस बात को जोर देकर कहा है कि "इस सीमा-विवाद में हम पूर्णतः भारत की जनता और सरकार के साथ हैं" ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार को भेजी गयी है; और

(ग) ये संघ कितने प्रतिशत चीनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह ज्ञात नहीं है कि ठीक-ठीक ये कितने प्रतिशत चीनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जूट की वस्तुयें

†*८४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों से जूट के सामान की निकासी दिसम्बर, १९५९ के ९९,०२७ टन से बहुत कम हो कर जनवरी १९६० में ७३,०८६ टन रह गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, हां।

(ख) कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि जनवरी, १९६० में कम निकासी मांग में कमी हो जाने के कारण हुई थी, उत्पादन में कमी के कारण नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जनता होटल का निर्माण

†*८४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जनता होटल के निर्माण के संबंध में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए एक आरम्भिक प्राक्कलन तैयार किया है जिस के संबंध में अब आगे आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्रृंगार सामग्री का आयात

१०५५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रृंगार सामग्री के आयात में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या अब भी किसी श्रृंगार सामग्री का भारत में आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्ष में कौन-कौन सी श्रृंगार सामग्री का आयात किया गया और उनकी मात्रा क्या थी;

(ङ) गत दस वर्ष में श्रृंगार सामग्री के आयात पर भारत ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की अथवा वस्तु विनिमय के आधार पर कितनी मात्रा में अन्य वस्तुओं का संभरण किया; और

(च) श्रृंगार सामग्री तैयार करने में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) "श्रृंगार सामग्री तथा अन्य सौन्दर्य प्रसाधनों" का आयात जनवरी—नवम्बर, १९५८ में जहां ५.७२ लाख रु० का हुआ था, वहां १९५९ की इसी अवधि में वह घट कर १.२५ लाख रु० रह गया।

(ग) केवल स्टूडियो में मेकअप के काम आने वाली चीजें जैसे कोलोडियोन, लिपग्लास, दांतों पर लगाने का इनैमिल, पलकों का मेक अप करने की चीज़ें तथा अन्य विशेष प्रकार की श्रृंगार सामग्री के आयात की ही अनुमति दी जाती है।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) इस समय वस्तुतः सभी प्रकार की श्रृंगार सामग्री का देश में उत्पादन हो रहा है। आशा है कि स्टूडियो में मेकअप के काम आने वाली चीज़ें बनाने के कारखाने देश में कुछ वर्षों में स्थापित हो जायेंगे। इस प्रकार की कई चीज़ें बनाने के लिए सरकार ने आवश्यक मंजूरी दे दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगार ग्रैजुयेट

†१०५६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६० को भारत के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों पर कितने बेरोजगार ग्रैजुयेटों के नाम शेष बचे थे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १ मार्च, १९६० के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । ३१ दिसम्बर, १९५९ को चालू रजिस्टरों पर ऐसे ३९,६४१ ग्रैजुयेटों के नाम थे ।

औषध-भावित चाय[1]

†१०५७. { श्री बै० च० मलिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की निगाह में लाई गयी है कि नयी दिल्ली की आयुर्वेद परिषद् ने ३० संयोगांगों वाली एक औषध-भावित चाय विकसित की है जिसकी लागत केवल एक नया पैसा प्रति प्याला पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो देश में चाय की खपत का स्थान लेने की दृष्टि से इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अखबारों में इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं ।

(ख) चाय-बोर्ड इसका नमूना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है । अभी सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

शाहदरा के निकट कारखाने में विस्फोट

†१०५८. { श्री बै० च० मलिक :
श्री सं० प्र० मेहदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा के निकट ईस्ट आज़ाद नगर में एक कारखाने में विस्फोट होने के फलस्वरूप ३० दिसम्बर, १९५९ को दो व्यक्ति मारे गये थे और तीन घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट का क्या कारण था; और

(ग) क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवज़ा दिया गया था ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) शायद अत्यधिक दबाव के कारण २½ गैलन के एक चापयुक्त पात्र का पेंदा फट गया था ।

(ग) श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृतकों के आश्रितों के कमिश्नर से कोई दावा नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Medicated Tea.

आंध्र प्रदेश में कुटीरोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग

†१०५९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कुटीरोद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रूस को तमाखू का निर्यात

†१०६०. { **श्री मानवेन्द्र शाह** :
श्री भंज देव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में रूस को कितने तमाखू का निर्यात किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने भारत के राज्य व्यापार निगम के तत्वावधान में रूस को धूम्रशोधित तमाखू के निर्यात की योजना बनायी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५७, १९५८ और १९५९ के प्रथम १० मास में लगभग २४५ लाख पौंड ।

(ख) जी नहीं ।

पंजाब में हाथ के बने कागज का उत्पादन

†१०६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ के बने कागज़ के उत्पादन के लिये पंजाब राज्य के किन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और उत्पादन कितना हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

पंजाब सरकार आदि को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

अभिकरण	१९५८-५९		१९५९-६० (३१-१-१९६० तक)	
	अनुदान (रु०)	ऋण (रु०)	अनुदान (रु०)	ऋण (रु०)
१. पंजाब राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	७,५००	१०,५००	१६,५००	३६,०६५
२. स्कूलों के कारखानों के लिए पंजाब राज्य सरकार को	४,०००			
३. रजिस्टर्ड संस्थाओं को	२१,५३१	१५,०००	..	..
जोड़ .	३३,०३१	२५,५००	१६,५००	३६,०६५

किसी केन्द्र की स्थापना के पहले तीन वर्षों में उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता । जो दो केन्द्र स्थापित किये गये और कार्य कर रहे थे १९५८-५९ में उनका उत्पादन ५१५६२ पौंड था जिसकी कीमत ६०,३१२ रुपये थी ।

कानपुर में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†१०६२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशिष्ट अवधि में गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्य के लिए कानपुर को कुल कितनी राशि दिये जाने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: कानपुर नगर में अब तक १.२१ करोड़ रुपयों की अनुमोदित लागत वाली गन्दी बस्तियों को हटाने की परियोजनायें मंजूर की गयी हैं । राज्य सरकार को भी कानपुर में गन्दी बस्तियों को हटाने की १ करोड़ रुपयों तक की लागत वाली और भी योजनायें मंजूर करने का अधिकार दिया गया है ।

दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति

†१०६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने व्यक्तियों (कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल) ने काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखाये हैं;

(ख) नवम्बर, १९५९ से मार्च १९६० तक की अवधि में भारत सरकार के रेलवे आदि उपक्रमों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है; और

(ग) गैर-सरकारी उद्योगों और ठेकेदारों की नौकरियों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ग	फरवरी, १९६० को चालू रजिस्टरों में दर्ज संख्या
१. कुशल और अर्द्ध-कुशल	५,७१५
२. अकुशल	१९,५५७
३. अन्य	३२,३५६
जोड़	५७,६२८

(ख) और (ग). रेलवे आदि में लगाये गये लोगों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी तथा अन्य संस्थापनों में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	१-११-५९ से २९-२-६० में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
१. केन्द्रीय सरकार	२,२१८
२. राज्य सरकार	१३
३. अर्द्ध-सरकारी तथा स्थानीय निकाय	४२४
४. गैर-सरकारी संस्थापन	१२२
जोड़	२,७७७

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण

†१०६४. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादन में विभिन्नता लाने के प्रश्न पर किसी विशेषज्ञ समिति ने ब्यौरेवार ढंग से विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां क्या है, और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में इस समय किन विभिन्न प्रकार के औजारों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादन में विभिन्नता लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की गई

†मूल अंग्रेजी में

है। समिति की उपपत्तियों की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार ने जिस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मान लिया है वह यह है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का उत्पादन प्रतिवर्ष ७०० मशीनों से बढ़ा कर १९६३–६४ तक २००० मशीनें प्रति वर्ष कर दिया जाय।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में निम्नलिखित प्रकार के मशीनी औजारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है :—

१. एच २२-खराद (१००० एम० एम० और १५०० एम० ए० सेन्टर हाइट के)।
२. 'बाटीनोल्स'[1] टाइप के खराद (१७० एम० एम० और २५० एम० एम० सेन्टर हाइट के)
३. मिलिंग मशीनें (चक्कियां) (हारिजोंटल, यूनीवर्सल और वर्टीकल साइज २ और ३)
४. रेडियल ड्रिलिंग मशीन (साइज १$^1/_2$" और २")

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता

†१०६५. **श्री वें० प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की विद्यमान अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की उपक्रम अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता कितने प्रतिशत है; और

(ग) क्या प्रत्येक कारखाने की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिये जहां कहीं संभव हो सके किसी और प्रकार का उत्पादन करने की दृष्टि से कोई क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के जितने भी कारखाने से व्यावहारिक रूप उन में अप्रयुक्त उत्पादन कुछ भी नहीं है। अनेक मंत्रालयों के अधीन इतनी संख्या में उद्योगों के आंकड़े एकत्र करने के सम्बन्ध में यह बड़ा सामान्य प्रश्न है। जिन मंत्रालयों के अधीन सरकारी क्षेत्र में कारखाने हैं उन से संबंधित प्रश्न उन्हीं मंत्रालयों से पूछे जा सकते हैं।

डी० डी० टी० कारखानों के लिये क्लोरीन

†१०६६. **श्री वें० प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (१) डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली और (२) डी० डी० टी० कारखाना अलवई के लिये क्लोरीन किस दर पर खरीदी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिक मूल्य दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यह कितना है और उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'Bagtinolles' type lathes.

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) क्लोरीन निम्न दर पर खरीदी जाती है :—

(१) डी० डी० टी० कारखाना दिल्ली

	रुपये प्रति टन
पहले ७०० टन डी० डी० टी० के लिये	४७६.६
७०० टन अतिरिक्त डी० डी० टी० के लिये अनुपूरक क्लोरीन के संभरण हेतु डी०सी०एम० केमिकल्स वर्क्स दिल्ली से	२८०

(२) डी० डी० टी० कारखाना, अलवई

त्रावनकोर कोचीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवई से	१४२.०

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाना परियोजना पर १९५०–५३ में विचार और उस का विकास किया गया था। उस समय देश के भिन्न भिन्न भागों में कास्टिक सोडा और क्लोरीन बनाने के छोटे पैमाने के कुछ संयंत्र मौजूद थे । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि और विश्व स्वास्थ्य संघ की सलाह पर, दिल्ली स्थान चुना गया था, जिस ने कारखाने की स्थापना करने के लिये वित्तीय और टेक्नीकल सहायता दी थी और दिल्ली का चुनाव इसलिये किया गया था कि डी० सी० ए० केमिकल वर्क्स से क्लोरीन उपलब्ध होगी जो कि उत्तरी क्षेत्र का सब से निकट कास्टिक सोडा क्लोरीन संयंत्र था । अतः सरकार ने उस समय सब से अनुकूल मूल्य पर क्लोरीन का संभरण करने के लिये डी०सी०एम० केमिकल वर्क्स से एक करार किया था। किन्तु अभी तक कम मूल्य पर किसी वैकल्पिक सूत्र से उत्तरी क्षेत्र में कास्टिक सोडा उद्योग का विकास करने के लिये क्लोरीन का संभरण नहीं हुआ है।

अलवई कारखाने पर विचार और उस का विकास १९५५–५७ में किया गया। इस समय में देश के भिन्न भिन्न भागों में बड़े कारखानों से अधिक क्लोरीन मिलने लगी थी। क्लोरीन का लागत मूल्य अधिकांश रूप से विद्युत् दर पर निर्भर करता है। केरल में विद्युत् दर दिल्ली से कहीं कम है और यही कारण है कि त्रावनकोर कोचीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अलवई में जहां कि पिछले कुछ साल पहले कास्टिक सोडा। क्लोरीन संयंत्र स्थापित किया गया था, क्लोरीन की उत्पादन लागत बहुत कम आती है। अतः सरकार त्रावनकोर-कोचीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवई से अधिक अच्छी शर्तों पर क्लोरीन प्राप्त कर सकती थी, और यही कारण था जिस से दूसरा डी० डी० टी० संयंत्र उसी क्षेत्र में स्थापित करने का निश्चय किया गया था ।

दिल्ली में डी० डी० टी० संयंत्र की बढ़ी हुई क्षमता (७०० टन से १,४०० टन प्रति वर्ष) के लिये अतिरिक्त क्लोरीन का संभरण करने के हेतु डी० सी० एम० केमिकल्स वर्क्स से सस्ते भाव प्राप्त हुए हैं जिस ने उसी समय अपनी कास्टिक सोडा/क्लोरीन उत्पादन क्षमता बढ़ाई थी और जो सस्ती दर पर क्लोरीन दे सकता था ।

भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर तरल क्लोरीन के उचित बिक्री भाव २७ अक्तूबर, १९५९ निश्चित कर दिये हैं। यह क्लोरीन जिन बर्तनों में होगी वे वापस लौटा दिये जायेंगे और जिस में २२.२० न० पै० प्रति हंडरवेट के हिसाब से भरने की कीमत शामिल होगी अथवा ४४४ रुपये प्रति टन भाव होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पीतल और तांबे की चादरों का भाव

१०६७. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है अलौह धातुओं के उपयोग को संरक्षण देना जारी करते ही मेसर्स कमानी मेटल्स ऐण्ड एल्वायज लिमिटेड और इण्डियन स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कम्पनी लिमिटेड ने पीतल और तांबे की वाणिज्यिक चादरों के अपने भावों की घोषणा करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उपर्युक्त संरक्षण को लागू करने के लिये क्या कारंवाई की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपास का आयात

१०६८. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से आयात किये गए सूती कपड़ों में आयात की गई लम्बे रेशे की कपास का कितने प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है; और

(ख) लम्बे रेशे वाली आयात की गई कपास का कितने प्रतिशत इस्तेमाल देश के अन्दर जो कपड़े का इस्तेमाल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारत प्रमुख रूप से मोटा और औसत दर्जे के कपड़े का निर्यात करता है । विदेशी कपास की कुछ मात्रा को देशी कपास में मिलाकर उससे औसत दर्जे का कपड़ा तैयार किया जाता है । निर्यात किये गये सूती वस्त्र में कितनी विदेशी कपास लगती है, इस का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) उपयुक्त भाग (क) में जो कारण बताये गये हैं उन्हीं की वजह से देश के अन्दर जितना सूती कपड़ा तैयार होता है उस में आयात की गई लम्बे रेशे की कपास कितनी प्रतिशत होती है इस का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

'चिड़ियाघर की सैर'[1] और 'विनम्रता'[2] नामक फिल्म

†१०६९. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'चिड़ियाघर की सैर' और 'विनम्रता' नामक फिल्मों के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यह काम किसे सौंपा गया है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] A day at Zoo.

[2] Courtesy.

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म्स डिवीज़न ।

(ग) 'चिड़ियाघर की सैर' की शूटिंग शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगी जबकि 'विनम्रता' फिल्म बन चुकी है । दूसरी फिल्म की एडिटिंग हो रही है और जिस के शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास

†१०७०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **योजना** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास का जो विशेष कार्यक्रम स्वीकार किया गया था उस के बारे में १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काम के लिये अगले वित्तीय वर्ष के लिये जो ७६ ' ५ लाख रुपये की सहायता मांगी थी उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : खर्च के ठीक ठीक आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) ७३.१३ लाख रुपये की मांग अब की गई है । यह राशि १९६०-६१ की वार्षिक योजना में निर्धारित कर दी गई है ।

कांच उद्योग का सर्वेक्षण

†१०७१. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच उद्योग के लिये टेक्निकल सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन पर विचार कर के कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) दल की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, कांच उद्योग के लिये टैक्निकल सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन का संकलन मंत्रालय के विकास अनुभाग द्वारा कर लिया गया है यद्यपि सर्वेक्षण दल के एक सदस्य का प्रतिवेदन, जिस को संयुक्त राष्ट्रीय टेक्निकल सहायता बोर्ड द्वारा तैनात किया गया था, बीमार हो जाने के कारण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) सर्वेक्षण दल की प्रमुख सिफारिशें संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सर्वेक्षण दल की सिफारिशें कांच उद्योग और जिन उद्योगों का सर्वेक्षण दल ने दौरा किया था उन्हें बताई जा रही हैं। सिफारिशें ऐसी हैं जिन पर उद्योग को विचार कर के उन्हें कार्यान्वित करना है। मंत्रालय के विकास अनुभाग ने भी सिफारिशें नोट कर ली हैं जो उद्योग के विकास की विदिष्ट समस्याओं को निबटाने और उसे और आगे सहायता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगी।

कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल

†१०७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कानपुर में जो अस्पताल स्थापित किया जाने को है उस की नींव रख दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). कानपुर में राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल का बनना २४ दिसम्बर, १९५९ से आरम्भ हो गया है।

भारत-तिब्बत व्यापार

†१०७३. { **श्री द० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलिम्पोंग-गंगटाक-नथुलान्यांतुंग दर्रे में खच्चरों के द्वारा पिछले तीन महीनों में भारत-तिब्बत व्यापार के सम्बन्ध में क्या स्थिति रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है जैसाकि निम्न आंकड़ों से पता लगेगा :—

	आयात	निर्यात
	(मूल्य लाख रुपयों में)	
अक्तूबर, १९५९	२.५२	३.८४
नवम्बर, १९५९ . .	२.६०	१.०४
दिसम्बर, १९५९	१.३७	१.४१

टेक्सटाइल बॉबिन एनेमल[1]

†१०७४. **श्री प्र० के० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक टेक्सटाइल बॉबिन एनेमल का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) देश में इस का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Textile Bobbin Enamels.

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप इस का उत्पादन देश में वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग की स्थापना करने के लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) क्या देश में इस का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) केवल टेक्सटाइल बॉबिन के लिये आयात किये गये एनेमल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५८-५९ और १९५९-६० (अप्रैल से नवम्बर, १९५९) में विभिन्न किस्मों के एनेमलों के आयात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	मात्रा (गैलन)	मूल्य (रुपये)
१९५८-५९	११०९	१३,०००
१९५९-६० (अप्रैल से नवम्बर '१९५९ तक).	३००	६,०००

(ख) इस का इस्तेमाल टेक्सटाइल बॉबिनों पर कोटिंग करने में किया जाता है जिस से उन की उपयोगिता बढ़ जाती है ।

(ग) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने काजू के छिलके पर कई तरल एनेमल तैयार किये हैं जिन को लकड़ी के बॉबिनों पर कोटिंग करने के काम में लाया जायेगा । काले बॉबिन एनेमल के नमूनों का कारखाने में परीक्षण किया जा रहा है तथा विभिन्न पदार्थों के आर्थिक पहलू से जांच की जा रही है ।

(घ) वाणिज्यिक परियोजना में कितना वित्त लगेगा इस का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि से प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के आधार पर टेक्सटाइल बॉबिन एनेमल बनाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कुछ फर्में विभिन्न तरीकों से पहले से ही टेक्सटाइल बॉबिन एनेमल बना रही हैं । फिलहाल सरकारी क्षेत्र में इस का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है ।

सेल्युलोज[1]

†**१०७५. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक सेल्युलोज़ नाइट्रेट, सी० एम० सी०, एसीटेट रेयन आदि के निर्माण के लिये सेल्युलोज़ का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) देश में इस का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप सेल्युलोज़ नाइट्रेट, सी० एम० सी०, एसीटेट रेयन आदि के निर्माण के लिये सेल्युलोज़ का उत्पादन देश में वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cellulose.

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग की स्थापना करने के लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) क्या देश में इस का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) इस प्रश्न में उल्लिखित विशेष प्रयोजनों के लिये जितनी किस्मों के सेल्युलोज की आवश्यकता है वे (१) रेयन ग्रेड पल्प और (२) काटन लिंटर्स के अन्तर्गत आ जाती हैं। १९५८-५९ और १९५९-६० में (नवम्बर, १९५९ तक) इन वस्तुओं के आयात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

हजार हंडरवेटों में मात्रा

हजार रुपयों में मूल्य

	१९५८–५९		१९५९–६० (नवम्बर, १९५९ तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
१. मैकेनिकल वुड पल्प . .	८८	४२४७	१३८	५६३१
२. केमिकल वुड पल्प . .	९४४	४१८७७	८६४	३८०३७
३. सल्फाइट के अतिरिक्त केमिकल वुड पल्प	३८	१९६०	३४	९९२
४. घास फूस, रेशों और चिथड़ों की लुगदी	नगण्य	२४	नगण्य	नगण्य
५. काटन लिंटर जिसमें लिंटर की बनी सोखने वाली रूई शामिल नहीं है . .	१८	५३८	११	२१६

(ख) सेल्यूलोज पल्प (रेयन ग्रेड) विज़कोज़ फिलामेंट यार्न (धागा) और स्टेबल फाइबर बनाने और एसीटेट रेयन का धागा बनाने के लिये काटन लिंटर बनाने में काम आता है।

(ग) और (घ). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) फिलहाल गैर-सरकारी क्षेत्र में फर्मों को बांस से रेयन ग्रेड पल्प तैयार करने के लिये दो लाइसेंस दिये गए हैं। कुछ अन्य आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन हैं। सरकारी क्षेत्र में इसका निर्माण करने के लिये सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

गंधक का आयात

†१०७६. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक कितनी गंधक आयात की गई और उसको कितनी विदेशी पूंजी लगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश में इसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा में किये गए अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक गैस से गंधक का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये उद्योग की स्थापना करने के लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क)

मात्रा हंडरवेटों में

मूल्य हजार रुपयों में

	१९५८–५९ मात्रा	१९५८–५९ मूल्य	१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर) मात्रा	१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर) मूल्य
१. अपरिष्कृत गंधक .	२४०३७९२	२१२८२	१८५७९१०	१५५७०
२. गंधक और मिश्रण (कम्पाउन्ड्स)				
(१) परिष्कृत गन्धक, फूल .	१५३१६	२७३	८००४	१८७
(२) परिष्कृत गन्धक जमी हुई .	४४१०	१००	४७७	१९
(३) परिष्कृत गन्धक, रोल .	७५६०१	१४९९	३८५८९	६८५
(४) परिष्कृत गंधक, शोधित .	४५९३	९०	१६४०	३२
(५) परिष्कृत गन्धक, अन्य .	१४७७२७	२५८०	४४९०२	८१९
योग (२) . .	२४७६४७	४५४२	९३६१२	१७४२
३. काली गन्धक	३८७	३७४	२४६	२६१
४. रंगने की गंधक काली गंधक को छोड़ कर . .	६४७	५८८	२६४	२१९

(ख) इस देश में गंधक, गंधक का तेजाब, कार्बन डी सलफाइड, बारूद और विस्फोटक पाउडर औषधियां बनाने में और खेतों में छिड़कने और चीनी उद्योग में काम में लाई जाती है ।

(ग) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा ने औद्योगिक गसों में से अकार्बनिक और कार्बनिक गंधक निकालने का एक तरीका निकाला है और ये तरीके भारतीय पेटेण्ट संख्या ५५८१६ और ५५८१७ में आ जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने सूचित किया है कि एक हज़ार टन तैयार करने वाला संयंत्र लगाने पर, जिससे प्रति दिन ८ से १० टन प्रति दिन के हिसाब से गंधक का तेजाब प्राप्त हो सके, अनुमानित व्यय लगभग १०.०० लाख रुपया होगा।

(ङ) गंधक तैयार करने के लिये और किसी फर्म के पास से आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। औद्योगिक गैसों से गंधक बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। सरकारी क्षेत्र में माक्षीक (पाइराइट) से गंधक तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

फीनोल[1] और क्रीसोल[2]

†१०७७. **श्री अ० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक फीनोल और क्रीसोल की कितनी मात्रा आयात की गई और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी ;

(ख) देश में उनका किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ग) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा में किये गए अनुसन्धान के परिणामस्वरूप क्या देश में हायर टार एसिडों को फीनोल और क्रीसोल में बदलने का काम वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है;

(घ) उद्योग स्थापित करने के लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ङ) क्या देश में इसका संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार इनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). १९५८-५९ और १९५९-६० में (अप्रैल से नवम्बर तक) फीनोल और क्रीसोल का जितनी मात्रा में आयात किया गया वह और उसका मूल्य नीचे दिया जाता है :—

	मात्रा हंडरवेटों में मूल्य हजार रुपयों में			
	१९५८–५९		१९५९–६० (अप्रैल से नवम्बर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
फीनोल				
(कार्बोलिक एसिड) .	२७००	२५९	२५१९	२३८
शुद्ध वाणिज्यिक किस्म की .	१६७२१	१६२६	१३३३६	१२५४
क्रीसोल				
(क्रीसाइलिक एसिड) .	७६८२	५६४	१०८०८	७२६
शुद्ध वाणिज्यिक किस्म की .	६२७१	४९१	४६६१	३४७

†मूल अंग्रेजी में

[1] Phenol.

[2] Cr esol.

देश में इन का अधिकांश उपयोग संशलिस्ट काल, प्लास्टिक, रंगने का सामान बनाने और भेषजों में किया जाता है ।

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, जीलगोरा ने हायर टार एसिडों फीलोन और क्रीसोल में बदने का तरीका निकाला है । यह तरीका एक भारतीय पेटेंट में आ जाता है । अभी तक केवल प्रयोगशाला में ही काम किया जा रहा है संस्था ने एक अग्रिम संयंत्र का नमूना तैयार किया है जिसका निर्माण वर्कशाप में ही हो रहा है। अग्रिम संयंत्र का अध्ययन पूरा हो जाने के बाद वाणिज्यिक स्तर पर इसे बनाने की संभावनाओं और उद्योग स्थापित करने में कितना धन लगेगा इसका पता लगाया जायेगा ।

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था में किये गये अनुसन्धान के परिणामों पर आधारित फीनोल और क्रीसोल का निर्माण करने के लिये एक उद्योग की स्थापना करने के संबंध में उद्योग (विकास तथा विनियमन), १९५१ के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

संशलिस्ट फीनोल का १५०० टन प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्माण करने का विचार सरकारी क्षेत्र में है ।

एमल्सीफायर[1]

†१०७८. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक कितना एमल्सीफायर (प्रनिलम्बक) का आयात किया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा लगी;

(ख) इसका देश में किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था, मद्रास द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप देश में एमल्सीफायरों का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है;

(घ) उसके उत्पादन के लिए एक उद्योग स्थापित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इसका उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा सरकार उसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५८-५९ और १९५९-६० (अप्रैल से नवम्बर, १९५९) के दौरान में क्रमशः ५१,००० पाउण्ड और ६६,००० पाउण्ड एमल्सीफाइंग एजेंट्स (प्रनिलम्बन पदार्थों) का आयात किया गया जिनका मूल्य क्रमशः २,२९,००० रुपये और २,५९,००० रुपये था ।

चालू लाइसेंस अवधि अर्थात् अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० के दौरान में उनका आयात करने की अनुमति नहीं है ।

(ख) एमल्सीफायरों का इस्तेमाल वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों में काटने वाले तेलों और चिकनाई पैदा करने और कुछ हद तक भेषजों, प्रसाधन सामग्री बनाने, स्वच्छता-रसायन, पालिशों, कृषि उत्पादों और खाद्य उद्योग आदि में किया जाता है । चमड़ा उद्योग में इनका इस्तेमाल तेल, चर्बी और ग्रीस की जगह पर चमड़े को चिकना, मुलायम, मजबूत और कभी-कभी वाटरप्रूफ बनाने में होता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[1] Emulsifiers.

(ग) और (घ). केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप मछली और पोंगम तेलों (एनोओनिक एमल्सीफायरो[१] की एक किस्म) से सल्फेट युक्त चिकनाई वाले तेलों का निर्माण वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है। प्रति वर्ष १०० टन उत्पादन करने के लिए उद्योग की स्थापना करने में लगभग १,००,००० रुपया खर्च होगा।

इस संस्था में केटिओनिक एमल्सीफायर[२] बनाने के लिए भी अनुसन्धान हो रहा है और इससे कुछ उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। इस प्रक्रिया को उद्योग को बताने से पहले अग्रिम स्तर पर कुछ और परीक्षण तथा काम किया जाना है।

(ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन निम्न पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं:—

(१)	मेसर्स होम इण्डस्ट्रीज ऐण्ड कम्पनी, बम्बई .	एमल्सीफाइंग पदार्थ—३ टन प्रति मास।
(२)	श्री आनन्दलाल हरीलाल सेठ, बम्बई .	पोलीथिलीन ग्लाइकॉल फैटी एस्टर्स (एमल्सीफाइंग एजेंट्स—२५ टन प्रति मास)

इसका निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने का कोई विचार नहीं है।

हाथ की छपाई उद्योग

१०७९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अनुसंधान मंत्रणा तालिका के अहमदाबाद में हाथ की छपाई उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या इस पर विचार करने से पूर्व हस्तशिल्प बोर्ड और कपड़ा उद्योग की राय मांगी गयी थी;

(ग) उस पर परीक्षात्मक रूप से क्या निर्णय किये गये; और

(घ) उनको किस प्रकार कार्यान्वित किया जायगा?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). परीक्षात्मक रूप से किये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं :

(१) हाथ की छपाई उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और संवर्द्धनात्मक उपायों द्वारा इसकी प्रतियोगिता करने की क्षमता को बढ़ाने में इसकी सहायता की जानी चाहिए।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[१]Anionic Emulsifiers

[२]Cationic Emulsifiers

(२) मिलों में हाथ की छपाई के लिए ७४५४.१ लाख गज की वर्तमान सीमा को स्थिर कर देना चाहिए और वर्तमान अभ्यंश में वृद्धि करने की प्रार्थना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

(३) छपाई की मशीनों के साथ मशीन पर काम करने वालों को भी कपड़ा नियंत्रण आदेश के सम्बन्धित उपबन्धों के भीतर लाना चाहिए और जैसा कि मिलों के मामलों में हैं, उन्हें अभ्यंश दिया जाना चाहिए।

(४) हाथ की छपाई उद्योग का विकास करने के लिए पर्याप्त निधि दी जानी चाहिए।

२. यह बात देखने के लिए कि इन निर्णयों को किस प्रकार उत्तम रूप से क्रियान्वित किया जाये, सम्बन्धित संगठनों द्वारा व्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

कर्मभारित कर्मचारी[1]

†१०८०. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ६ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५९ में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक डिवीजन के अनुसार कितने कर्मभारित कर्मचारियों को रोजगार दिया गया?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ९४ डिवीजन हैं। इस विभाग में प्रत्येक महीने में काम पर लगाये गये कर्मभारित कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

अगस्त १९५९	सितम्बर, १९५९	अक्तूबर, १९५९	नवम्बर, १९५९	दिसम्बर, १९५९
११,५०४	११,६७९	११,६३०	११,५८६	११,५१३

हिमाचल प्रदेश में गन्दी बस्तियां हटाना

१०८१. श्री पद्मदेव: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में गंदी बस्तियां हटाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) कितनी योजनायें कार्यान्वित करने का विचार है और वे कहां-कहां पर कार्यान्वित की जायेंगी; और

(ग) अब तक कितनी योजनायें कार्यावित की जा चुकी हैं और उन में से प्रत्येक पर कितनी धन राशि व्यय की गई है?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश शासन ने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, गंदी बस्तियों की सफाई के लिए, अभी तक कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work-charged staff

पोटाशियम परमेंगनेट

†१०८२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पोटाशियम परमेंगनेट की कुल वार्षिक खपत कितनी है; और

(ख) इस में से देश में कितना उत्पादन किया जाता है और इसका किस संसाधन से उत्पादन किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लगभग ४५० टन प्रति वर्ष।

(ख) इस समय देश में सुगठित रूप से कुछ भी पोटाशियम परमेंगनेट का उत्पादन नहीं होता।

तथापि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक सार्थ को ३०० टन प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है और वे इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे। एक और योजना विचाराधीन है।

मशीनों का निर्माण

†१०८३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर में सीमेन्ट के कारखाने की मशीन, खनन सम्बन्धी मशीन, पानी के ट्यूब, बायलर और प्रेशर बेसल के निर्माण के कारखाने स्थापित करने में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : २ दिसम्बर, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७९३ का उत्तर दिये जाने के बाद से दुर्गापुर में मशीनों का निर्माण करने के कारखाने स्थापित करने के बारे में परिस्थितियों में और कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो रही है।

बम्बई के लिये भारी उद्योग

†१०८४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बम्बई में दोनों क्षेत्रों में स्थापित किये जाने के लिए निर्धारित भारी उद्योगों को योजना की बाकी अवधि में स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ट्राम्बे में एक उर्वरक संयंत्र के लिए प्राथमिक तैयारियां की जा रही हैं। पिम्परी एण्टीबायोटिक्स फैक्टरी के विस्तार का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

लौह अयस्क का निर्यात

†१०८५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५८ से १९६० तक अब तक गुद्धालोर, कोचीन, मंगलौर, बेलिकेन्स, कारवाड और प्रदीप पत्तनों से कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में इन पत्तनों द्वारा राज्य व्यापार निगम द्वारा किन देशों को लौह-अयस्क का निर्यात किया गया है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन पत्तनों से निर्यात द्वारा राज्य व्यापार निगम को कितनी आय हुई ;

(घ) उपरोक्त अवधि में इन सब पत्तनों पर निर्यात के लिये सुविधायें बढ़ाने में क्रमशः कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ङ) क्या इन पत्तनों पर निर्यात सुविधायें बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम कुछ धन खर्च करता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]

(ङ) जी, नहीं।

रंगों और रसायनों का आयात

†१०८६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है कि १९५६ से १९५८ तक रंगों और रसायनों के आयात के लिए इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को और पांच सर्वोच्च साथों को कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : जी, हां । निम्नलिखित ३ विवरण संलग्न हैं :

विवरण संख्या १ : जिसमें जनवरी—जून, १९५६ से अप्रैल—सितम्बर, १९५८ की साइसेंस की अवधि के लिये क्रम संख्या २२—३१/५ के अधीन आने वाले रसायनों के आयातकें लिये पुराने आयातकों की श्रेणी के अधीन इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ और अन्य सर्वोच्च साथों को दिये गये लाइसेंसों के बारे में बताया गया है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]

विवरण संख्या २ : जिसमें जनवरी—जून, १९५६ से अप्रैल-सितम्बर १९५८ तक की लाइसेंस की अवधि में क्रम संख्या २२—३१/५ के अधीन आने वाले रसायनों के आयात के लिये (पुराने आयातकों को छोड़ कर) इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ और अन्य सर्वोच्च आयातकर्त्ताओं को दिये गये लाइसेंसों के बारे में बताया गया है। [देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]

विवरण संख्या ३ : जिसमें जनवरी—जून, १९५६ से अप्रैल—सितम्बर, १९५८ तक की लाइसेंस की अवधि में क्रम संख्या १—ख/३ के अधीन आने वाले रंगों के आयात के लिये पुराने आयातकर्ताओं की श्रेणी के अधीन इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज़ और अन्य सर्वोच्च साथों को दिये गये लाइसेंस के बारे में बताया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

दलाई लामा

†१०८७. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दलाई लामा और उनके दल पर भारत में १९५९ में उनके ठहरने और जनवरी-फरवरी, १९६० में उनके दौरे के कार्यक्रम के लिये कितना धन खर्च किया गया?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अप्रेल से दिसम्बर, १९५९ तक दलाई लामा और उनके दल के ठहरने पर ४,४१,१५१.४६ रुपये की राशि खर्च की गयी है।

२. जहां तक जनवरी-फरवरी, १९६० में उनके दौरे का सम्बन्ध है, वास्तविक खर्च का पता नहीं है क्योंकि अभी राज्य सरकारों और रेलवे बोर्ड से, जिन्हें आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया था, बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि इस पर लगभग ४०,००० रुपये का खर्च होगा।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अभिलेख (रिकार्ड)

†१०८८. { श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने सब विभागों को इस आशय के आदेश दिये हैं कि जिन अभिलेखों (रिकार्डस) पर "दस वर्ष के लिये" लिखा हो, उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को निर्देशित किये बिना ही नष्ट कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश किसी विशिष्ट रिकार्डों के बारे में है या सब प्रकार के रिकार्डों के बारे में ; और

(ग) क्या सीमान्त रेखा सम्बन्धी रिकार्ड भी नष्ट किये जाने हैं या ऐसे मामलों के लिये कोई और निदेश हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). निर्दिष्ट आदेशों में व्यवस्था है कि जिन फाइलों पर "दस वर्ष के लिये" लिखा हो, उनको यदि "कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका" में उल्लिखित निदेशों के अनुसार नष्ट करना है तो उसके लिये राष्ट्रीय अभिलेखागार का परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। उन निदेशों में यह स्पष्ट है कि जिन फ़ाइलों में ऐसे महत्वपूर्ण कागज हों, जिनमें इतिहास के राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक या आर्थिक पहलू के बारे में जानकारी दी गई हो या जो जैविक अथवा पौरातनिक महत्व के हों उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी व्यापार शिष्ट मंडल

†१०८९. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में कितनी अमरीकी व्यापार शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** हमारे हथकरघों और हस्तशिल्पों के डिसाइन ने सुधार का सुझाव देने के लिये एक अमरीकी शिष्टमंडल ने अक्तूबर—नवम्बर, १९५८ में भारत का दौरा किया था ।

दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में छोटे उद्योगों सम्बन्धी मशीनों की प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिये दिसम्बर, १९५८ से मार्च, १९६० तक चार अमरीकी व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था ।

जनवरी, १९६० में लगभग ३९ व्यापारियों का एक दल स्वयं ही देतरात (Detroit) से भारत आया था ।

नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स, लिमिटेड नेपानगर

†१०९०. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के लेखापरीक्षित लाभ-हानि लेखे और सन्तुलन-पत्र के अनुसार ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये शुद्ध हानि का पता चलता है ; और

(ख) यदि हां, तो शुद्ध हानि की राशि क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी नहीं । नेशनल न्यूजिंप्रट एण्ड पेपर मिल्स, लिमिटेड के लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखे और सन्तुलन-पत्र के अनुसार ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ३६,८२,७५७.१५ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । इस रकम को वर्ष के आरम्भ में लाभ हानि लेखे के १,७३,२०,८८९ रुपये के डेबिट बैलेन्स को कम करने के लिये इस्तेमाल करना पड़ा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आकाशवाणी पर "महिलाओं के लिये कार्यक्रम"[1]

†१०९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पर 'महिलाओं' के लिये कार्यक्रमों को समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से तैयार किया जाता है ; और

(ख) क्या इन कार्यक्रमों में से किसी में छात्राओं को भी भाग दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी, नहीं । आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बनाने में कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति द्वारा परामर्श मिलता है परन्तु वह समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों पर भी ध्यान देता है ।

(ख) जी, हां । विशेष रूप से श्रमजीवी महिलाओं और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिये कार्यक्रमों में ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Women's Programme on A.I.R.

पंजाब में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†१०९२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने थे, क्या वे खोल दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूती कपड़ा

†१०९३. { **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्रीमती मफीदा अहमद : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में कुछ प्रकार के सूती कपड़ों का सम्भरण कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन कपड़ों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उनकी उपलब्धता पर कितना असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बांस

†१०९४. { **श्री हेम राज :**
श्री पद्म देव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हुक्के बनाने के लिये १९५७ से १९५९ तक बांस का कितना आयात किया गया ;

(ख) क्या हुक्के बनाने में काम आने वाले बांस का निर्यात भी किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है ; और

(घ) १९५७ से १९५९ तक कुल कितना निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). हुक्के बनाने में काम आने वाले बांसों के सम्बन्ध में जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

†१०९५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की चर्च विश्व सेवा[1] ने पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कल्याण के लिये १० लाख डालर की लागत की एक पंचवर्षीय परियोजना आरम्भ करने के लिये सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में सरकार कैसे और कितना सहयोग देगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लाजपत राय मार्केट, दिल्ली

१०९६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किले के सामने लाजपत राय मार्केट का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या वे दुकानदार जिनकी दुकानें लकड़ी की दुकानों में थीं उक्त मार्केट के तैयार होने पर उसमें चले जायेंगे ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). मार्केट के सेक्टर १ में दुकानें बन कर तैयार हो चुकी हैं। सेक्टर २ में दुकानों का बनवाना तभी शरू होगा जब कि वहां के मौजुदा दुकानदार उस जगह को छोड़ दें। उनमें से हकदार दुकानदारों को इन दुकानों के बदले में दूसरी जगह अस्थाई तौर पर देने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

(ग) जिन दुकानदारों को सेक्टर १ में स्थायी रूप से दुकानें एलाट की गयी हैं वे उनमें आ गये हैं। बाकी हकदार दुकानदारों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह जाने को कहा गया है और वे उस स्थान पर सेक्टर २ में पक्की दुकानें तैयार होने तक रहेंगे।

टायरों का आयात

†१०९७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक टायरों का आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितने टायरों का आयात किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Church World Service of America.

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा इस मात्रा का, राज्य-वार विभिन्न राज्यों को किस प्रकार वितरण किया गया;

(घ) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय टायरों का कितना स्टाक है; और

(ङ) वे उन का वितरण किस प्रकार करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा केवल १९५९–६० में बड़े टायरों[1] का आयात किया गया है ।

(ख) टायरों, ट्यूबों और फ्लैपो के २२,०१५ सेटों का आर्डर दिया गया था जिसमें से फरवरी, १९६० के अन्त तक ५३४० सेट प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (ङ) राज्य-वार वितरण नहीं किया जाता है । सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के मोटर गाड़ी पंजीयन प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी परिवहन उपक्रमों और वास्तकि उपभोक्ताओं को टायर दिये जाते हैं ।

(घ) २,५०० सेट ।

आकाशवाणी पर वार्ताओं के लिये फीस

†**१०९८. श्री हेम बरुआ : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ मार्च, १९५९ के तारांकित **प्रश्न संख्या** १२५६ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की कार्यान्विति के बारे में पटल पर रखे गये एक विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय रेडियो पर वार्ता प्रसारित करने के लिये फीस निर्धारित करने में कौन से, "अन्य पहलुओं" पर ध्यान दिया जाता है ;

(ख) वार्ता का स्वरूप निर्धारित करने में किन बातों पर विचार किया जाता है; और

(ग) प्रशासन द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों को कहां तक अपनाया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) वार्ता के लिये भुगतान निर्धारण करने के लिये जिन 'अन्य पहलुओं' पर ध्यान दिया जाता है, वे हैं : वार्ता, अवधि, वार्ता के विषय के बारे में वक्ता की अर्हतायें, प्रसारण संबंधी उन के अनुभव और कार्यक्रम जिसमें वह वार्ता रखी गई है, अर्थात् सामान्य अथवा विशेष श्रोता कार्यक्रम जैसे महिलाओं, बच्चों, स्कूलों और औद्योगिक कर्मचारियों

(ख) सामान्यतः वार्ता का विषय विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित किया जाता है । विषयों के बारे में मुख्य बातें दी जाती हैं जिन के ब्योरे सम्बन्धित स्टेशन डाइरेक्टर द्वारा भरे जाते हैं ।

(ग) इन मामलों में जैसा ऊपर कहा गया है, स्टेशनों को निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना होता है । वक्ता और उन को दी जाने वाली फीस के बारे में निर्णय करना स्टेशनों पर छोड़ दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Giant Tyres.

सिल्हट के लिय वीसा

†१०९९. {श्री सैं० ग्र० मेहदी :
श्री ग्रर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित उप उच्च ग्रायोग के कुछ ग्रधिकारियों को हाल में सिल्हट जाने की ग्रनुमति नहीं दी गई; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्यों ग्रौर इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां ।

(ख) ढाका स्थित हमारे मिशन ने हमारे प्रचार ग्रायोजक, फिल्म ग्रापरेटर ग्रौर दफ्तर के एक चपरासी के लिये वीसा के लिये प्रार्थना की थी ताकि वे सुनामगंज, सिल्हट में ५ फरवरी, १९६० से एक सप्ताह तक होने वाली स्थानीय प्रदर्शनी में भाग ले सकें। पूर्वी पाकिस्तान सरकार के पारपत्र ग्रधिकारी ने पारपत्रों को १० दिन रख कर लौटा दिया ग्रौर बताया कि सुनामगंज में हो रही किसी भी प्रदर्शनी की जानकारी उनके कार्यालय को नहीं है। इस कारण वह उस स्थान के लिए वीसा देने पर विचार नहीं कर सकते। तत्पश्चात हमारे मिशन ने ढाका में गृह विभाग से कहा। ४ फरवरी, १९६० को मध्याह्लोपरान्त उसने बताया कि प्रवेशपत्र पाकिस्तान सरकार को बताये बिना नहीं दिये जा सकते ।

†भारत सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है ।

नेफा के कार्यालयों का स्थानान्तरण

†११००. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के ग्रधिकांश कार्यालयों को शिलांग से हटाकर सुबनसिरी डिवीज़न में ज़िरो स्थान पर ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब; ग्रौर

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) नेफ़ा के प्रशासन के लिए ग्रासाम के राज्यपाल के ग्रधीन एक पृथक ग्रायुक्त नियुक्त करने का विचार है । इसका मुख्यालय शिलांग में होगा फिर भी यह उचित समझा जाता है कि मुख्यालय यथाशीघ्र नेफ़ा के किसी ग्रन्दरूनी भाग में स्थित किया जाये। सुबनसिरी सीमान्त डिवीज़न में जिरो स्थान पर ग्रायुक्त कार्यालय खोलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है क्योंकि वहां स्थान उपलब्ध है तथा ग्रासानी से वहां पहुँचा जा सकता है ।

(ख) कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है ग्रौर मामला ग्रभी विचाराधीन है।

(ग) प्रशासनात्मक सुविधा के लिए यह उचित है कि ग्रायुक्त का मुख्यालय उसके क्षेत्र-धिकार में हो।

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

उज्जैन में सहकारी औद्योगिक बस्ती

†११०१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन में सहकारी औद्योगिक बस्ती बन रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) उज्जैन की औद्योगिक बस्ती का शिलान्यास २७ फरवरी, १९६० को किया गया था। उज्जैन की भारत इंडस्ट्रियल कापरेटिव सोसाइटी लि० औद्योगिक बस्ती बना रही है और उस से प्राप्त सूचनानुसार इसकी अनुमानित लागत २२.५ लाख रु० है ।

चमड़ा कारखानों में बचा खुचा सामान[1]

†११०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा कारखानों में प्रति वर्ष कुल कितना अनुमानित सामान बेकार जाता है ;

(ख) क्या उप-उत्पादों में बचे खुचे सामान का उचित उपयोग करने की सरकार की कोई व्यापक योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चमड़ा और चमड़ा की वस्तुयें अधिकतर छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग क्षेत्रों में बनती हैं । अतः चमड़ा उद्योग में बेकार होने वाले सामान का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । चमड़े के उप-उत्पादों तथा चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग होता है, इस कारण यदि कुछ सामान निरर्थक होता है तो वह नाममात्र को होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि से ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

भारत में विदेशियों के चाय बागान

†११०३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशियों के कितने चाय बागान हैं ; और

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) ३१-३-१९५९ को स्टर्लिंग कम्पनियों के चाय बागानों की संख्या ४१८ है और विदेशी प्रबन्ध के आधीन रुपया कम्पनियों के बागानों की संख्या १९९ थी ।

(ख) स्टर्लिंग कम्पनियों का वार्षिक उत्पादन लगभग ३७.५ करोड़ पौंड है । विदेशियों द्वारा प्रबन्धित रुपया कम्पनियों के उत्पादन के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Waste from leather industry.

पुनर्वास मंत्रालय के अधीन कार्यालयों के कर्मचारी

†११०४. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मंत्रालय के अधीन अलग अलग कार्यालयों के कितने कितने राजपत्रित अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को फरवरी, १९६० में सेवा से हटाने के नोटिस दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]

छावनी बोर्डों के कर्मचारी

११०५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्डों के कर्मचारियों की मांगों के बारे में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पच्चाट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उन निर्णयों को छावनी बोर्डों से लागू कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ट्रिब्यूनल का फैसला भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक ४ मार्च, १९६० में प्रकाशित हो गया था । इसकी प्रति लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) १९४७ के औद्योगिक विवाद कानून की धारा १७ए के अनुसार फैसला प्रकाशन के तीस दिन बाद से लागू हो जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव

कमान्डर नानावती की सजा का निलम्बन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, जो इस संबंध में है "कमाण्डर नानावती की, जो अतिनृशंस अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है, सजा का निलम्बन"। बम्बई के राज्यपाल ने सजा को निलम्बित किया है। क्या प्रधान मंत्री को इस संबंध में कुछ कहना है ?

कुछ माननीय सदस्य उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं । यह राज्य का मामला है। राज्यपाल के कृत्य का मामला है . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): यह राज्य का मामला नहीं हो सकता। यह संविधान के उल्लंघन का मामला है। विधि की निगाह में सभी व्यक्ति बराबर हैं।

†**श्री महन्ती** (ढेकांनाल) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह एक असामान्य बात है कि राज्यपाल के कृत्य पर सभा में चर्चा की जाये। न्यायालय के आदेश का निलम्बन करना राज्यपाल का दया अधिकार है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : दया का कोई सवाल नहीं है।

†**श्री महन्ती** : राज्यपाल के कृत्य पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। अतः मेरा निवेदन है कि आप मामले को आगे न बढ़ने दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस प्रस्ताव के औचित्य पर विचार करना आपका काम है पर उपरिदर्शी रूप से यह मामला इस सभा से सम्बद्ध नहीं है। फिर भी, मैं समझता हूं कि इस असामान्य बात पर माननीय सदस्य चिन्तित होंगें। इस बारे में मैं तथ्यों को सभा के सामने रखता हूं।

सभा को पता है कि कमांडर नानावती पर काफी समय तक मुकदमा चलता रहा और जूरी के बहुमत द्वारा उन्हें अपराधी नहीं माना गया। उसके बाद जज ने मामले को उच्च न्यायालय के पास भेज दिया और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उनके विरुद्ध जो आरोप थे, उनके लिये वह अपराधी है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने नानावती के सम्बन्ध में कहा है कि वह एक योग्य कमांडर हैं, पर उन्होने यह भी कहा है कि फिर भी कानून की व्यवस्था का पालन होना ही चाहिये। स्पष्ट है कि कानून की व्यवस्था का पालन तो होना ही चाहिये और बम्बई सरकार या केन्द्रीय सरकार की कोई बात या उसका कोई काम कानून के रास्ते में बाधक नहीं बननी चाहिये। यह बात तो विवाद की है ही नहीं; इसे हम मानते हैं और किसी भी सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि बम्बई उच्च न्यायालय या उसके जजों के प्रति किसी प्रकार का असम्मान प्रकट किया जाये।

१० मार्च की शाम को या रात को मुझे पता लगा जब कि बम्बई उच्च न्यायालय के जजों ने अपना लगभग पूरा निर्णय दे दिया था---कि कमांडर नानावती के कुछ प्रतिनिधि बम्बई सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिले हैं और उन्होंने उन्हें बताया है कि वे मामले को उच्चतम न्यायालय में लाने का विचार कर रहे हैं और इसके लिये वे बम्बई उच्च न्यायालय की अनुमति लेने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि से अपील की कि जब तक अपील के आवेदन पत्र पर विचार न हो जाय तब तक के लिये सजा निलम्बित कर दी जाय। इसमें केवल कुछ समय कुछ दिनों की बात थी। बम्बई सरकार के प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि यह एक असामान्य बात थी और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की राय लेनी पड़ेगी। उन्होंने नानावती के प्रतिनिधियों से कहा कि वे केन्द्रीय सरकार के पास जायें।

अतः वे लोग मेरे पास, जैसा कि मैं बता चुका हूं, १० तारीख की शाम को आये। यह एक कानूनी मामला था और मैं नहीं जानता था कि इसमें क्या किया जा सकता है। अतः मैंने उनसे कहा कि वह विधि मंत्री से मिलें। मैंने स्वयं विधि मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे निवेदन किया कि वह इस मामले को देख कर मुझे राय दें। विधि मंत्री ने उस मामले पर विचार किया और अगले दिन ११ मार्च को सुबह या दोपहर के लगभग मेरी उनसे बात भी हुई। विधि मंत्री ने कहा कि वे लोग उच्चतम न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं। अतः यह मामला अपील की अनुमति के लिये उच्च

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय के सामने जायेगा। नानावती को नौसैना की हिरासत में रखने का समय बढ़ाया जाय या नहीं इस प्रश्न पर बम्बई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही विचार करेगा क्यों कि उन्होंने सेना की हिरासत में रहने का मूल आदेश बम्बई उच्च न्यायालय ने ही दिया था और वही इस प्रश्न पर विचार करेगा। सवाल सिर्फ उस अवधि का था जो उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तथा अपील की अनुमति के आवेदन पत्र पर निर्णय होने के बीच की है।

मुझे बताया गया कि यदि कमांडर नानावती को इस अवधि के लिये जेल भेज दिया जायेगा, तो नौ सेना के नियमों के अनुसार, इस बात का उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

जो भी अन्तिम निर्णय होगा, उसका पालन तो किया ही जायगा। पर इस बीच की अवधि में इस बात की गुंजायश थी कि शायद उपरोक्त बात को ध्यान में रखकर विचार न किया जाता। अतः विधि मंत्री ने हमें राय दी कि जब तक कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगने के आवेदन पत्र पर निर्णय न हो जाय, तब तक सजा की कार्यान्वित को निलम्बित करने के लिये संविधान के इस उपबन्ध का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित होगा। मैं उनकी बात से सहमत हो गया। अतः मैंने बम्बई के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात की और मैंने उन्हें बताया कि इस मामले में हमारी यह राय है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैंने राज्य पाल को भी टेलीफौन किया और उनको बताया कि वे इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से बात व परामर्श करें।

इस बात की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मुख्य मंत्री ने हमारी राय मान ली और उन्होंने राज्यपाल को सारी बात समझा दी। उसके बाद राज्यपाल ने वह आदेश निकाला अतः आदेश निकालने की जिम्मेदारी राज्यपाल की है—मुख्य मंत्री की राय पर। पर वास्तव में राय हमने दी थी और उस बात को स्वीकार करना या न करना उन पर था। मेरा निवेदन है कि हमारा यह काम संविधान के विरुद्ध नहीं है।

सवाल किया जा सकता है कि यद्यपि यह संविधान की सीमा के भीतर था, पर क्या ऐसा करना उचित था। मेरा कहना है कि यह बात निर्विवाद है कि यह काम वैधानिक तथा संवैधानिक था। पर हमारे इस काम के औचित्य के सम्बन्ध में सभा में विवाद उठाना कहां तक उचित है, मैं नहीं जानता। इसीलिये मैंने ये तथ्य सभा के सामने रखे हैं। हमने उन्हें राय दी थी कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगने के आवेदन पत्र पर निर्णय होने तक के समय के लिये सजा का निलम्बन किया जाय—इसका मतलब है, मैं ठीक ठीक तो बता सकता कि इसमें कितने दिन लगेंगे, कि यह कुछ ही दिनों की बात थी। उसके बाद यदि अपील स्वीकार हो जायगी, तो मामले पर उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय विचार करेंगे। उस समय नानावती को नौसेना की हिरासत में रखने की अवधि को बढ़ाने के प्रश्न पर अर्थात् अपने मूल आदेश को बढ़ाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय विचार करेंग। मैं नहीं बता सकता कि वह क्या निर्णय करेंगे। पर हमारा कार्य तो इस थोड़े से समय के सम्बन्ध में था। हमने राज्यपाल द्वारा निकाले गये आदेश को अभी देखा नहीं है। अतः मैं अभी ठीक ठीक नहीं कह सकता कि उसमें क्या कहा गया है। पर हमारा इरादा तो सिर्फ यही था और उनके आदेश में जो कुछ भी कहा गया होगा, वह इसी को पूरा करने के लिय कहा गया होगा। मेरा निवेदन है कि यह कार्य असंवैधानिक नहीं है और जिन परिस्थितियों में यह कार्य किया गया है, वह ठीक है और न्यायिक प्राधिकार के प्रति किसी प्रकार का असम्मान प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल को राय देने का क्या औचित्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्रियों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखती है। यह मामला हमारे पास मुख्य मंत्री द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भेजा गया था। अतः हमने उनको अपनी राय दे दी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह एक ऐसा मामला है जिस पर संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार राय दे सकती है, तो मुझे इस बात पर विचार करना होगा कि चर्चा की अनुमति दी जाय या नहीं। मैं उन सभी बातों पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूँ जिनके लिय केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी हो। जिन मामलों के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी न हो, उनके सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति देना ठीक नहीं होगा।

श्री महन्ती ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है। उन्होंने मेरा ध्यान संविधान के अनुच्छेद १६१ की ओर आकृष्ट किया है। अनुच्छेद १६१ के अधीन राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार है। यह राय अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य मंत्री द्वारा मांगी तथा उन्हें दी गयी थी। अतः संविधान के अधीन राज्यपाल ने हस्ताक्षर करके दण्ड को निलम्बित किया है और अनुच्छेद १६१ के अधीन उन्हे ऐसा करने का अधिकार है।

सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार को कोई राय देने की जरूरत नहीं थी और राज्यपाल को स्वयं ही यह कार्य करना चाहिये था क्यों कि वह राज्य के प्रधान हैं। मैं विधि मंत्री से पूछता हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन केन्दीय सरकार को राय देने का अधिकार है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : संविधान के अनुच्छेद २५६ में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के प्रशासकीय संम्बन्धों की व्यवस्था है और इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्यों के मामले में केन्द्र के संवैधानिक अधिकारों का क्षेत्र उन पर लागू होता है। इसी उपबन्ध द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग केन्द्र राज्यों के सम्बन्ध में करता है और राज्यों को उन्हें मानना पड़ता है। पर इस राय का मामला उस अनुच्छेद के अधीन नहीं आता। यह एक ऐसी राय है जो राज्यों तथा केन्द्र के दैनिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में सामान्य रूप से दी जाती है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा)** : क्या संविधान में इसकी अनुमति है?

†**श्री अ० कु० सेन** : जब तक कि संविधान में कोई निषेध न हो, तब तक मैं समझता हूं कि यह कोई संवैधानिक अनौचित्य नहीं है कि प्रधान मंत्री या गृह कार्य मंत्री या केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे मामले पर राय दें, जो कि पूर्णतः राज्य के क्षेत्राधिकार का मामला हो। यह राज्य का काम है कि वह उस राय को माने या न माने यदि यह राय संविधान के भाग ११ के अध्याय २ के अधीन दी गई होती तो राज्य को यह अधिकार न होता कि वह उसे चाहे माने और चाहे न माने। राज्यों के अनेक विषयों के मामलों में, जो कि पूर्णतया राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जैसे कृषि, शिक्षा तथा अन्य अनेक मामले जिनके बारे में राज्य को पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार होते हैं, केन्द्र लगातार तथा व्यापक रूप से अपनी राय देता है। राज्य उस राय को माने या न माने यह उसकी इच्छा की बात है। यह तो राज्य के सामान्य कार्य के सम्बन्ध में राज्य ने केन्द्र की राय मांगी थी। प्रधान मंत्री ने यह बात अच्छी तरह जानते हुये कि राज्य सरकार उनकी राय को माने या न माने, अपनी राय दी थी। पर इस मामले में राज्य सरकार ने उनकी बात मान ली। वे चाहते तो उनकी राय को न मानते। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधान मंत्री राज्य के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी मामले पर अपनी राय न दें सकें। मैं समझता हूँ कि वह दिन कभी भी नहीं आयेगा, जब केन्द्र राज्यों को अपनी राय देने से इन्कार करेगा।

---

†मल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र ने जो राय दी है वह अनुच्छेद २५६ के अधीन दिये गये किसी निदेश के समान नहीं है। केन्द्रीय सरकार को हक था कि वह राय दे या राय न दे और उसी तरह सरकार को भी अधिकार है कि वह केन्द्र की राय को माने या न माने। यदि अनुच्छेद २५६ के अधीन निदेश के रूप में राय दी गयी होती, तो राज्य को मानना आवश्यक होता और उसे न मानने पर यह समझा जाता कि वहां संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गयी है और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अतः माननीय विधि मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि जो राय दी गयी है, यह अनुच्छेद २५६ के अधिकारों के अधीन नहीं दी गयी है।

केन्द्र ने स्वेच्छा से यह राय दी है। वह चाहता तो राय न देता। इसी तरह राज्य भी चाहता तो केन्द्र की राय न मानता। राज्य चाहता तो राय न मांगता—उसे यह भी अधिकार है।

ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि क्या इस सभा में हम राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चला सकते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य का प्रधान है और राज्य में वहां का विधान मंडल है। मेरा विश्वास है कि यह मामला इस सभा के विचार का नहीं है। यह सभा इस मामले पर विचार करने के लिये समर्थ नहीं है।

†**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मंत्री ने कहा कि वह इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि इस तरह की बातों से उलझनें पैदा होती हैं, मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार अनौपचारिक परामर्श देने का काम कम से कम करे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अनौपचारिक परामर्श तो अधिकाधिक मामलों में देना पड़ता है। ऐसे मामले तो इक्के-दुक्के ही होते हैं। पर मोटे तौर पर, जैसाकि विधि मंत्री ने कहा, राज्य सरकारों तथा प्रधान मंत्री, गृहकार्य मंत्री, विधि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के बीच अनौपचारिक राय-बात तो होती ही रहती है। इस का मतलब कोई निदेश देना नहीं होता बल्कि इस का मतलब है एक दूसरे की मदद करना वे हम से राय मांगते हैं, हम उन से राय मांगते हैं और यही क्रम चलता रहता है। अतः यह कहना बड़ी अजीब बात होगी कि हम अनौपचारिक राय नहीं देंगे केवल निदेश ही देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच अनेक प्रकार के परामर्श होते रहते हैं पर केन्द्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह सारी बातें सभा के सामने रखे। कई बार सरकार ऐसी बातों के सम्बन्ध में कह देती है कि जानकारी गोपनीय है और सभा को नहीं दी जा सकती। उसी तरह यदि प्रधान मंत्री ने कह दिया होता कि हमारे बीच जो कुछ बात हुई है वह गोपनीय है, तो हमें इतनी उलझन न होती।

मैं औचित्य प्रश्न से सहमत हूं और मैं संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहता। यह राज्यपाल के स्वविवेक का प्रश्न है और उस के बारे में मैं सभा में चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री गोरे (पूना)** : इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वविवेक का प्रयोग गलत है या सही, इस का निर्णय करने का अधिकार इस सभा को नहीं है।

मैं औचित्य प्रश्न से सहमत हूं और इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : यह मामला इतना छोटा नहीं है कि इस पर टैक्निकल दृष्टिकोण से विचार किया जाये। क्या यह मामला यह नहीं प्रकट करता कि एक वर्ग के व्यक्तियों को अन्य लोगों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने राय देने की बात कही। पर वरिष्ठ अधिकारियों की राय का मतलब लगभग आदेश ही होता है।

कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि कमाण्डर नानावती कुछ दिनों के लिये जेल चले गये होते, तो क्या वह अपने पद पर वापिस नहीं जा सकते थे। अतः यह कहना गलत है कि राज्यपाल ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया है। कुछ असाधारण मामलों में ही ऐसा किया जाता है।

अभी यह मामला न्यायाधीन है। यदि निर्णय हो गया होता और उस समय राज्यपाल अपने अधिकार का प्रयोग करते, तो वह एक उचित बात होती। पर यह तो कुछ दिनों की ही बात थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के हस्तक्षेप से न्यायतंत्र का अपमान होता है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिये चार बातें आवश्यक होती हैं—विधान मंडल, स्वतंत्र न्यायतंत्र, स्वतंत्र लेखा-परीक्षा विभाग तथा लोक सेवा आयोग। इन में से एक का भी भंग होना, लोकतंत्र के लिये एक बड़ा खतरा है। सरकार के इस आचरण से सम्पूर्ण देश को बड़ा आश्चर्य व क्षोभ हुआ है।

†**श्री त्यागी** : आप ने कहा कि संविधान के क्षेत्राधिकार के बाहर दी गयी किसी राय के संबंध में इस सभा में विचार नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई राय को इस सभा के क्षेत्र के बाहर मानते हैं, तो इस का मतलब यह होगा कि मंत्रियों द्वारा दी गयी राय पर सभा का कोई नियंत्रण नहीं होगा। हमारे मंत्रियों द्वारा किसी मामले में दी गई राय हमारी जिम्मेदारी है। अतः हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में न्यायतंत्र के मामले में हस्तक्षेप न कर के नौसेना के नियमों को निलम्बित किया जाता, तो बहुत उचित होता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–पूर्व) : मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल ने जो काम किया है वह मुख्यमंत्री तथा केन्द्र की राय के आधार पर किया है। यही नहीं हमारे प्रधान मंत्री की राय पर राज्यपाल ने यह काम किया है। अतः यह प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी है, यह स्पष्ट है।

यह बात तो स्पष्ट ही है कि एक व्यक्ति के प्रति पक्षपात किया जा रहा है। न्यायतंत्र के मामले में हमारे प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था और उन के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राज्यपाल ने यह कदम उठाया है। जहां तक इस प्रश्न के संवैधानिक पहलू का सवाल है प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसा काम किया है, जिस के लिये वह इस सभा के सामने जिम्मेदार है। जब प्रधान मंत्री तथा उन की सरकार पर उचित रूप से तथा पूरी-पूरी जिम्मेदारी है, तो हम लोग चर्चा की मांग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे और हमें चर्चा का अवसर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा दी गई राय को कोई भी राज्य सरकार या मुख्य मंत्री सामान्य रूप से अस्वीकार नहीं करता। यदि मेरा समाधान हो जाता कि संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार का दायित्व था कि वह राय देती और राज्य भी उस राय को मानने के लिये बाध्य होता, तो मैं चर्चा की अनुमति दे देता। पर यहां न तो केन्द्र की जिम्मेदारी है और न राज्य उसे मानने के लिये बाध्य है। जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा अनेक मामलों में केन्द्रीय सरकर राज्य सरकारों को अपनी राय देती रहती है, पर यह राय संविधान के अधीन नहीं होती केवल अनुभव

---

†मूल अंग्रेजी में

के आदान-प्रदान के लिए या शासन को सुव्यवस्थित करने के लिये होती है । इस तरह तो ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि यदि राज्य का कोई काम होगा और वह केन्द्र की राय पर किया गया हो, तो उस पर आप यहां रोजाना चर्चा की मांग करते रहेंगे । ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता कि भविष्य के लिये कोई उदाहरण बने, जिसे समय बरबाद करने के लिये प्रयोग किया जाये ।

माननीय सदस्यों को मैं ने अपनी बातें कहने का अवसर दे दिया है । मैं ने जो विनिदेश दे दिया है, उसे मैं बदलूंगा नहीं । मैं औचित्य प्रश्न से सहमत हूं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

†**अध्यक्ष महोदय** : एक और स्थगन प्रस्ताव है जिस की सूचना श्री राजेन्द्र सिंह ने दी है । इस विषय पर कुछ समय पूर्व आधे घंटे की चर्चा हुई थी । माननीय मंत्री ने बताया था कि मामले की जांच के लिये वाइस-चान्सलर ने एक समिति नियुक्त कर दी है । समाचारपत्रों से पता लगता है कि विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर तथा अन्य सदस्यों ने भी त्यागपत्र दे दिया है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आज और कल चर्चा होने वाली है । यदि आप अनुमति दें, तो कल दोपहर बाद मैं सारी स्थिति स्पस्ट कर दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : जहां तक मुझे पता है कि माननीय मंत्री के पास वाइस-चान्सलर ने एक टिप्पण भेजा था, जिस में उन्हों ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण किया था । माननीय मंत्री ने उन बातों को सभा से छिपा लिया है । दूसरे, इस जांच समिति के सदस्य शिक्षा मंत्रालय के नामजद सदस्य थे और टेकनिकल दृष्टिकोण से वह वाइस-चान्सलर के अधीन नियुक्त किये गये थे । ये दोनों बातें बड़ी गंभीर हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं चाहता था कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक विवाद पैदा हो और कई महीने से मैं इन बातों को टालता आया हूं पर अब माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मैं ने कुछ तथ्य छिपा लिये हैं, अतः अब मैं कल अपने मंत्रालय के मांगों पर चर्चा हो जाने के पश्चात् सभा के सामने सारी बातें प्रस्तुत कर दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : माननीय मंत्री को कल सुबह एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहिये ताकि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने के पूर्व हमें सारी स्थिति का पता लग जाये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि सभा चाहती है कि मैं अनुदान की मांगों की चर्चा से पहले वक्तव्य दूं, तो मैं कल ऐसा ही करूंगा । कल प्रश्नों के बाद मैं वक्तव्य दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : १० मार्च, १९६० को जब सामान्य बजट पर चर्चा का अन्तिम दिन था माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने चर्चा में भाग लिया था। अपने भाषण के दौरान उन्हों ने जो बातें कहीं उन में से कुछ बातों पर उसी समय आपत्ति उठायी गई थी। उपाध्यक्ष महोदय ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि वे उन बातों को चर्चा में से हटा देने की वांछनीयता पर विचार करेंगे।

तत्पश्चात् मुझे श्री गोरे का पत्र प्राप्त हुआ ; उन्होंने उन अंशों की ओर ध्यान दिलाया है और उन्हें निकाल देने को कहा है ; उन का मत है कि उन के सम्बन्ध में क्षमा मांगी जाय। इस सम्बन्ध में विशेषत: दो बातों पर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है और उन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की पूर्व सूचना भी दी गई है। मैं उन्हीं दोनों अंशों तक अपने को सीमित रखूंगा। मैं ने इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय से परामर्श कर लिया है और उन्हों ने सोच विचार कर इस का निर्णय किया है। पहिला अंश इस प्रकार है। श्री महन्ती ने ८ मार्च को अपने भाषण में कुछ बातें कहीं थीं ? उस भाषण का उल्लेख करते हुए प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था :

> "उनका यह कहना गलत है कि प्रतिरक्षा का व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है, यदि वह यह सोचते हैं कि सभा की ओर से नैतिक स्वीकृति देने का उन्हीं को हक है तो वह गलती पर हैं, इस प्रकार के दिमागी रवैये का इलाज कुछ और हो सकता है। भाषणों द्वारा मेरे उत्तर दिये जाने से उसको दूर नहीं किया जा सकता।"

जहां तक इस अंश को हटाने का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में यह पूर्वदृष्टांत रखना चाहता हूं कि जब कोई माननीय मंत्री यहां कोई वक्तव्य दें तो उस में से कुछ अंश निकालने के बारे में मैं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करूंगा और न ही अध्यक्ष पद पर पीठासीन कोई सदस्य इस अधिकार का प्रयोग करेगा। जब सभा या अध्यक्ष का यह मत हो कि अमुक अंश उचित नहीं है तो मंत्री महोदय स्वयं सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करें अथवा अपने शब्द वापस ले लेवें। मेरे विचार से ऐसा करना अधिक उपयुक्त होगा।

दूसरा अंश श्री मुरारका द्वारा दिये गये भाषण से सम्बन्ध रखता है। प्रतिरक्षा मंत्री ने पहिले १९५९ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पढ़ा, जो इस प्रकार है :

> "लोक लेखा समिति के कई बार कहने तथा मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारी इन उपबंधों की उपेक्षा करते रहे हैं। कई इंजीनियर डिवीजनों में यह बात देखी गई है कि व्यपगत अनुदानों को या आवंटित राशि से अधिक खर्च की गई राशि को छिपाने के लिए झूठा हिसाब बनाया गया है"

इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा :

> "यदि यह बात लेखा परीक्षक ने नहीं कही होती तो मैं कहता कि यह आरोप द्वेषपूर्ण है तथापि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं।"

संविधान के अधीन महालेखा परीक्षक को यह अधिकार है कि वे बिना भय और पक्षपात के अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। हम उनके कार्य के सम्बन्ध में इस प्रकार आक्षेप नहीं कर सकते हैं भले ही उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द कठोर हों। उपाध्यक्ष महोदय का भी यह कहना है कि इन शब्दों को नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे

---

†मूल अंग्रेजी में

इन शब्दों को वापस ले लेवें और आगे भी महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में किसी के द्वारा कोई ऐसी बात न कही जाय जिससे उनकी स्थिति पर आघात हो ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : क्या आप को महालेखा परीक्षक से कोई पत्र मिला है ? यदि मिला है, तो उसे सभा पटल पर रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उनका पत्र प्राप्त हुआ है । लेकिन उन्होंने उस पर 'गोपनीय' लिखा है, इसलिए उनसे पूछे बिना मैं इसे सभा पटल पर नहीं रख सकता । उन्होंने इसका संवैधानिक पहलू लिया है । उन्होंने कहा है कि संविधान के अधीन वे गलतियां निकालने के अधिकारी हैं । उन्हें इस प्रकार की भाषा का उपयोग केवल इसी कारण करना पड़ा कि उन्होंने बार बार ये ही गलतियां देखीं । उन पर जो आरोप लगाया है उस पर उन्होंने आपत्ति की है । उन्होंने कहा है कि यदि उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें कही जायेंगी तो उनके तथा उनके सहकारियों के लिए काम करना कठिन हो जायेगा ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मैं इन अंशों के बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उससे न केवल भ्रांति पैदा होने की आशंका है अपितु इससे मेरे खेद प्रकाशन को भी अपूर्ण समझा जायेगा । मुझे अफसोस है कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया जिनका अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया और आपके आदेशानुसार मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री के खेद-प्रकाशन को स्वीकार किया जाय, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों के लिए बिना किसी शर्त के खेद प्रकट किया है । ये सभी बातें वाद-विवाद के अभिलेख के अन्तर्गत आ चुकी हैं अतः उन्हें वहां से हटाया नहीं जायेगा बल्कि प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अपने शब्दों के वापस लिये जाने का उल्लेख भी उस में रहेगा ।

सभा पटल पर रखे पत्र

नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का तथा नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत २६ जून, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिए नेशनल इंस्ट्रुमेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परिक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । [देखिये संख्या एल० टी० १९८६/६०]

(दो) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिए नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९८८/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम और काफ़ी अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्तियां

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० २२० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९८९/६०]

(दो) काफ़ी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कहवा नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २७४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९९०/६०]

आसाम के पृथक क्षेत्रों के लिय मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधनों के बारे में अधिसूचना

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत आसाम के पृथक क्षेत्रों के लिए मोटर गाड़ी नियम, १९४२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ जनवरी, १९६० के आसाम गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जेयूडी २६/५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९८७/६०]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०, जो लोक-सभा द्वारा ७ मार्च, १९६० को पारित किया गया था ।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, जो लोक-सभा द्वारा ८ मार्च, १९६० को पारित किया गया था ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ८ फरवरी, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :

१. विनियोग विधेयक, १९६०

२. आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६०

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "१७ फरवरी, १९६० को एक विद्यार्थी द्वारा दिल्ली के सेन्ट स्टीफ़न्स कालेज हास्टेल में कथित आत्महत्या ।"

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सेंट स्टीफ़ेन्स कालेज दिल्ली के प्रिंसिपल ने सूचित किया है कि १७ फरवरी, १९६० को होस्टल में जब श्री कमल रिखी के, जो फर्स्ट इयर इकॉनामिक्स (आनर्स) के विद्यार्थी थे, कमरे की खिड़की को, जो अन्दर से बन्द थी, तोड़ कर खोला गया तो उन्हें चारपाई पर मरा हुआ पाया गया । श्री रिखी ने १२ फरवरी, १९६० को कालेज के डीन से किसी आवश्यक कार्य से घर जाने के लिए तीन दिन की छुट्टी की प्रार्थना की थी और उन्हें छुट्टी मंजूर कर दी गई थी । उनके कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और अन्दर से चटखनी लगी थी । खिड़की भी अन्दर से बन्द थी और उस पर मोटा परदा पड़ा हुआ था । जब उनका शव सड़ने लगा तब उनकी मृत्यु की बात मालूम हुई ।

पुलिस को बुलाया गया तथा उसने मामले की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या का मामला है । पुलिस के इस विचार की कमरे में मिले उस पत्र ने भी पुष्टि की जो मृत विद्यार्थी द्वारा लिखा गया कहा जाता है तथा जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि वह स्वयं अपने जीवन का अन्त कर रहा है । जो लोग उससे परिचित थे उन्होंने उसकी लिखावट की शिनाख्त की । उसके शव की डाक्टरी परीक्षा की गई थी । कमरे से एकत्रित साक्ष्य और वस्तुओं से इस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का निर्णय नहीं किया जा सका है ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : दिल्ली में विद्यार्थियों की आत्महत्या की यह पहली ही घटना नहीं है । इस से पहले भी इस प्रकार की दो, तीन चार घटनायें हो चुकी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है, और क्या कोई ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनायें आगे न हो सकें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यही एक उदाहरण है, कारणों को ढूंढने की कोशिश की मगर पता नहीं लगा कि किस वजह से इस लड़के ने आत्महत्या की ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों के लिए एक कल्याण अधिकारी होना चाहिए जो होस्टलों की देखभाल करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

विधि मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब विधि मंत्रालय की मांग संख्या ६९ और ७० पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हों वे अपने कटौती प्रस्तावों की संख्यायें १५ मिनट में सभा-पटल पर भेज दें । यदि वे सदस्य सभा में उपस्थित होंगे जिनके नाम में वे कटौती प्रस्ताव हैं और वे कटौती प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल होंगे तो उन्हें प्रस्तुत किया गया समझ लिया जायेगा ।

वर्ष १९६०–६१ के लिये विधि मंत्रालय के बारे में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६९	विधि मंत्रालय	२५,५७,००० रुपये
७०	निर्वाचन	८८,९२,००० रुपये

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) : इस मंत्रालय के सम्बन्ध में अनेक विषय हैं परन्तु मैं उन सब की चर्चा नहीं करना चाहता । मैं केवल निर्वाचनों, न्याय प्रशासन और विधि व्यवसाय की दशा के सम्बन्ध में ही कुछ निवेदन करूंगा ।

निर्वाचनों के सम्बन्ध में हमें हाल में केरल में हुए निर्वाचन से कुछ सबक लेना चाहिए । इसके सम्बन्ध में पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कैथोलिक पादरियों ने धर्म के आधार पर जो धमकियां दीं वह एक बड़ी गंभीर चीज है । त्रिवेंद्रम के बिशप ने यह आदेश दिया था कि जो कैथोलिक लोग साम्यवादी और क्रांतिकारी समाजवादी दलों में हैं उन्हें जाति से निकाल दिया जाना चाहिए और धार्मिक संस्कारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि किसी दल के विरुद्ध प्रचार करना तो ठीक है परन्तु इस प्रकार की धार्मिक धमकियां देना अत्यन्त अनुचित है । आप जानते हैं कि कैथोलिक लोगों की नरक के सम्बन्ध में क्या धारणा है । उनका विचार है कि यदि किसी कैथोलिक को चर्च का समर्थन नहीं प्राप्त होता तो वह सदा के लिए नरक में भेज दिया जायेगा । हमारे यहां फिर भी कुछ सीमा है कि एक व्यक्ति इतने समय तक नरक में रहता है और फिर स्वर्ग में जाता है । परन्तु कैथोलिक लोगों की धारणा है कि नरक से छुटकारा नहीं मिलता है । इसलिए इस प्रकार की धमकी कैथोलिकों के लिए अत्यन्त भयोत्पादक एवं भयंकर है ।

मेरा निवेदन है कि यदि निर्वाचनों में इस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं तो उन्हें अनुचित प्रभाव के कदाचरण के अन्तर्गत लाया जा सकता है । इस प्रकार की धमकियों को फौजदारी अपराध बना देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न किया जा सके । स्वतंत्र निर्वाचन की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की धमकियां न दी जा सकें । इस प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए इसीलिए मैं ने यह सुझाव रखा है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस बात का निर्देश मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि केरल में साम्यवादी दल की हार हुई है, वरन् निर्वाचन ठीक तरह हो सकें इसलिए मैं ने यह संकेत किया है । राजनैतिक प्रचार तो जितना भी हो सके किया जाय परन्तु धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।

दूसरी बात केरल के सम्बन्ध में यह है कि विभिन्न दलों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किये हैं । १९४८ के बाद वहां ५ निर्वाचन हो चुके हैं परन्तु पहले ऐसा कभी नहीं हुआ । यह बड़ी गंभीर

†मूल अंग्रेजी में

बात है । परन्तु खेद है कि निर्वाचन आयोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं चाहता हूं कि इन आरोपों के सम्बन्ध में जांच की जाय । उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रमुख पत्रों ने दो मत-पत्रों के फोटो प्रकाशित किये थे जिन के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि वे एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान-केन्द्र में पेटी से बाहर पड़े पाये गये थे । उन मत-पत्रों पर कांग्रेस के पक्ष में मत अंकित किये गये थे । इसके सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी चाहिए थी कि क्या किसी निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस को हराने के उद्देश्य से कोई गड़बड़ की थी । हम यह नहीं चाहते कि हम कांग्रेस के वोट चुरा कर चुनाव जीतें । इसके अतिरिक्त एक चीज यह भी नोट करने की है, कि उन में से एक मत-पत्र पर १ लाख के लगभग संख्या अंकित थी तथा दूसरे पर ७ लाख और कुछ की जबकि उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या केवल १,५०,००० थी । स्पष्ट है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में ६ लाख मत-पत्र नहीं दिये जा सकते । इसलिए इसके सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी चाहिए थी । और भी बहुत से आरोप हैं जिनका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता । मैं चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जाय ।

इसके अतिरिक्त एक बात केरल में यह भी हुई कि समस्त मतदान एक ही दिन रखा गया । सुव्यवस्था की दृष्टि से तो यह ठीक है परन्तु इस में लोगों की स्वतंत्रता पर आघात हुआ क्योंकि एक मतदान केन्द्र में एक से अधिक पुलिस के सिपाही नहीं रखे जा सके और परिणामस्वरूप गुण्डों को गड़बड़ करने का मौका मिल गया । उन्होंने वास्तविक मतदाताओं को भगा दिया और जाली लोगों से वोट डलवा दिये । प्रभावशाली दल के लिए ऐसा करना कोई कठिन काम नहीं है । इसलिए भविष्य में जब निर्वाचन हों तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

जहां तक मत-पत्रों का सम्बन्ध है उनका कागज़ बहुत पतला था और स्याही इतनी गाढ़ी थी कि चिह्न दूसरी ओर दिखाई पड़ते थे । यह ठीक नहीं है क्योंकि इस में गोपनीयता समाप्त हो जाती है । भविष्य में ऐसा नहीं होने देना चाहिए । या तो कागज़ मोटा होना चाहिए या उसकी कई तहें करके पेटी में डाला जाय ताकि चिह्न दिखाई न पड़े ।

जहां तक मत-गणना का प्रश्न है मैं समझता हूं एक गणना एजेन्ट चार मेजों की देखभाल नहीं कर सकता जैसा कि केरल में किया गया था और जैसा अधिकांश राज्यों में होता है । या तो देखभाल की जरूरत ही न रहे या अगर देखभाल की जाय तो उसका प्रबन्ध ठीक होना चाहिए । एक एजेन्ट दो मेजों से अधिक की देखभाल नहीं कर सकता है ।

निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्देश मैं फोटो प्रणाली का करना चाहता हूं जो कलकत्ता में शुरू की गई है । इस में अनेक कठिनाइयां हैं । महिलायें चाहती हैं कि उनके फोटो महिला फोटोग्राफर ही खींचें । इस के अतिरिक्त शुरू में जिस ढंग से फोटो खींचे गये वह भी ठीक नहीं था क्योंकि लोगों को एक बोर्ड लेकर खड़ा किया जाता था जिसमें उनकी क्रम संख्या अंकित रहती थी । परिणामस्वरूप ३,४०,००० मतदाताओं में से लगभग एक लाख के फोटो नहीं खिंच सके हैं । जाली वोट रोकने के लिए यह प्रणाली है तो ठीक परन्तु उस में बहुत से लोग मत देने से वंचित रह जायेंगे जिन के फोटो नहीं होंगे । यदि अन्य स्थानों में इस प्रणाली को चालू किया गया तो और भी अधिक लोग मत नहीं दे सकेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोग फोटो खिंचाने के लिए तैयार होंगे । इसलिए मेरा विचार है कि यह प्रणाली ठीक नहीं है ।

इसके बाद मैं न्याय प्रशासन के प्रश्न पर आता हूं । विधि आयोग ने संकेत किया है कि न्याय प्रशासन संबंधी कृत्यों का गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय में विभाजन उचित नहीं

[श्री साधन गुप्त]

है। वास्तव में वह अंग्रेज़ी शासन की देन है जो खत्म किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने यह भी कहा है कि कई मामलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता से भिन्न आधारों पर की गई है। इस प्रकार नियुक्ति किए जाने से न्यायिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। मेरा विचार है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम गृह मंत्रालय से लेकर विधि मंत्रालय को दे दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि गृह मंत्री मुख्यतः राजनैतिक व्यक्ति होता है जबकि विधि मंत्री ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो कानूनी जानकार होता है। ऐसा करने से न्याय प्रशासन में सुधार हो सकेगा।

इस संबंध में मुकदमेबाजी के खर्च को कम करने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। मैं उनमें से एक-दो का ही निर्देश करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लेख-पुस्तकों के मुद्रण में बहुत व्यय होता है। उन्हें साइक्लोस्टाइल कराया जा सकता है। इसमें न्यायालयों को कुछ असुविधा अवश्य होगी परन्तु मुकदमेबाजों की असुविधा को देखते हुए वैसा किया जाना आवश्यक है।

श्रम सम्बन्धी विवादों का निर्देश करना भी अत्यन्त आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय में मामलों की पैरवी करने में इतना खर्च आता है कि श्रमिक उसका भार नहीं उठा सकते। इसलिए उनके पक्ष का प्रतिनिधित्व या तो होता ही नहीं है या ठीक तरह नहीं हो पाता है। अनेक मामलों में एकतरफा फैसला हो जाता है। इसके लिए मैं न्यायालय को दोषी नहीं कहता। सरकार को चाहिए कि वह मज़दूरों की सहायता करे ताकि उनके पक्ष की बात न्यायालय के समक्ष कही जा सके और सही फैसला हो सके। इसके लिए सरकार को कोई स्थायी सलाहकार नियुक्त करना चाहिए जो महाधिवक्ता के स्तर का हो।

अंत में मैं विधि व्यवसाय की दयनीय स्थिति के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ वकीलों की आमदनी तो बहुत अधिक है परन्तु अधिकांश की आमदनी बहुत कम है। सरकार को वकीलों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए जिसमें इस समस्या का कोई हल निकाला जाय। विभिन्न न्यायालयों के लिए वकीलों के मण्डल बनाए जा सकते हैं जो मिलकर काम करें और जो आमदनी हो वह उनमें बराबर बराबर बांट दी जाय। इस प्रकार की योजना का ब्यौरा इस समय नहीं दिया जा सकता है परन्तु इस ओर कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है।

इसलिए मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : **अगस्त १६५७ में विधि मंत्री सम्मेलन हुआ था। आज दो वर्ष पश्चात् हमें जो पुस्तिका दी गई है उस में लिखा है कि उक्त सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है।**

विधि आयोग का प्रतिवेदन १६५८ को प्रस्तुत किया गया था तथापि उस की सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष अगस्त में किसी पहाड़ी स्थान में पुनः विधि मंत्रियों का सम्मेलन होगा।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

१९५९—६० के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि उन के यहां दो महत्वपूर्ण विभाग हैं। पहिला विधि कार्य विभाग और दूसरा विधान निर्माण विभाग। पहिले मैं विधि कार्य विभाग के काम पर आता हूं। इस विभाग का कार्य विदेशों से किये जाने वाले समझौतों, संधियों इत्यादि के मसविदे तैयार करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत से सम्बन्धित मसौदे की जांच भी यहीं की जाती है। केन्द्र तथा राज्य कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने या न चलाने इत्यादि की राय भी यहीं दी जाती है तथापि विधि के प्रशासन का कार्य इन के हाथ में नहीं है। मेरे विचार से मंत्रालय को यह कार्य भी करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने कहा है कि न्याय प्रशासन को गृह-मंत्रालय के हाथों में रखना न केवल अनुचित है अपितु इस से न्याय प्रशासन में भी बाधा पैदा होती है। वस्तुतः यह अंग्रेज़ी शासन की विरासत है जबकि गृह-मंत्रालय का प्रभार अंग्रेज़ के हाथों रहता था और विधि मंत्रालय का कार्य भारतीय करता था तथापि अब स्थिति बदल गई है। अतः राज्य तथा केन्द्र में न्याय प्रशासन के समन्वय की दृष्टि से यह कार्य विधि मंत्रालय को ही दिया जाना चाहिये।

वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि केन्द्र में एक सक्षम विधि मंत्रालय की स्थापना की जाय जिस में अनुभवी व विधि शास्त्र के जानकार कर्मचारी रखे जायें। वे राज्यों के उच्च न्यायालयों में योग्य कर्मचारी रखने तथा भारतीय न्यायिक सेवा के संचालन का कार्य करें। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि न्याय प्रशासन विधि मंत्रालय के हाथों में आ जाना चाहिये।

अब मैं गरीबों को विधि सम्बन्धी सहायता देने के प्रश्न पर आता हूं। इस विषय पर मंत्रालय का न्यायिक विभाग विचार कर रहा है। तथापि यह ज्ञात नहीं हो सका है कि मामला किस स्थिति में पहुंचा है। मेरे विचार से गरीब व्यक्तियों को विधि-सहायता देना उतनी ही आवश्यक है जितना भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। श्री ई० जे० कोहन का भी यह मत है कि लोक कल्याणकारी राज्य में गरीब और दुर्बल वर्ग की शोषण व अनाचार से रक्षा के लिये उसे विधि-सम्बन्धी सहायता देना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विधि आयोग में कहा गया है कि : लोक कल्याणकारी राज्य को अपना कर्त्तव्य समझना चाहिये कि वह गरीबों को विधि-सम्बन्धी सहायता दे और उस के लिये उचित राशि की व्यवस्था करे। विधि जीवी व्यक्तियों को इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेंदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये। ऐसा वे, गरीबों को विधि सम्बन्धी सहायता देने वाली संस्थाओं में सम्मिलित हो कर या गरीबों को मुफ्त या कम शुल्क ले कर कर सकते हैं।

इस योजना को सब से पहिले बम्बई सरकार ने क्रियान्वित किया तदन्तर पश्चिम बंगाल और केरल ने भी यह योजना अपनाई। मेरा सुझाव है कि भारत का प्रत्येक राज्य इस योजना को क्रियान्वित करे।

श्री साधन गुप्त ने योजना आयोग के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। मैं उन से सहमत हूं। पंजाब में भी कुछ उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय को इस मामले पर गौर करना चाहिये।

†श्री आचार (मंगलौर) : यह मंत्रालय जिस तरीके से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मुकद्दमों का संचालन कर रहा है मैं उस से सहमत नहीं हूं। सब से पहिले मैं हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलाये गये मुकदमे को लेता हूं। हमारा मामला हेग के न्यायालय में विलम्बित है। यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

मामला इस सम्बन्ध में था कि क्या पुर्तगाल को भारतीय क्षेत्र से हो कर नगर हवेली जाने का अधिकार है। पुर्तगाल द्वारा यह मामला उठाया जाने पर हम ने यह आपत्ति की थी कि इस मामले में न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। और अपना मुकदमा लड़ने के लिये हम ने प्रो० वाल्डर को नियुक्त किया जबकि इन्हों ने इयर बुक आफ इन्टरनेशनल ला नामक विधि पत्रिका में एक लेख माला निकाली, जिस में उन्होंने हमारे मामले के विरुद्ध तर्क लिखे। पुर्तगाल ने प्रो० बोरकिन को नियुक्त किया। प्रो० बोरकिन ने बहस के दौरान कहा कि मैं आप के तर्कों को ही अपनाता हूं। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वकीलों के मतों का बहुत महत्व रहता है। विधि मंत्रालय को वकील नियुक्त करते समय इस पहलू पर ध्यान देना चाहिये था और ऐसा वकील नहीं नियुक्त करना था जिस का मत हमारे बिल्कुल विपरीत है। इसीलिये मैं कह रहा था कि मुकदमा चलाने में बहुत सावधानी की जरूरत है।

अब मैं आयकर के मामलों को लेता हूं। एक आयकर अधिकारी ने प्रन्यास सम्पत्ति में भी आयकर लगा दिया इस के विरुद्ध कई अभ्यावेदन किये गये लेकिन उन का कोई लाभ नहीं हुआ। अपीलीय न्यायाधिकरण में भी यह सम्पत्ति आयकर के प्रयोजनों के लिये स्वीकार कर ली गई। तत्पश्चात् यह मामला दीवानी न्यायालय में चला वहां सरकार हार गई तत्पश्चात् इसकी अपील की गई वहां भी हार हो गई। मेरे कथन का तात्पर्य है कि इस प्रकार के मुकदमों से अनावश्यक व्यय होता है। सरकार के खिलाफ कई डिग्रियां होती हैं और सरकार को मय हर्जाने के उन की रकम चुकानी पड़ती है। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो इस राशि में बहुत कमी हो सकती है। विधि मंत्रालय को चाहिये कि वे मंत्रालय में इस कार्य के लिये एक पृथक् विभाग की स्थापना करें जो व्यय को कम करने की दिशा में विचार करे।

अब मैं न्याय-प्रशासन पर आता हूं। विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि कुछ राज्यों में न्याय प्रशासन की दशा बहुत खराब है राज्य सरकारें न्याय प्रशासन की ओर बहुत कम ध्यान देती हैं। वस्तु स्थिति से ज्ञात होता है कि न तो उचित संख्या में न्यायालय हैं और न उन में आवश्यक संख्या में अनुभवी अधिकारी ही हैं। वे इस सम्बन्ध में यह आपत्ति नहीं कर सकते हैं कि उन के पास उचित मात्रा में धनराशि नहीं है क्योंकि उन्हें कोर्ट-फीस से पर्याप्त आय होती है। अतः केन्द्र को चाहिये कि वे इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें और यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी अपेक्षित संशोधन करें।

वस्तुतः राज्यों में न्यायिक प्रशासन की दशा बहुत बुरी है। निलम्बित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामलों के निपटारे में पांच छः वर्षों का समय लगता है। मुकदमा लड़ने में बहुत व्यय होता है। कारण यह है कि न्यायाधीशों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है और इसी कारण निलम्बित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में इस समस्या पर विचार करें।

अब मैं चुनावों के प्रश्न पर आता हूं। चुनाव लड़ने का व्यय बढ़ता जा रहा है। कारण यह है कि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के नाम व नम्बर वाली सूची स्वयं छपवानी पड़ती है। विशेषतः संसद् के उम्मीदवार को इस में बहुत व्यय करना पड़ता है। चुनाव विभाग को इन सूचियों को स्वयं अपनी ओर से प्रकाशित करने पर विचार करना चाहिये।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्रालय का ध्यान दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं पहिला चुनाव याचिकाओं की ओर

†मूल अंग्रेजी में

और दूसरे मजदूरों के उन मामलों की ओर जिन की अपील उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में की गई है ।

चुनाव याचिकाओं के निर्णय के सम्बन्ध में १९५७ के पश्चात् से कुछ सुधार हुआ है । तथापि इस सम्बन्ध में अभी और सुधार की गुंजाइश है । इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह है कि याचिका देने वाला चुनाव आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करता है । आयोग इस के निर्णय के लिये सामान्यतः उस जिले के न्यायाधीश को उन का नाम लिख कर आदेश देता है । यदि उस व्यक्ति का स्थानान्तरण होता है तो वही कठिनाई पैदा हो जाती है और उस न्यायाधीश का नाम होने के कारण कोई दूसरा व्यक्ति इस मामले को नहीं ले सकता है अतः मेरा सुझाव है जिला न्यायाधीश का नाम दे कर केवल उसे निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा ।

हमारे देश के मजदूर संगठनों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है । वे लोग उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जा कर मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं । इसी बात को ध्यान में रख कर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कुछ न्यायालय बनाये गये थे । तथापि नियोजक लोग यदि न्यायाधिकरणों में मुकदमा हार जाते हैं तो वे तत्काल उच्च न्यायालयों में लेख याचिका दे देते हैं फलस्वरूप निर्णय की कार्यान्विति में विलम्ब हो जाता है । मुझे ज्ञात हुआ है कि उच्च न्यायालयों में जो मुकदमे गये उन में से ८० प्रतिशत में नियोजक लोग हार गये हैं तथापि केवल विलम्ब करने के लिये वे यह प्रक्रिया अपनाते हैं । समर्थ होने के कारण वे अच्छे से अच्छा वकील नियुक्त कर सकते हैं और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की भारी से भारी फीस दे सकते हैं जबकि मजदूर गरीब होने के कारण ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं । अतः मैं विधि मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे मजदूरों की ओर से किसी योग्य वकील को नियुक्त करने तथा उन्हें उच्चन्यायालय या उच्चतम न्यायालय में फीस से छट देने के सम्बन्ध में विचार करें । उच्चतम न्यायालय में श्रम सम्बन्धी विवादों का निपटारा करने के लिये एक विशेष बेंच नियुक्त की जाय जिस से मुकदमों का निपटारा करने में अनुचित विलम्ब न हो तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सरल व संक्षिप्त बनाया जाय ।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : ब्रिटिश युग में हम सरकार की आलोचना किया करते थे कि सरकार ने कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग नहीं किया है । स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद ५० में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाये । पर आज ११ वर्ष बीतने पर भी इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सका है । विधि आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ८५९ में कहा है कि :

> "हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है, जिस के सम्बन्ध में संसद् द्वारा विधान बनाये जाने की आवश्यकता है ।"

संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा होते समय कहा गया था कि इन दोनों विभागों को अलग करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित कर दी जाये । पर समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई क्योंकि प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस पृथकीकरण के पक्ष में है और भारत के अधिकांश भागों में यह पृथकीकरण शीघ्र ही कर दिया जायेगा । पर अभी तक भी कुछ नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में मुझे डा० रास बिहारी बोस का स्मरण आता है, जिन्होंने १९१३ में ब्रिटिश सरकार के सामने प्रश्न रखा था कि कार्यपालिका व न्याय पालिका को पृथक् क्यों नहीं कर दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबिमन घोष]

जाता। लार्ड डफरिन ने कहा था कि हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर डा० रास बिहारी ने कहा था कि वह समय आप के लिये कभी भी नहीं आयेगा। उसी तरह में चाहूंगा कि माननीय इस बात का जवाब दें कि हम यह सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हैं?

९ सितम्बर, १९५९ को हमने एक प्रश्न (तारांकित प्रश्न संख्या १२७४ क) पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि एक संघ मंत्री एक पत्रिका निकालते हैं जिसमें वह सरकार से विज्ञापन लेते हैं। इसके उत्तर में कहा गया था कि विज्ञापन देने के सम्बन्ध में हमारी नीति यह है कि हम पत्र का स्वामी कौन है इसकी छानबीन नहीं करते। इस सम्बन्ध में कई शिकायतें भी आ चुकी हैं। राष्ट्रपति के पास भी अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : जी नहीं।

†**श्री सुबिमन घोष** : वह लाभपद धारण किये हुये हैं। यह तो चुनाव सम्बन्धी बात है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कैसे ?

†**श्री सुबिमन घोष**: वह लाभ का पद धारण किये हुये हैं, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७ का उल्लंघन है, मुझे आश्चर्य है कि यह सब जानने के बाद भी सूचना व प्रसारण मंत्री ने विधि मंत्री की राय नहीं मांगी। क्या यह उल्लंघन नहीं है। विधि मंत्रालय क्या कर रहा है ?

†**श्री हजरनवीस** : मेरा निश्चित मत है कि यह लाभ का पद नहीं है और न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७ के विरुद्ध है।

†**श्री सुबिमन घोष** : तो फिर कोई भी मंत्री इस तरह पत्रिका आरंभ करके सरकार से विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री मू० चं० जैन (कैथल)** : कितने मंत्रियों ने शुरू किया है ?

†**श्री सुबिमन घोष** : मैंने अपनी बात माननीय मंत्री के सामने रख दी है और मैं समझता हूं कि यह संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है।

हमारे विधि आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं है। विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के पृष्ठ १०० और १०१ पर पैरा ७५ में कहा गया है कि ब्रिटिश शासन काल में जज लोग प्राय: सामान्य जनता व कार्यकारिणी पदाधिकारियों से अलग रहते थे व क्लबों बगैरह में कम मिलते-जुलते थे। जज लोग अपनी निष्पक्षता व स्वतंत्रता के प्रति इतने सचेत रहने थे कि वे गवर्नमेंट की सीमा में भी नहीं जाते थे। पर आज कल के सम्बन्ध में उसी प्रतिवेदन के पैरा ७६ में कहा गया है कि गवर्नमेंट हाउस के निमंत्रण को जज आदेश मानते हैं और वे मंत्रियों से मिलने जाते हैं।

विधि मंत्रालय पर मुझे एक आरोप लगाना है। हमारे नये मुख्य न्यायाधिक को विधि मंत्रालय ने एक दावत दी थी, जिसमें सभी मंत्री उपस्थित थे। क्या यह उचित है। क्या यही तरीका है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी तरह एक मंत्री के घर पर एक उत्सव था। एक तैराक को सम्मान देना था, उस उत्सव में हमारे जज लोग भी उपस्थित थे। क्या यह न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं है। अतः मेरा कहना है कि हमारी कार्यकारिणी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के सम्बन्ध में सावधान नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बड़ी नाजुक चीज है, जैसे नारी का सतीत्व।

इसके पश्चात् मैं संविधान के अनुच्छेद २२२ को लेता हूं, इसमें कहा गया है कि जजों का तबादला होगा। यदि भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के जजों का तबादला होता रहे तो इससे भारत की अखंडता बनी रहेगी और वकीलों को भी नया उत्साह रहेगा। अतः मेरा निवेदन है कि दूर-दूर के उच्च न्यायालयों के जजों का तबादला दूर-दूर के उच्च न्यायालयों में किया जाना अधिक लाभदायक होगा।

औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि निक्षेप की राशि को २००० रु० से घटा कर २५० रु० कर दिया जाये। इससे मजदूरों को सुविधा होगी। मेरा निवेदन है कि यदि मालिक लोग किसी विवाद को उच्चतम न्यायालय में ले जाना चाहें और उन्होंने कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया हो, तो मालिक को पहले उन लोगों को पुनः नियुक्त करना चाहिये और बाद में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिये इससे मजदूरों, जो बेरोजगार होंगे, को कुछ सहायता मिल जायगी।

चारों तरफ यह शिकायत है कि मामलों को निबटाने में बहुत विलम्ब होता है। मेरा कहना है कि सभी मामलों में और सभी जगह बहुत विलम्ब होता है। हमारा अनुभव है कि न्यायालयों में अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जाता--मुकदमों पर। हम जल्दी मचाते हैं और जल्दी में मामले पर अच्छी तरह विचार नहीं हो पाता।

फौजदारी के मुकदमों के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। फौजदारी के न्यायालयों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३ तथा अन्य सम्बद्ध धाराओं सम्बन्धी दरख्वास्तों पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री मू० चं० जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो १ करोड़ १५ लाख रु० की डिमान्ड हाउस के सामने है, उस डिमाण्ड को तो मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन किसी कांस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में ला मिनिस्ट्री को जो अहमियत हासिल है और एक चैंजिंग एण्ड प्रोग्रेसिव समाज इस ला मिनिस्ट्री से जिन कामों और बातों का उम्मीद करता है, मुझे अफसोस है, मेरे लायक दोस्त डिप्टी मिनिस्टर साहब और ला मिनिस्टर साहब भी, तशरीफ ला रहे हैं, मुझे माफ करेंगे, वह उन की सन् १९५९-६० की रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वैसे तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ला मिनिस्टर साहब को जो पहले कैबिनेट रैंक के नहीं थे, इस महकमे की अहमियत को महसूस करते हुए, उन को कैबिनेट रैंक का बना दिया गया।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : यह उन की हैसियत के एहसास की वजह से हुआ है, न कि महकमे की अहमियत के एहसास की वजह से।

श्री मू० चं० जैन : मैं जानता हूं कि यह उन की निजी हैसियत के एहसास से हुआ है और उसके साथ महकमे की अहमियत के एहसास से भी कि हमारी कांस्टिट्यूशनल और डिमाक्रेटिक गवर्नमेंट में यह कितनी अहमियत का महकमा है।

[श्री मू० चं० जैन]

मुझ से पहले मेरे लायक दोस्त ने कई बातें कही हैं, जिन को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात की खास तौर पर, जो उन्होंने कही, तरदीद करना चाहता हूं। बंगाल में किसी मिनिस्टर ने अखबार चलाया हुआ है। उस के बारे में कहा गया कि यहां का ला महकमा उस की नोटिस ले। मुझे पता नहीं था, मैंने उस से पूछा भी था कि कितने और मिनिस्ट्रों ने ऐसे अखबार चला दिये या मैगजीन चला दीं। दरअस्ल किसी अखबार या मैगजीन को सरकार इश्तहार मिलने का क्राइटेरियन यह नहीं है कि वह किसी मिनिस्टर का चलाया हुआ है, बल्कि क्राइटेरियन यह है कि उस का सर्कुलेशन कितना है--वह कितना छपता है, उस की यूटिलिटी कितनी है। बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होने पर अगर किसी मिनिस्टर के अखबार को गवर्नमेंट के इश्तहार पहले मिलते थे या अब भी मिलते हैं तो इस में कोई पाबन्दी नहीं, और मैं तो इस से भी इत्तफाक करता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपल ऐक्ट में कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है, रुकावट नहीं है, जो इस पर आयद हो सके।

जहां तक इस महकमे की अहमियत का ताल्लुक है, मैं ने अभी जिक्र किया, और सब से पहली बात इस महकमे के सिलसिले में इंडेपेंडेंस आफ जुडीशिअरी की आती है। इस के कई सबहेड्स मैं करता हूं। एक बात सेपरेशन आफ जुडीशिअरी एण्ड एग्जिक्यूटिव की है। मैं इस को इसलिये कई हेड्स में डिवाइड करना चाहता हूं कि जैसा आज सुबह आचार्य कृपालानी ने फरमाया था, जम्हूरियत की चार बुनियादी चीजें होती हैं, जिन में एक लेजिस्लेचर और एक इंडेपेंडेंट जुडिशिअरी का होना जरूरी है। आज हमारे देश में जुडीशियरी इंडेपेंडेंट नहीं है। जिस समय तक हमारे देश में जुडीशियरी इंडेपेंडेंट नहीं हो सकी उस हद्द तक हम जम्हूरियत को पूरे तरीके से लाने में नाकामयाब रहे हैं। आज जरूरी है कि हमारे देश में प्रजाराज पनपे और जुडिशिअरी पूरे तरीके से इंडेपेंडेंट हो। इस के लिये यह जरूरी है कि जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव अलग अलग की जायें। मेरे लायक दोस्त ने मुझसे पहले ला कमिशन की रिपोर्ट की रिकमेंन्डेशन्स हाउस के सामने रक्खी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ला मिनिस्टर साहब अपने जवाब में हाउस को खास तौर पर बतलायें कि सन् १९५० से, जब कि हमारे कांस्टिट्यूशन लागू हुआ है, दस वर्ष हो गये हैं, तब से कितनी स्टेट्स में सेपरेशन आफ जुडीशिअरी एण्ड एग्जिक्यूटिव हुआ है और कितनों में नहीं हुआ है। जब कांस्टिट्यूशन की दफा ५० बनाई गई तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी उस को दोहरा कर दिखलाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर का खयाल था कि शायद तीन वर्ष की मियाद के पहले ही एग्जिक्यूटिव और जुडीशिअरी सेपरेट हो जायेंगी। लेकिन दस वर्ष बीत गये हैं, फिर भी ऐसा नहीं हो सका है।

मैं जानता हूं कि कुछ सूबों में चीफ मिनिस्टर और वहां की एग्जिक्यूटिव को कुछ ऐसा मोह हो गया है कि वह मजिस्ट्रेटों पर अपना अंगूठा रखना चाहते हैं। और अगर यह दोनों सेपरेट हो गईं तो वे उन पर अपना अंगूठा नहीं रख सकेंगी। अगर यह मिक्स्ड रहीं तो रख सकेंगे। यह बजाते खुद एक बड़ी भारी कंडेम्नेशन है अगर इस तरह की भावना चीफ मिनिस्टरों में और दूसरे मिनिस्टर्स में है और वह जिद करें और बराबर इस सवाल को टालते जायें। वक्त आ गया है कि ला मिनिस्टरी मजबूत हाथ से इस मामले में दख्लअन्दाजी करे और इस हाउस को तसल्ली तब होगी जब एक वर्ष के अन्दर स्टेट्स में सेपरेशन आफ जुडीशिअरी और एग्जिक्यूटिव लागू हो जाय इस से कोई आफत देश में आने वाली नहीं है। इस से हिन्दुस्तान के लोगों में विश्वास ज्यादा होगा और इन्साफ भी ज्यादा सही होगा। चूंकि यह डिमाक्रैसी और प्रजा राज के लिये अच्छी बात होगी इस लिये इसे जल्दी से जल्दी करना चाहिये।

इस सिलसिले में दूसरी बात इंडेपेंडेंट जजेज के अप्वाईटमेंट के बारे में है। मुझे याद है, मुझ से पहले मेरे फाजिल दोस्त ने इस की तरफ तवज्जह दिलाई थी। मैं भी अप्वाईटमेंट का जो तरीका है

उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस से ला मिनिस्ट्री का ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में ला मिनिस्ट्री वाले तवज्जह दे सकते हैं कि जो तरीका इस वक्त चालू है, वह यह है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की सिफारिश हो, चीफ जस्टिस की सिफारिश हो, फिर सुप्रीम कोर्ट की रिफारिश हो तब अप्वाइंटमेंट होता है,लेकिन एक पोलिटिकल आदमी की सिफारिश की बातें जो रक्खी गईं इस अप्वाइंटमेंट के बारे में, यह गलत है। स्टेट के चीफ जस्टिस का मश्वरा हो, गवर्नर का मश्वरा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मश्वरा तो होना ही चाहिये, किसी और एजेन्सी का हो सकता है, लेकिन मैं इस बात के १०० फी सदी खिलाफ हूं कि किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मश्वरा भी उस में होना चाहिये। मुझे याद है कि जब हाई कोर्ट में अप्वाइंटमेंट के सिलसिले में पिछले साल पार्लियामेंट में जिक्र आया था तो होम मिनिस्टर ने एक दलील दी थी, उन्होंने अदाद व शुमार दे कर बतलाया था कि पिछले दस वर्षों में कितने हाई कोर्ट के जजेज अप्वाइंट हुए हैं, शायद १०० या १५०, लेकिन उन में से शायद ही कोई ऐसा अप्वाइंटमेंट हुआ हो जब कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मश्वरे के खिलाफ काम हुआ हो। इस सिलसिले में मैं एक ह्यूमन नेचर की बात बतलाना चाहता हूं। किसी अप्वाइंटमेंट के बारे में अगर तीन आदमियों के लिये मश्वरा लिया जाये और तीन ही जज मुकर्रर किये जायें तो एक मामूली हिसाब की बात आप के सामने मैं रखता हूं। हर एक में ह्यूमन वीकनेस होती है, फरिश्तों में ही किसी तरह से न हो तो न हो, अगर वहां पर तीन आदमियों को लेना हो तो तीनों जज आपस में उन को, बांट लेते हैं कि यह तुम ले लो, यह तुम ले लो और यह मैं ले लेता हूं। और चूंकि वहां पर रिकमेन्डेशन यूनैनिमस होती है, इस लिये होम मिनिस्टर बजा तौर पर कह सकते हैं कि यूनैनिमस रिकमेन्डेशन पर काम हुआ है, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रोसीजर जहर आलूदा हो गया। वह जहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक वह आदमी कभी भी इंडेपेंडेंट नहीं हो सकता इस लिये मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर अमल किया जाय। कोई आफत आने वाली नहीं है अगर चीफ मिनिस्टर का मश्वरा न हो। उस के बगैर आज सैकड़ों नहीं हजारों अप्वाइंटमेंट हमारे देश में होते हैं। जुडीशिअरी की इंडेपेंडेंस के लिये जरूरी है कि हाई कोर्ट के जजों के अप्वाइंटमेंट में किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का कतई मश्वरा नहीं होना चाहिये।

†**श्री अमजद अली** : जजों की नियुक्ति के संबंध में संघ सरकार के विधि मंत्रालय का नाम कैसे आ सकता है?

श्री मू० चं० जैन: यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं ने इस प्वाइंट को खुद ऐडमिट किया है, लेकिन ला मिनिस्टर मश्वरा दे सकते हैं एमिनेंट लाइअर की हैसियत से।

श्री खुशवक्त राय : उसे मानेगा कौन?

श्री मू० चं० जैन : अगर पार्लियामेंट मान लेगी तो गवर्नमेंट को भी मानना होगा।

इस के बाद इस इंडेपेंडेंस आफ जुडीशिअरी के सिलसिले में मैं तीसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं, जो कि शायद मुझे रिपीट करना होगा, कि हाई कोर्ट के जज एक सूबे से दूसरे सूबे में अप्वाइंट होने चाहियें। न सिर्फ हाई कोर्ट के जजों को बल्कि दूसरे हाई आफिसर्स को भी। इस के लिये मैं स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन का हवाला भी देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि हर सूबे में जो हाई आफिसर्स हों, इन्क्लूडिंग जुडीशिअरी, वह दूसरे सूबों से ज्यादा से ज्यादा लिये जाने चाहियें। जैसा कि बजा तौर पर कहा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट में पंजाब के लोग हों, बम्बई के हों, इसी तरह से दूसरी जगहों के लिये भी होना चाहिये। अब ऐसा होता है कि आम तौर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मू० चं० जैन]

पर उसी सूबे के वकीलों को हाई कोर्ट्स के जजेज की पोजीशन पर एलिवेट किया जाता है । यह भी ठीक नहीं है । इस लिये जरूरी है कि ला मिनिस्टर इस बात की तरफ भी तवज्जह दें।

इस के बाद चौथी चीज इंडेपेंडेंस आफ जुडीशिअरी के बारे में यह रखना चाहता हूं कि अगर आज हमारा डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की तरफ ध्यान है तो मैं इसे पसन्द करता हूं, और इस का स्वागत करता हूं । लेकिन गांवों के अन्दर पंचायतें बनें, गांव के लोग ही उन पंचायतों को एलेक्ट करें, अपने वोट दे कर चुनें और उन पंचायतों के जिम्मे हम गांवों के छोटे छोटे झगड़ों का इन्साफ करने का काम भी सुपुर्द कर दें तो फिर हम उन से इन्साफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं, और मैं इस चीज की जानता हूं, मैं नहीं कहता कि उन बेचारों का स्टैन्डर्ड कुछ दूसरे लोगों से कम है, उन का स्टैन्डर्ड भी हम जैसा या हम से ऊंचा ही है, लेकिन फिर भी जिन की राय ले कर वह लोग आते हैं उन का खयाल तो रखना ही पड़ेगा । मुझे पता है, मुझे बाकायदा एलेक्शन लड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास केस आता है तो जैसी कहावत है **'सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन** ।" इस का खयाल तो रखना ही पड़ेगा । किस तरीके से उन पर हम एतबार कर सकते हैं कि वह उन लोगों के खिलाफ राय देगा, सरपंच के खिलाफ राय देगा और हमारे साथ इंसाफ करेगा?

मैं समझता हूं कि यह तो एक बहुत बुनियादी प्रश्न है । तमाम हिन्दुस्तान में पंचायती राज्य की लहर उठ रही है और वह उठनी चाहिए । लेकिन वह पंचायती राज्य में गांव की यूनिट के जिम्मे इंसाफ का काम दिया जाना मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता । उस के जिम्मे यह टैक्स वसूल करने और गांव के जितने भी बेहतरी के काम हैं सफाई वगैरह के वह सब काम आप उसको सौंप सकते हैं । लेकिन जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है, केसेज के फैसले करने का सवाल है वह बेसिक प्राइमरी यूनिट के जिम्मे नहीं सौंपा जाना चाहिए । अलबत्ता ५, ७, गांवों की एक न्याय पंचायत हो सकती है और उस यूनिट के जिम्मे यह इंसाफ का काम सौंप सकते हैं । लेकिन अगर बेसिक प्राइमरी यूनिट के जिम्मे इंसाफ का काम सौंपेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसा करके आप अपने देश में एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कि नतीजा दिन पर दिन खतरनाक ही निकलने वाला है और उसका अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं है ।

इस के बाद दूसरा जो हेड है कौस्ट आफ लिटिगेशन तो उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे देश में कौस्ट आफ लिटिगेशन बढ़ती ही जा रही है और मंहगी होती जा रही है । इसी सिल-सिले में यह देखते हैं कि कोर्ट फीस और स्टाम्प्स की लागत बढ़ती जा रही है और आये दिन हुकूमत आर्डिनेंस के जरिए यह कोर्ट फीस बढ़ा रही है । सस्ता इंसाफ लोगों को मिले, यह हमारा आदर्श है। अब इसके लिए तो खुद हमारे ला मिनिस्टर साहब हाउस को बतला सकते हैं कि इन पिछले १० वर्षों में इंसाफ मंहगा हुआ है या सस्ता । जितनी भी मुकद्दमेबाजी है, एक छोटी अदालत से लेकर ऊपर हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वह मेरे ख्याल में पिछले दिनों में मंहगी ही होती जा रही है । इस सिलसिले में एक तजवीज तो यह है कि कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस कम हो । इंसाफ हर हालत में सस्ता होना चाहिए । गरीबों के लिए फ्री लीगल ऐड की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । इस के बारे में मेरे से पहले कई आनरेबुल मेम्बरान ने तवज्जह दिलाई है और गवर्नमेंट की स्कीम भी है और स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लिखती भी है लेकिन उस स्कीम से निकला क्या । वह तो वही मसल हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया बल्कि मेरे तो कई दोस्त फरमा रहे हैं कि अरे भाई दस वर्षों से चुहिया भी नहीं निकली मेरे खयाल में हाउस के तमाम मेम्बरान और ला मिनिस्टर साहब भी इसमें मुझ से इतिफाक करेंगे

कि हमारा कानूनी ढांचा दिन पर दिन पेचीदा और साथ ही खर्चीला भी होता जा रहा है। किसी भी कम्पलेक्स सोसाइटी में, किसी भी कम्पलेक्स समाज में यह जरूर है कि कानूनी ढांचा भी कम्पलेक्स होता जायगा। जैसा सोशलिस्टिक पैट्रन हम ने तय किया है। तो कुदरती तौर पर हमारी स्टेट्स में भी और सेंटर में भी प्राग्रेसिव लेजिस्लेशन बनते हैं। अब वह कितने लूले और लंगड़े हैं वह पहलू अलग है और मैं इस मौके पर उधर ध्यान दिलाना नहीं चाहता। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रोग्रेसिव और तरक्की पसन्द कानून बनते हैं तो जिन अमीरों और सरमायेदारों पर और लैंडलार्डस पर उनका असर होता है तो वह भरसक उनके एम्पलीमेंटेशन में देर लगाते हैं और उन को लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं और जिन गरीबों के हक में यह प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनते हैं, लेबर कानून बनते हैं और लैंड लेजिस्लेशन बनते हैं वे बेचारे इस लम्बी और पेचीदा मुकद्दमेबाजी से घबड़ा उठते हैं क्योंकि सबमें बड़ी चीज तो यह है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अदालतों में मुकद्दमा लड़ते फिरें और हमारे गरीब मजदूरी पेशा लोग गरीब, काश्तकार और मुजारे लोग आकर रोते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारे लिए आफत आ गई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि उनके लिए ला सिम्पलीफाई होना चाहिए और उस से भी ज्यादा जरूरी यह चीज है कि उन के लिए फ्री लीगल ऐड का इंतजाम हो। यह सोशलिस्टिक पैट्रन का समाज जिसे कि कायम करने का हम दावा करते हैं और जैसा कि पार्लियामेंट ने सेकेंड फाइव इयर प्लान में तय किया है उसके मुताबिक यह जरूरी हो जाता है कि हम ऐसा इंतजाम करें ताकि इन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के अमल में देर न हो। उन पर तेजी से अमल किया जा सके और यह कहावत चरितार्थ न हो कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया बल्कि जैसा कि मेरे दोस्तों का खयाल है चुहिया तक नहीं निकली। उन कानूनों को अमल में लायें ताकि हम यह कह सकें कि हम जो कुछ कहते हैं उसको करने का इरादा रखते हैं और उसको अमल में भी लाते हैं।

हमारे ला मिनिस्टर साहब की जो सन् १९५९–६० की रिपोर्ट है वह एक रुटीन रिपोर्ट जैसी है। उसमें कोई विशेष चीज महत्व की नजर नहीं आती। एक तरक्की पसन्द समाज के ला डिपार्टमेंट होने के नाते तरक्की पसन्दीदगी का जिस तरह से नुमायां तौर पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए था वह भी नहीं है, सिर्फ एक रुटीन जैसा है। मैं चाहता हूं कि हमारे ला मिनिस्टर साहब उधर ध्यान दें।

इस के बाद एक और चीज मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि जब नये लेजिस्लेशन बनते हैं स्टेट्स के बारे में और जब भी कोई कानून नये बनते हैं या किसी पुराने कानून में तरमीम होती है तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस भेजने पड़ते हैं कि यह हुकूमत का मंशा है और यह उसके सैलियंट फीचर्स हैं और इस तरह से इस कानून को अमल में लाना है। लेकिन अब हालत यह है कि कानून बना लिये जाते हैं और कई कई जगह देखा जाता है कि उन कानूनों के तहत जो रूल्स और कवायद बनने चाहिएं वह साल साल और डेढ़ डेढ़ साल तक नहीं बनते हैं और उनके बने बिना अमल नहीं होता है। यह रूल्स वक्त पर बनाये जाने बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपको मिसाल देकर बतलाऊं कि क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड ऐक्ट के तहत चलने वाले मुकद्दमों में गरीबों के साथ किस तरह से अन्याय होता है। अब मान लीजिये कि एक टेनेन्ट जो कि अपनी जमीन पर काबिज है और जिसको कि लैंडलार्ड या उसके आदमी तंग करते हैं और वह इसकी फरियाद लेकर पुलिस के पास जाता है कि मेरा कब्जा है और मेरी हिफाजत की जाय तो आजकल वजाय इसके कि उसकी हिफाजत की जाय और उनको ज्यादती करने से रोका जाय पुलिस यह कार्यवाही करती है कि नक्शेअमन में वह दोनों पार्टीज को गिरफ्तार कर लेती है, लैंडलार्ड को भी गिरफ्तार कर लेती है और टेनेन्ट को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब अगर ला डिपार्टमेंट से इस बारे में एक्जीक्यूटिव आफ़िसर्स को और पुलिस के हुक्काम को हिदायतें जायें कि उन गरीब टेनेन्ट्स की जिनको कि जमींदार या उसके आदमी बिला वजह तंग कर रहे हैं और वह कानूनी तौर पर अपनी जमीन पर काबिज है तो उनको

[श्री मू० चं० जैन]

उसको तंग करने से बाज रखा जाय और यह कि उस शिकायत करने वाले काश्तकार को हैरेस न किया जाय तो वह मुनासिब होगा। मैं कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भेजने की बात नहीं करता। अदालतों को हम सलाह या इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते लेकिन पुलिस अफसरान को, एक्जीक्यूटिव और ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान को जरूर हिदायतें भेजी जानी चाहिएं कि असल में इस कानून की पीछे मंशा यह है और इसको इस तरह अमल में लाया जाय। इस तरह की हिदायतें कोई नई बात नहीं है। पहले अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह की एक्जीक्यूटिब अफसरान को हिदायतें दी जाती थीं। पुलिस के हेड आफ दी डिपार्टमेंट को इस तरह की हिदायतें दी जायं कि यह जो कानून बना है इसको इस तरह से अमल में लाया जाय और इसके पीछे सरकार की यह मंशा है। आज इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजे जाते हैं और अगर कहीं भेजे भी जाते हैं तो वह देर में भेज जाते हैं और अगर वह वक्त पर भेजे भी जाते हैं तो जो स्प्रिट आफ दी टाइम है उसके मुताबिक नहीं भेजे जाते हैं। जिस स्प्रिट में वह लेजिस्लेशन बना है उसके मुताबिक हिदायतें नहीं भेजी जाती हैं और न अफसरान उस पर जैसे कि उन्हें अमल करना चाहिए, अमल करते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरनाक नतीजा यह हुआ है कि वे लोग जो कि इस देश में इतनी बड़ी तादाद में बसते हैं और जिनके कि भले के लिये हम प्राग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाने का दावा करते हैं वे उनके फायदा से वंचित रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो हैब्स् हैं वह तो हमारे खिलाफ इसलिए होते हैं कि हम उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स के खिलाफ कानून बनाते हैं और वह गरीब अवाम भी हमारे खिलाफ इसलिए होजाता है कि उन हमारे कानूनों का उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता क्योंकि उन पर सही तौर से अमल नहीं होता है। हमारे ला मिनिस्टर साहब को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस तरह की एक रुटीन रिपोर्ट पेश कर देने और इस तरह रुटीन में काम करने से हम कभी भी अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब न हो सकेंगे और साथ ही यह बदलता हुआ समाज भी इस तरह रुटीन में काम करने के लिए हमको कभी भी माफ नहीं करेगा।

इसके बाद एगजिस्टिंग लाज़ की तरमीम का सवाल है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इस बारे में ला कमिशन की रिपोर्ट आ रही है और यह बतलाया गया है कि उनकी तरमीम होनी जरूरी है लेकिन उन रिपोर्टस को अमल में लाने में देरी हो रही है। अब यह जो लाज हैं यह आज से ५० वर्ष पहले के या २०० वर्ष पहले के समाज के मुताबिक बने थे और अंग्रेजों ने यह एविडेंस ऐक्ट और दूसरे कानून उस वक्त की जरूरत को देखते हुए बनाये थे जो कि आज के बदलते हुए जमाने में और जब कि हम एक सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, तब जाहिर है कि वे पुराने कानून आज के हालत में मुआफिक नहीं आ सकते और उनकी तरमीम होनी बड़ी जरूरी है और उस तरमीम के काम में आज जो देरी हो रही है उसकी ओर मैं खास तौर से ला मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

अब एक खास बात की तरफ मैं हाउस और ला मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हाउस के कई मेम्बरान मेरी राय के खिलाफ भी होंगे। आज के कानून के मुताबिक कनफैशन बिफोर पुलिस इनऐडमिसिबिल है। अब अंग्रेजों के जमाने में तो यह किसी हद तक समझ में आने वाली चीज थी लेकिन आज जब कि हम आजाद हो गये हैं और हमारी अपनी पुलिस है तब इस देश की आजाद पुलिस के ऊपर यह एक बड़ा धब्बा है। यह तो ठीक है कि आज भी पुलिस बहुत अच्छी नहीं हुई है और उसमें इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है तो भी इस तरह की चीज स्टैचूट में कायम रहनी पुलिस के लिए धब्बा है। आज कानून में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, कप्तान पुलिस या किसी दूसरे पुलिस अफसर के सामने आपना इकबाल जुर्म कर ले तो वह कानूनन इनऐडमिसिबल है लेकिन वही इकबाल जुर्म अगर वह किसी दूसरे अदालती

एथारिटी के सामने जुडिशिएल अफसर के सामने भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो इकबाल जुर्म कर ले तो वह ऐडमिस्बिुल हो जाता है । आज बारह साल के बाद भी हम अपनी पुलिस पर इतना ऐतबार न करें, यह कुछ जरा उचित नहीं जंचता । आखिर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट । मैं यह नहीं कहता कि आज पुलिस बिलकुल चरित्रवान होगयी है और आदर्श पुलिस हो गई है जैसी कि हम बनाना चाहते हैं लेकिन इस तरह की चीज रखनी यह स्टेट्यूट पर एक धब्बा लगाना है । मुझे यह चीज बड़ी अखरती है और इसलिए मैंने इसका जिक्र कर देना मुनासिब समझा कि जब एविडेंस ऐक्ट को तरमीम करने की बात हो तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाय और इसको भी तरमीम कर लिया जाय ।

अब मैं थोड़ा सा अपने वकील भाइयों की निस्बत कहना चाहूंगा । आज हमारे देश में वकीलों की बहुत बड़ी तादाद है । तादाद के बारे में एख्तलाफ हो सकता है लेकिन यह हकीकत है कि हमारे वकील भाई लोगों से तो बड़ी लम्बी लम्बी फीसें लेते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि वे फीस ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन अपनी इनकम रजिस्टरों में सही दर्ज नहीं करते हैं और कम लिखते हैं। अब मैं कोई इस बारे में ऐदादो शुमार तो नहीं दे सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे देश में वकीलों की एक अच्छी खासी तादाद है और उनके जरिये इस तरह से काफी इनकम टैक्स की चोरी होती है । इसको रोकना जरूरी है और इसके लिये लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट में तरमीम करने या और किसी तरीके से ऐसा इन्तजाम किया जाये ताकि वकीलों के वास्ते अपनी फीस की रसीद देना जरूरी हो जाय । जितनी फीस वह क्लाइंट से चार्ज करता है उसकी रसीद, वह उसको दे । ऐसी हालत में अगर वह ५०० रुपया लेता है और १०० रुपये की रसीद देता है तो क्लाइंट उससे कहेगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, हां, अगर उन दोनों में गठजोड़ हो जाए तो दूसरी बात है । इसके बाद मैं इलेक्शन पिटीशन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । दो तीन रोज हुए इस बारे में हमारे मित्र श्री राम कृष्ण गुप्त की तकरीर पर ला मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने उन तमाम ऐलीगेशन्स के बारे में पता नहीं क्यों नहीं कहा जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लगाये गये थे । मैं उन एलीगेशन्स के मैरिट में नहीं जाना चाहता । लेकिन पता नहीं उन एलीगेशन्स में से जो सीरियस थे उनकी तरफ उनकी तवज्जह क्यों नहीं गयी । और हाउस को उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा गया . . . . .

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैंने जान बूझ कर उन आरोपों का जिक्र नहीं किया और मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इनका जिक्र न करें क्योंकि यह मामला अभी न्याय निर्णयाधीन है ।

श्री मू० चं० जैन : मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि या तो ला मिनिस्टर साहब उन एलीगेशन्स का हवाला न देते और अगर हवाला दिया था तो जितने सारे एलीगेशन्स उस पिटीशन में थे उन सबकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिये था । मुझे विश्वास है कि ला मिनिस्टर साहब इस बारे में अहतियात करेंगे ।

एक चीज की तरफ मैं और तवज्जह दिलाना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में जिक्र है कि हम कानूनों का हिन्दी में ट्रांस्लेशन कर रहे हैं । लेकिन जिस रफ्तार से यह काम हो रहा है उससे तो मेरा ख्याल है कि सन् १९६५ तक या उसके बाद की तारीख तक भी यह काम नहीं हो सकेगा । जिस रफ्तार से ला मिनिस्टर साहब चल रहे हैं उससे तो सन् २००० ई० तक भी यह काम पूरा नहीं होगा । तो मेरी गुजारिश है कि इस काम में उनकी तवज्जह होनी चाहिये कि इसको तेज रफ्तार से किया जाए ।

मुझे इतना ही कहना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय विधि मंत्रालय पर चर्चा हो रही है और इसी से सम्बन्ध है न्याय विभाग का भी । अभी हमारे माननीय मित्र ने यह बताया कि विधि मंत्री का जो मंत्रालय है उसमें क्या हो रहा है । वह क्या करना चाहते हैं इसका कोई खुलासा इस रपट में नहीं है । जो रपट हम लोगों के सामने है वह तो केवल ७ पन्ने की या साढ़े तीन सुफहे की है । इससे जाहिर है कि सरकार का और हमारे विधि मंत्री का इस मंत्रालय की ओर कितना जबरदस्त ध्यान है । वह क्या सुधार करना चाहते हैं, या उनके सामने क्या समस्यायें हैं, अगर हम इस रपट को पढ़ते हैं तो इसके बारे में कोई चीज नहीं पाते हैं ।

यह सही है कि हमारे विधि मंत्री का दर्जा बढ़ गया है । यानी वह मंत्रिमंडल के एक सदस्य हो गये हैं । यह हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत हैसियत बढ़ी हो, लेकिन जहां तक इस विधि मंत्रालय का और इसकी कार्यविधि का प्रश्न है उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है और मैं तो यही समझता हूं कि एक रुटीन वर्क की तरह से यह रपट आज हमारे सामने प्रस्तुत है । जो स्थिति हमारे देश की आज है उसको हम देखें तो मैं कहना चाहता हूं कि न्याय की बात कहना हमारे देश में न्याय के साथ जबरदस्त अन्याय करना होगा । आज सवेरे जो घटना घटी और जिस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया उसको हमने देखा । इसी प्रकार की घटना उस समय घटी थी जब कि जीवन बीमा निगम की जांच के लिये एक हाईकोर्ट के जज, छागला साहब की नियुक्ति हुई और उन्होंने अपनी रपट दी और उस रपट के बारे में माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने जबरदस्त बात कही थी और कहा था कि उनका जो फैसला है वह इम्प्रापर है । इसी तरह का यह नानावती कांड हुआ, वह चाहे जितने ही बड़े पद पर हों, चाहे जितनी उनकी हैसियत हो, जब हाईकोर्ट के जजों ने उनके खिलाफ एक फैसला दे दिया कि उनको जीवन भर का कारावास मिलेगा ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो वह कांड खत्म हो गया, आप ला मिनिस्ट्री के बारे में कहिये ।

श्री यादव : मैं एक हवाला देना चाहता हूं क्योंकि यह एक ताजा घटना है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : एक औचित्य प्रश्न है । आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है कि इस मामले पर सभा में चर्चा न की जाये ।

†**श्री यादव** : मैं उस चर्चा को नहीं उठा रहा हूं । मैं सिर्फ जिक्र कर रहा था अतः औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में एक निर्णय दिया जा चुका है ।

श्री यादव : तो जजेज़ ने जो लिखा उसकी इजाजत प्रधान मंत्री महोदय ने नहीं दी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मालूम नहीं कि आपने आज सवेरे सुना या नहीं कि न तो उस मामले में किसी को छोड़ दिया गया है और न कोई और दखल दिया गया है । वह तो तब तक के लिये है जब तक कि वह दो चार दिन में वहां जाकर लीव टू अपील हासिल न कर लें । ऐसा तो नहीं है कि जजों का हुक्म किसी ने नहीं माना या उसको अमल में नहीं आने दिया ।

श्री यादव : मैं तो एक सरकमस्टांस बता रहा हूं । जब दो चार दिन की ही बात थी तो ऐसा बरताव करने की क्या जरूरत थी ।

श्री त्यागी (देहरादून) : अगर यह एक मिसाल है तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि हमें यह ऐतबार हो जाये कि आइन्दा यह और लोगों के लिये प्रिसिडेंट नहीं बनेगा ।

श्री यादव : तो मैं सिर्फ यह मिसाल देकर कहना चाहता था कि जब यह स्थिति हो तब तो फिर न्याय की बात करना न्याय के साथ ही अन्याय करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगर हम न्याय की ओर देखें, तो जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी कहूंगा कि किसी भी सरकार के तीन प्रमुख अंग हुआ करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका और किसी नागरिक की स्वतंत्रता तभी रक्षित रह सकती है, उसका मान सम्मान, जिन्दगी और उसकी जायदाद तभी रक्षित रह सकती है जब इन तीनों के अधिकार अलग अलग रहें और किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में न चले जायें। इस सिलसिले में मैं दो तीन महत्व-पूर्ण पुरुषों के कोटेशन आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री ब्लैक स्टोन ने कहा है :

"जहां कहीं भी कानून बनाने तथा उसको पालन करवाने का अधिकार तथा न्याय शक्ति आपस में अलग नहीं होते, वहां व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रह सकती।"

इसी संदर्भ में लार्ड ब्राइस ने कहा है :

"किसी सरकार की उत्तमता का सर्वोत्कृष्ट चिह्न उसका न्याय विभाग है क्योंकि साधारण नागरिक के हित की सुरक्षा के लिये यह भावना आवश्यक है कि उसके साथ उचित न्याय शीघ्र किया जायेगा।"

इसी सन्दर्भ में गारनर ने कहा है :

"एक सभ्य राज्य की बिना न्याय विभाग के कल्पना नहीं की जा सकती।"

जब हम इन सिद्धान्तों को देखते हैं तो पाते हैं कि अपने यहां इनका बिल्कुल अभाव है। यहां मजिस्ट्रेट में न्याय और कार्यकारिणी दोनों के अधिकार मिल गये हैं। यह मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। सन् १९५८ में उत्तर प्रदेश में अन्न के बढ़े हुये दामों के सवाल को लेकर एक आन्दोलन हुआ, और उसको दबाने के लिये सरकार ने मजिस्ट्रेसी का इस्तेमाल किया। मजिस्ट्रेट ने जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ के अन्तर्गत विधान सभा और विधान परिषद् के बहुत से माननीय सदस्यों को इसलिये गिरफ्तार कर लिया कि वे गड़बड़ करने जा रहे हैं और शान्ति भंग करने जा रहे हैं। इस तरह से उस धारा का उपयोग किया गया। इसी तरह से इस धारा का इस्तेमाल करके इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह भदौरिया को और उनके साथियों को छः छः महीने की सजा और १००० रुपया जुर्माना किया लेकिन जज ने जुर्माना माफ कर दिया और सजा जितनी मिल चुकी थी उसी को काफी बताया। इसी सिलसिले में सन् १९५७ में डा० राम मनोहर लोहिया ने सेल्स टैक्स दफ्तर के सामने सत्याग्रह किया। उसके बारे में जजेज़ ने अपनी राय जाहिर की है। मैं उन कोटेशन्स को पढ़ना चाहूंगा। एक मजिस्ट्रेट ने, एक न्यायाधिकारी ने, सरकार के इशारे पर कहा कि डा० लोहिया जो अदालत के सामने . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आप नहीं कह सकते कि किसी न्याय अधिकारी ने किसी मिनिस्टर के इशारे पर कोई फैसला दिया। यह बात कहना ठीक नहीं और न कहनी चाहिये।

श्री यादव : मैं पढ़े देता हूं कि चूंकि . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि आप यह नहीं कह सकते कि किसी जज ने मिनिस्टर के इशारे पर कोई फैसला किया।

श्री यादव : मैं कहना चाहता हूं कि उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि चूंकि डाक्टर लोहिया अदालत के सामने नहीं आते हैं तो उनको पकड़ कर, बल प्रयोग करके लाया जाये।

[श्री यादव]

जब जस्टिस ए० एन० मुल्ला और जस्टिस नसीरुल्ला बेग के सामने मामला पेश हुआ, तो मैजिस्ट्रेट महोदय के खिलाफ जो शिकायत थी, उसका जवाब उन्होंने दिया । मैं आपके सामने उसके बारे में पढ़ कर सुनाता हूं ।

"मजिस्ट्रेट ने बताया कि अभियुक्त ने दो बार उनके सामने आने से इनकार किया, जब वह जेल में उनका मुकदमा करने गये । ३० नवम्बर को वह जेल तीसरी दफ़ा गये । लेकिन जेलर ने बताया कि अभियुक्त पेशी से इनकार कर रहा है और अदालत के सामने जबरदस्ती ही ले आया जा सकता है । तब उन्होंने आदेश दिया कि डा० लोहिया को कम से कम बल प्रयोग करके सामने ले आया जाये और उनको कोई शारीरिक चोट न पहुंचे ।

करीब २० मिनट बाद एक कुर्सी पर डा० लोहिया चार आदमियों द्वारा ले आये गये । फिर भी उन्होंने सवालों का जवाब देने से इनकार किया और दस्तावेज़ों पर दस्तखत नहीं किया । अदालत क्लर्क ने तब उनके अंगूठे का निशान लेने की कार्रवाई की । उन चार आदमियों की मदद से, जो डा० लोहिया को ले आये थे, अदालत क्लर्क ने डा० लोहिया के हाथ पर से चादर हटाया जो उन्होंने लपेट रखा था और उनकी मुट्ठी को खोला ।

श्री जस्टिस मुल्ला : अंगूठे के निशान की क्या जरूरत थी ?

अतिरिक्त सरकारी वकील : वह अदालत के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे ।

श्री जस्टिस बेग : अंगूठे के निशान की क्या अहमियत है ? दस्तावेज़ पर मजिस्ट्रेट का एक नोट काफी होता है ।

श्री जस्टिस मुल्ला: क्यों इस तरह के मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामले दिये जाते हैं, जो कानून नहीं जानते ? अधिक जानकार मजिस्ट्रेटों को इस तरह के मामले दिये जाने चाहिएं ।

अतिरिक्त सरकारी वकील : अंगूठे के निशान की कोई ज़रूरत नहीं थी ।

श्री जस्टिस बेग : क्या अंगूठे का निशान लगवा लेने से दस्तावेज़ में खास वज़न पड़ जाता है ?

अतिरिक्त सरकारी वकील: नहीं श्रीमान् । लगता है मजिस्ट्रेट जरूरत से ज्यादा सतर्क थे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस अंगूठे के निशान में ही सारा समय चला जायगा ।

श्री यादव : मैं खत्म कर रहा हूं । इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को यह सब बताना बहुत आवश्यक है ।

"श्री जस्टिस बेग : मैं नहीं जानता कि न्यायालय के सामने मामले के तबादले की कोई दरखास्त है । लेकिन मैं नही समझता कि उस अदालत में मुकदमे की सुनवाई के लिये उपयुक्त वातावरण है ।"

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं । यह मजिस्ट्रेसी का हाल है । और भी ऐसे तमाम मसले हैं, जिन से पता चलता है कि किस तरह के मजिस्ट्रेट हमारे बीच में हैं । उस का एक ही कारण है कि आज न्यायपालिका और कार्यपालिका विभक्त नहीं हैं, अलग नहीं हैं, एक ही में चल रही हैं ।

इसी सिलसिले में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। जाब्ता फौजदारी की धारा ४८० के अन्तर्गत मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया है कि दफा १७५, १७८, १७६, २२८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत आने वाले जितने जुर्म हैं, वे अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आयें और अगर अभियुक्त कोई गलती करता है, तो उसको अदालत की बरखास्तगी तक कैद की सजा और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा दी जा सकती है। अगर हम इन दफात को पढ़ें और सेपेरेशन आफ़ जुडिशरी-न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने के सिद्धांत को देखें, तो वे कितने बेमेल हैं। लेकिन बारह साल की स्वतंत्रता के बाद भी माननीय न्याय मंत्री का ध्यान उस तरफ नहीं गया है कि इस तरह की दफात हमारे कानूनों में मौजूद हैं और आज भी वे बराबर उसी तरह से चल रही हैं।

इस के बाद सब से बड़ा अहम प्रश्न भाषा का है। शायद मैं दूसरा आदमी हूं, जो कि इस देश की अपनी बोली में बोल रहा हूं। इस महत्वपूर्ण विषय में--न्याय--पर जितनी बहस हुई है, वह सब अंग्रेजी में हुई है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अंग्रेजी के जानने वाले तो शायद केवल एक फी सैकड़ा होंगे, लेकिन हिन्दी या हिन्दुस्तानी को जानने वाले उन इलाकों में भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस का विरोध करेंगे क्योंकि वे अंग्रेजी ही जानते हैं, अंग्रेजी के मुकाबले में ज्यादा होंगे। लेकिन आज सारा अदालती काम-काज अंग्रेजी में होता है। हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है ही और सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी ही चलती है। और न्याय-अधिकारी भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। मैजिस्ट्रेट अदालतों में भी फ़ैसले अंग्रेजी में होते हैं। इस माननीय सदन में भी कानून अंग्रेजी में बनते हैं। ये कानून और फैसले किसके लिए हैं ? वे इस मुल्क में बसने वाले चालीस करोड़ लोगों के लिए हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, जो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं समझते हैं। अगर किसी को कोई फैसला पढ़ाना हो तो तीसरे आदमी, किसी वकील के बगैर वह ऐसा नहीं कर सकता है और उसको नहीं समझ सकता है। सब से जबर्दस्त प्रश्न भाषा का है। वह कितना ज़बर्दस्त है, उस के लिए मैं फिर डा० लोहिया को क्वोट करना चाहता हूं। अंग्रेज के जमाने में कांग्रेस के द्वारा चलाई जाने वाले सत्याग्रह को दबाने के लिए एक स्पेशल पावर्ज़ एक्ट बना था। जब उत्तर प्रदेश में नहर रेट आन्दोलन चला, तो उसी के तहत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए और डा० लोहिया भी गिरफ्तार हुए। हाई कोर्ट में उस को उन्होंने चेलेंज किया और वहां वह जीत गये। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। डा० लोहिया चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात हिन्दी में कहें। उन्होंने वहां किसी वकील को नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि सरकार का पैसा खर्च करना अच्छा समझा और कोई वकील उनको दे दिया गया, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया क्यों कि वह चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में हिन्दुस्तान की जबान में बहस करें। जब उन्होंने इस बात पर सवाल किया, तो एक जज ने कहा कि इस अदालत की भाषा अंग्रेजी है--मैं दूसरे के बारे में बताऊंगा आगे चल कर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक न्याय, कानून जनता की भाषा में नहीं दिया जाता है, तब तक वह सही मायने में न्याय नहीं हो सकता और आज इस ओर न तो सरकार का और न न्याय मंत्रालय का ध्यान जा रहा है।

संविधान के अधीन इस देश के नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार मिले हुए हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, बोली की आजादी, विचार की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता आदि आदि। उन्हीं को अगर, श्रीमान्, लें, तो जिस तरह से अंग्रेजों ने इन अधिकारों को कुचलने की कोशिश की थी नए नए कानूनों के द्वारा, संविधान में भी एक धारा है, उस को प्रतिबंधात्मक उप-धारा के साथ अगर लें, तो उसके जरिये हिंदुस्तान के सभी नागरिकों की आजादीको कुंठित किया जाता है और जो कोई क्रांतिकारी काम किया चाहते हैं, उन को रोका जाता है। उन को दबाने के लिये बंगाल ईस्टर्न फरन्टियार रेगुलेशन की धारा १८३ है। कोई व्यक्ति देश के दूसरे भाग में नहीं जा सकता है। इसी सिलसिले में नेफा का इलाका वर्जित है। इसी देश का नागरिक अपने देश के ही किसी दूसरे हिस्से में नही जा सकता है और अगर वह जाता है तो उस को रोका जाता है। हमला करने वाले वहां चले आते हैं, उन को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को रोकने के लिये सरकार और उसके अधिकारी मौजूद रहते हैं।

[श्री यादव]

इस देश के एक व्यक्ति के लिये हो देश का एक हिस्सा बेगाना है । स्पेशल पावर्ज एक्ट भी है और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट भी है, जिस के जरिये देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को दबाया जाता था आज भी वह मौजूद है और उस के अन्तर्गत बहुत से लोगों को रोका जाता है, जेलों में बन्द किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य ये बातें होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स के दिन उठायें, तो अच्छा होगा ।

श्री यादव: यही तो मुश्किल है कि उठाना चाहिये ला मिनिस्ट्री को, लेकिन हमारे ला मिनिस्टर और ला मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के हाथ में कठपुतली है । इस में मेरा क्या कसूर है ?

इसी प्रकार प्रिवेंटिव डीटेंशन एक्ट है । इसी तरह धारा १०६, १०७, १०९ और ११० हैं ? धारा ११० ऐसी है, जो कि संविधान की आत्मा की हत्या कर रही है । धारा १०९ भी एक काला कानून है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने दो दफा कहा है कि यह तो होम मिनिस्ट्री के अख्तियार में है । माननीय सदस्य कानून के ड्राफ्टिंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं ।

श्री यादव: खैर, मैं आप के कहने के मुताबिक इस को छोड़ देता हूं । दूसरी चीज यह है कि हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल २२ के सबक्लाज २ की अदालतों के जरिये इस वक्त कितनी अवहेलना हो रही है । जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो जितना समय उस का मैजिस्ट्रेट तक ले जाने में लगता है उस को निकाल कर २४ घंटों के अन्दर अन्दर उस को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिये । लेकिन आये दिन संविधान की इस धारा का अतिक्रमण होता रहता है । इसी तरह फैसले भी अदालतों में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता ।

इसी तरह भ्रष्टाचार की बात है । आज न्याय इतना मंहगा है कि साधारण आदमी के लिये सम्भव नहीं है कि वह न्याय प्राप्त कर सके । आज आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता इतनी है जिस का ठिकाना नहीं है । आर्थिक असमानता होते हुए गरीब आदमी न्याय नहीं पा सकता, लेकिन आज सामाजिक असमानता इस से भी बढ़ कर है । अदालतों में यह देख कर फैसले होते हैं कि वकील किस बिरादरी का है और इस का मुवक्किल किस बिरादरी का है । आज न्याय विभाग में यहां तक स्थिति आ गई है ।

जहां तक रिश्वत और भ्रष्टाचार का सवाल है, मुझे ऊंची अदालतों की ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो छोटी अदालतों की बात करूंगा जहां पर कि देश के जनसाधारण का सम्बन्ध रहता है । आज कदम-कदम पर रिश्वत चलती है, भ्रष्टाचार होता है, और न्याय बिक रहा है और साधारण लोग उस न्याय के करीब नहीं जा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप ला मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं ?

श्री यादव : न्याय विभाग की ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो यह चीज होम मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में होगी ।

श्री यादव : इस भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिये ।

जहां तक जजेज के अप्वाइंटमेंट का सवाल है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, ला कमिशन ने भी इस तरफ तवज्जह की है, लेकिन आज तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई, यह मैं इस रिपोर्ट में नहीं पाता हूं। पिछले अधिवेशन में यहां पर ला कमिशन के ऊपर बहस हुई थी। हमारे माननीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी इस पर काफी रोशनी डाली थी। लेकिन इस पर क्या तवज्जह हुई इस का पता मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी नहीं चला। अगर इस पर माननीय मंत्री कोई नई रोशनी डालेंगे तो सदन का बड़ा फायदा होगा।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा): श्री साधन गुप्त ने अपने भाषण में बताया कि चुनाव एक दिन में समाप्त नहीं किए जाने चाहिए।

†**श्री साधन गुप्त**: मैंने यह कहा था कि तनाव के वातावरण में चुनाव एक दिन में समाप्त नहीं किये जाने चाहिए।

†**श्री रामी रेड्डी**: मेरा मत है कि ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जिसमें तनाव का वातावरण न हो। आवश्यकता इस बात की है कि मतदाताओं को शिक्षित किया जाये जिससे वह चुनावों में हिंसा तथा अनुचित तरीकों का प्रयोग न करें। १९५७ के सामान्य चुनाव १५ दिन में समाप्त हुए थे जिसके कारण राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा धन भी बहुत व्यय करना पड़ा। मैं जानता हूं कि सभी राजनैतिक दलों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय किया था। इसी कारण मैं समझता हूं कि यदि चुनाव एक दिन में समाप्त होने लगे तो बहुत सी कठिनाइयां तथा बहुत सा धन बरबाद होने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि एक स्थान पर चुनाव होने पर जो दल वहां पर जीत जाता है उसका पक्ष उस स्थान पर जहां पर चुनाव नहीं हुआ है प्रबल पड़ जाता है और फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। इसलिये चुनाव एक दिन में समाप्त हो जाने चाहिए चाहे मतों की गणना बाद में दो तीन दिन तक होती रहे। मुझे इस की बड़ी प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने घोषणा करदी है अगले चुनाव एक दिन में समाप्त हो जायेंगे।

मैं समझता हूं कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं होने चाहिए और इसीलिये एक विधान प्रस्तुत करने के जा रही है जिसके अनुसार रक्षित स्थानों के लिए अलग चुनाव होंगे। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि जब निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाये तो उस समय इसका ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार के हों जो एक स्थान पर अवस्थित हों तथा जिनमें अधिक दूरी न हो।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आज प्रशासन में न्यायाधिशों तथा वकीलों की कार्यकुशलता में बड़ी कमी आ गई है। इसलिये इन दोनों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहिये। मैं समझता हूं कि सब से पहले विधि शिक्षा में परिवर्तन किये जाने चाहिये जिससे वह स्नातक जिनको और कहीं काम न मिले इस व्यवसाय में आने का प्रयत्न न क । विधि कालिजों में प्रवेश के बारे में सरकार को कुछ नियंत्रण लगाने चाहिये जो उसी प्रकार के हों जिस प्रकार के इंजीनियरिंग चिकित्सा कालिजों में प्रवेश के बारे में लगे हुए हैं।

मुंसिफी में भरती कुछ राज्यों में लोक सेवा आयोग करता है। इंटरव्यू के समय लोक सेवा के सदस्यों के साथ एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहता है। परन्तु लोक सेवा आयोग के सदस्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामी रेड्डी]

की संख्या इंटरव्यू बोर्ड में अधिक होने के कारण उस न्यायाधीश की बात पूरी तरह से मान्य नहीं हो पाती है। मेरा सुझाव है कि आगामी विधि मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि मुंसिफी में भरती करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सौंप दी जाये। इस प्रकार योग्य तथा विद्वान व्यक्ति इस सेवा में भरती होने लगेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

एक वक्ता ने यह सुझाव दिया कि कनिष्ट एडवोकेटों को वरिष्ठ एडवोकेटों के साथ मिलकर काम करना चाहिये जिससे उन्हें अनुभव हो जायें। मैं भी इस सुझाव की सराहना करता हूं।

आज कई राज्यों में मुकदमों पर बहुत धन व्यय होता है। न्यायालय फीस को राजस्व का साधन बना रखा है। उदाहरणतः कई राज्यों में लेख की फीस मूलतः १० रुपये थी जो अब १०० रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार न्यायालय फीस भी बढ़ा दी गई है। इसलिये मेरा विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह राज्य विधि मंत्रियों को बतायें कि राज्यों में न्याय प्रशासन पर कम व्यय किये जाने के बारे में उचित कदम उठायें।

निर्धनों को विधि सहायता देने के बारे में विधि मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। राज्य सरकारों को इसकी क्रियान्विति के बारे में क्या सुझाव दिये गये हैं। मैं तो समझता हूं कि संभवत कोई प्रगति नहीं हुई है इसलिये प्रतिवेदन में कुछ नहीं बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में इसका ध्यान रखेगी और राज्य सरकारों पर इसकी क्रियान्विति के बारे में दबाव डालेगी।

वकीलों की कार्य कुशलता के बारे में बताते हुए मैं यह बताना भूल गया था कि आज राज्यों के न्यायालयों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकें नहीं होती हैं और इसी कारण जिलों के न्यायाधीशों के निर्णयों को उच्च न्यायालय में ले जाया जाना पड़ जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि न्यायालयों को कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये जिससे विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्तिम निर्णयों की प्रतियां न्यायालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकें।

विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि समस्त देश में न्याय पंचायतें होनी चाहियें। मेरा अपना अनुभव है कि ५० से १०० रुपये के मामलों में इससे अधिक धन व्यय हो जाता है। अतः यदि हम समस्त देश में न्याय पंचायत बना दें तो छोटे छोटे मुकदमे कम व्यय पर ही निबट जायें।

फौजदारी के ९९ प्रतिशत मामलों में गवाहियों के आधार पर न्याय किया जाता है क्योंकि जांच के वैज्ञानिक तरीकों की हमें जानकारी ही नहीं है। हमारे देश में अंगुलियों के छाप से भी अपराधी का पता नहीं लगाया जा सकता है। न्यायाधीश को गवाहियों का ही सहारा लेना पड़ता है। इससे कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है और अपराधी बच जाते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय विधि-मंत्री राज्य सरकारों को बतायें कि अपराधों की वैज्ञानिक तरीकों से जांच के तरीकों में सुधार करें।

विधि मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६९	१२१	श्री यादव	पदाधिकारियों पर व्यय कम करने की आवश्यकता	राशि में से १३,००,००० रुपये कम कर दिये जायें ।
६९	१७७	श्री अरविन्द घोषाल	कलकत्ता उच्च न्यायालय में सालिसिटर पद्धति हटाने में असफलता	१०० रुपये
६९	१७८	श्री अरविंद घोषाल .	मुकदमों को निबटाने में विलम्ब	१०० रुपये
६९	१७९	श्री अरविन्द घोषाल	विधि जीवियों में से जिला-न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	१८०	श्री अरविंद घोषाल .	फीस की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	१८१	श्री अरविंद घोषाल .	विधि जीवी संघों के पुस्तकालयों को सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	१८२	श्री अरविंद घोषाल .	विधि शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	१८३	श्री अरविंद घोषाल .	कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने में असफलता	१०० रुपये
६९	१८४	श्री अरविंद घोषाल	गरीब मुकदमेबाजों को मुफ्त सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६९	१८५	श्री अरविंद घोषाल .	न्यायालय की फीसों की दर कम करने में असफलता	१०० रुपये
६९	१९८	श्री अरविंद घोषाल .	विधि आयोग की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वित किया जाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६९	१९९	श्री अरविंद घोषाल .	सरकारी क्षेत्र में विदेशों अथवा विदेशी फर्मों से होने वाले समझौतों को सावधानी से तैयार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	१२५	श्री यादव	राजनैतिक दलों को चुनाव चिह्न देने के बारे में नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७०	१२२	श्री यादव	चुनावों पर व्यय कम करने की आवश्यकता	राशि में से ४७,००,००० रुपये कम कर दिये जायें
७०	२००	श्री अरविंद घोषाल .	दक्षिण-कलकत्ता का उप-चुनाव करने में असाधारण विलम्ब	१०० रुपये

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इस सरकार के विधि मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि यदि जनता चुनावों अथवा न्यायपालिका पर से विश्वास खो बैठेगी तो लोक तंत्र विरोधी हो जायेगी ।

हमारे देश में न्यायपालिका में छोटे-छोटे न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय तक के सभी न्यायालय आ जाते हैं । परन्तु छोटे छोटे न्यायालयों के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों अर्थात कार्यपालिका पर है । इस कारण छोटे न्यायालयों के न्यायाधीश स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी पदोन्नति, उनका स्थानान्तरण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है । मेरा माननीय विधि मंत्री को सुझाव है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे उप-न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट की पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाये ।

दूसरी बात मैं सरकारी अभिभोक्ता के बारे में कहना चाहता हूं । अधिकांश अभिभोक्ता राज्यों में पुलिस विभाग द्वारा नियुक्त किए जाते है और इनका यह कर्तव्य होता है कि न्याय करावें । परन्तु पुलिस विभाग के पदाधिकारी होने के नाते वह यही समझते हैं कि उनका काम सजा दिलाने का है । यह बड़ी गलत बात है । जब वह समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो यह बात उन्हें निडर होकर न्यायालय में कह देनी चाहिए । परन्तु वह ऐसा नहीं करते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि इन अभियोक्ताओं की नियुक्ति का काम विधि परामर्शी को सौंपा जाना चाहिए ।

कुछ राज्यों में आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा शांति न्यायाधीश (जस्टिस आफ पीस) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । मैं चाहता हूं कि इन मजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए तथा इनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल से नहीं होना चाहिये परन्तु बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे राज्य बम्बई में विशेषतया उन्हीं व्यक्तियों को यह पद दिए जाते हैं जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]

कुछ राज्यों में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया है परन्तु कुछ राज्य अभी ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उन राज्यों में भी शीघ्र ऐसा हो जाना चाहिए।

कुछ दिन पहले पंजाब में एक न्यायाधिकरण के बारे में प्रश्न उठाया गया था। न्यायपालिका राज्य नियंत्रण में होने के कारण ही एक न्यायाधीश का स्थानांतरण वहां पर किया जा सका था। मेरा विचार है कि न्यायपालिका म जनता को तभी विश्वास होगा जब न्यायपालिका के निर्णय ईश्वर के निर्णयों के समान निष्पक्ष होंगे।

यह मंत्रालय चुनावों की व्यवस्था करता है। यह इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि जनता को बतायें कि सरकार चुनाव के द्वारा बदली जा सकती है। चुनावों में राजनैतिक दल होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए धन व्यय करते हैं। परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों पर व्यय किए गए धन की जानकारी हो सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि चुनाव विधि में एक धारा रखी जानी चाहिए कि राजनैतिक दल व्यय किए गए धन के आंकड़े बतायें। हमने उम्मीदवार के सम्बन्ध में तो ऐसी व्यवस्था रखी है और यही व्यवस्था हमें राजनैतिक दलों के बारे में भी रखनी चाहिए। मेरी विधि-मंत्री से प्रार्थना है कि मेरी इस बात पर विचार करें और विधि में इस प्रकार की व्यवस्था कर दें। दूसरी बात मैं चुनाव विधि में यह कराना चाहता हूं कि किसी जाति अथवा धर्म द्वारा समर्थित उम्मीदवार को यदि वह इसी आधार पर जीतता है, अनर्ह करार दिया जाना चाहिए।

सभी कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। विश्वविद्या-लयों में गड़बड़ी होने पर कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके कारण विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा न ले पायें मरा सुझाव यह है कि चुनाव विधि में एक धारा मिलाई जानी चाहिए कि विश्वविद्यालय, स्कूल, कालिज आदि के विद्यार्थी जिस उम्मीदवार की सहायता करेंगे वह उम्मीदवार अनर्ह हो जायगा।

अन्त में मैं चुनाव चिन्हों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमें चुनाव चिन्ह इस प्रकार के नहीं बनाने चाहिए जिससे जनता की भावनायें जाग्रत की जायें। बैलों की जोड़ी' के चिन्ह से ऐसा ही होता है। मेरा यह भी सुझाव है कि मतदाता सूची राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि चुनाव न्यायाधिकरण में जिला न्यायाधीश के स्थान पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किए जाने चाहिएं।

श्री अचित राम (पटियाला): सभापति महोदय, मैं इसके मुताल्लिक केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा था इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आम लोगों को इन्साफ मिल सके। आज हालत ऐसी है कि कानून सामने है। जो जज है वह भी इस बात का कायल है कि जो मुल्जिम है उस पर इतनी सख्ती से कानून का अमल नहीं होना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्जिम के बखिलाफ इस किस्म की सजाओं के फैसले होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। मुझे खुद इस बात का तजुर्बा है। मुझे एक जगह पर पंजाब में एक मुकदमें में गवाही देनी पड़ी। जब मैं वहां गया तो जज ने मुझ से पूछा कि मेरी फलां आदमी के बारे में क्या राय है। मैं उसे छिपाना

[श्री अचिंत राम]

नहीं चाहता। मेरे एक मोहतरम दोस्त हैं सरदार सज्जन सिंह, एक्स एम० एल० ए० हैं, हमारी सर्वेन्ट्स आफ पीपल्स सोसायटी के लाइफ मेम्बर हैं, उनके खिलाफ खयानत का मुकदमा चला। मैं जानता था कि वह मुकदमा ठीक नहीं है। जब मैं वहां गया और मुझ से मेरी राय पूछी गई तो मैं ने कहा कि मैं तो उस आदमी को दयानतदार समझता हूं। मेरा उनका बड़ा प्रेम है। जज साहब फरमाते हैं कि आपके अन्दर उनके लिये जो प्रेम है उसकी मैं कद्र करता हूं। आपने जो थोड़े से लफ्ज इस्तेमाल किये, उनसे मैं बड़ा खुश हुआ। जो कुछ मुझ से पूछा गया, मैंने बतला दिया। उसके बाद जब तारीख खत्म हुई तो सरदार सज्जन सिंह ने मुझ से कहा कि आप के साथ मैजिस्ट्रेट ने बड़ा अच्छा सुलूक किया, लेकिन आप देखेंगे कि जब मुकदमे का फैसला होगा तो उसके अन्दर सजा मुझे जरूर होगी। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है? जज जब खुद मानता है कि तुम इतने दयानतदार आदमी हो और वह तुम्हारी इतनी इज्जत करता है तो यह नहीं हो सकता। लेकिन जब मुकदमे का फैसला हुआ तो उस आदमी को दो साल की सजा दी गई। मैं हैरान था कि जिस आदमी के मुताल्लिक लोगों की जो राय है उसे जज साहब महसूस करते हैं, और है भी ठीक, मेरा वाकिफ है, मैं भी कहता हूं कि दयानतदार आदमी है, फिर भी दो साल की सजा हो गई। मुझे यह पता तो नहीं कि हमारे ला मिनिस्टर इस कानून को क्या शक्ल दे सकते हैं, लेकिन मेरी यह दर्ख्वास्त है कि इसको ऐसी शक्ल दी जाय कि जज साहब मजबूर हो जायें इस बात के लिये कि इस किस्म का जुल्म न होने पाये। वह एक ऐसा आदमी है कि अगर इस इश्यू पर रिफरेन्डम ले लिया जाय कि पंजाब के अन्दर दयानतदार आदमी कैसा होता है, तो शायद मैजारिटी यह राय देगी कि वह शख्स एक दयानतदार आदमी है। मेरा जाती तजुर्बा है। वह मेरे घर के अन्दर आया और गलती से मेरा पैंट लेता गया। उस आदमी ने घर जाकर उस पैंट को इस्तेमाल नहीं किया, घर में जाकर सन्दूक में रख दिया और बाद में वापस किया। वह सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर है, लेकिन इसका यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे अच्छे आदमी के साथ इस तरह से हुआ। उसको दो साल की सजा हुई और ५०० रु० जुर्माना हुआ। उसने कहा कि पार्टिशन के बाद मैं कहता रहा कि मेरे पास ३०० रु० है, मैं किसे दूं, लेकिन उसकी बात की परवाह नहीं की गई। इसलिये क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके अन्दर बेगुनाह आदमी, मुअज्जिज आदमी, पब्लिक के अन्दर जिसके ऊपर बड़ी अच्छी राय हो, उसे खयानत करने के जुर्म में सजा न हो जाय। सेशन्स कोर्ट में मुकदमा गया। वहां पर दो साल की सजा माफ कर दी गई और ३०० रु० जुर्माना किया गया। अब उसकी अपील चल रही है यह वाकया में इसलिये बयान कर रहा हूं कि यह मेरे सामने है। हमारे मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, जिनके लिये मुझे बड़ा एहतराम है। क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि जिससे किसी बेगुनाह आदमी को सजा न हो जाय? आज उसको सजा हो गई है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत से केसेज हैं, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालिये जिससे बेगुनाह बच सके और लीगल डिपार्टमेंट अपना फर्ज पूरा करता रहे।

इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं जो कि कोर्ट फीस के मुताल्लिक है। बाज दफा ऐसा होता है कि कोर्ट फीस में बहुत सा रुपया लोगों को लगा देना होता है, लेकिन कोई कोई आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिये पैसा वापस होने की हद छः महीने मुकर्रर की गई है। अगर छः महीने के अन्दर उसको दाखिल कर दीजिये तब तो पैसा वापस हो जाता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। कोर्ट फ़ीस का कागज कोई गन्दा

तो नहीं हो जाता, पैसा उस पर खर्च हुआ ही है, यह तो है नहीं कि उसका पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिये उस पर यह बन्दिश नहीं होनी चाहिये कि वह दो महीने या छः महीने में उसे वापस कर दे। जब भी वह वापस कर सके, उसे उसका पैसा वापस मिलना चाहिये।

मैं सिर्फ यही दो बातें अर्ज़ करना चाहता था।

†**श्री त्यागी** : मेरा विचार है कि विधि मंत्रालय का काम इतना अधिक नहीं है कि एक मंत्री केवल उसी का काम संभाले। पहले विधि मंत्रालय के पास कुछ और काम भी थे। श्री सेन जैसे योग्य व्यक्ति को अधिक काम सौंपा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय का काम केवल कानूनी राय देना है जो कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मंत्रालय को कुछ और काम सौंपा जाना चाहिए।

मुझे स्वयं कानून का ज्ञान नहीं है परन्तु उसके सम्बन्ध में जनता की जो प्रतिक्रिया है उससे मैं भली प्रकार परिचित हूं। यह आम धारणा है कि न्याय प्रशासन बहुत मंहगा है वकील लोग बहुत अधिक फीस लेते हैं। वास्तव में वे परजीवी होते हैं जो संकटग्रस्त लोगों पर पला करते हैं। उनकी फीसें बढ़ती जा रहीं हैं और इसीसे न्याय प्रशासन मंहगा होता जा रहा है। इस प्रकार का प्रजातंत्र व्यर्थ है जिसमें न्याय प्रशासन इतना मंहगा हो। अतः न्याय प्रशासन को कम खर्चीला बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस सभा में वकीलों की संख्या बहुत है जो अपनी आमदनी कम नहीं होने देंगे। मेरा निवेदन है कि हम समाजवाद के युग में रह रहे हैं इसलिए उन्हें इस वर्ग की आमदनी कम करने का विचार करना चाहिए।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि निर्णय होने में देर बहुत लगती है। सभी न्यायालयों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में १९४७ में विचाराधीन मामलों की संख्या १५,३३३ थी जो बढ़ते बढ़ते १९५७ में ४१,८३४ हो गई। इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय में १९४७ में उनकी संख्या ११,२५४ थी जो १९५७ में १६,३१८ हो गई। इसी प्रकार अन्य उच्च न्यायालयों के विचाराधीन मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मैंने इनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था। जिस दिन उसका उत्तर दिया था उस दिन विचाराधीन मामलों की कुल संख्या १,९५,११९ थी। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। कई मामले तो दस साल और १५ साल पुराने हैं। इस प्रकार के विलम्बित न्याय का क्या लाभ है? मैं समझता हूं कि न्याय के सम्बन्ध में शीघ्रता लाने के लिये कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है।

फिर मैं विधि-शास्त्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। विधि-शास्त्र के अनुसार अभियुक्त को सन्देह लाभ दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जब कोई वाद राज्य और व्यक्ति के बीच में हो तो सन्देह-लाभ राज्य को ही दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करें।

फिर मैं जिरह पर आता हूँ। मैं नहीं मसझता कि जब अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे वैध क्यों नहीं माना जाता? जब अपराध स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर व्यर्थ जिरह करने से क्या लाभ है? इन बातों के सम्बन्ध में विधि शास्त्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके लिये यही समय उपयुक्त है।

इसके बाद मैं विधि आयोग को लेता हूं। उसने जो सिफारिशें की हैं वे बहुत अच्छी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय उन सिफारिशों पर कब विचार करेगा? वह समाज सुधार के विधेयक तो लाता रहता है परन्तु न्याय प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में कदम नहीं उठाया जा रहा है। अंत में मैं यही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस छोटे से मंत्रालय पर अपनी योग्यता को नष्ट न करें वरन् कुछ और विभाग भी अपने हाथ में ले लें ।

†**श्री अ० कु० सेन:** यह सौभाग्य की बात है कि विधि मंत्रालय निरंतर अधिकाधिक सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर रहा है । मैं अपने आदरणीय मित्र श्री त्यागी द्वारा कहे गये शब्दों के उत्तर से अपना भाषण प्रारम्भ करता हूँ । मैं उनकी इस मांग से हार्दिक रूप से सहमत हूँ कि सर्वसाधारण के लिये न्याय शीघ्र और सस्ते रूप में उपलब्ध होना चाहिये । यदि कोई देश या सरकार जनता की इस अत्यावश्यक मांग को पूरा करन में असमर्थ है तो इसका आशय यह है कि वह जनता के प्रति अपना अनिवार्य कर्तव्य करने में असमर्थ है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अधिक उत्पादन, औद्योगीकरण, तथा अन्य आर्थिक वस्तुओं की मांग करने के बीच हम अपने सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं ।

लोक तंत्र का विकास तब तक नहीं हो सकता अथवा कोई भी शासन प्रणाली तब तक स्थाई नहीं रह सकती है, जब तक न्याय प्रणाली ऐसी न हो जो उन्हें प्रिय हो, जिस पर वे गर्व कर सकें अथवा जिसे वे अपनी समझ सकें । मुझे यह कहते हुए दुख है कि हमारी न्याय प्रणाली इतनी खर्चीली है कि कचहरी जाने पर उसे यह कड़वा अनुभव होता है कि उसने कितना खर्चीला कार्य किया और मुकदमा जीतने के उपरांत भी उसे कोई खुशी हासिल नहीं होती है ।

मझे एक व्यक्ति के सम्बन्ध में याद है, जिसका मुकदमा मैंने तब लड़ा था जब मैं उच्च न्यायालय का कनिष्ठ वकील था । दो प्रतिवादियों के विरुद्ध बेचे गये माल के सम्बन्ध में केवल ३५०० रु० का मामला था । मुकदमा डेढ़ महीने चला । तथापि इसके लिये उसे मुकदमे की राशि से भी अधिक रकम फीस के रूप में देनी पड़ी । परिणामस्वरूप डिग्री मिलने के बाद वह डिग्री की क्रियान्विति के लिये भी न्यायालय में नहीं आया । इस प्रकार अपने व्यवसायिक जीवन के आरम्भ में ही मैंने जो सबक सीखा मैं उसे अपने जीवन भर नहीं भूलना चाहूंगा । मेरे विचार से ऐसी न्याय प्रणाली बहिस्कार के योग्य है, क्यों कि केवल अत्यधिक व्यय करने के उपरान्त ही यह जनसाधारण को सुरक्षा दे सकती है, बड़ी कम्पनियां या धनी व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वे इतना व्यय कर सकते हैं । हमें न्याय को सुलभ बनाने के लिये अभी बहुत कार्य करना है । यदि न्याय प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़े तो वह एसी प्रणाली को कभी अच्छा नहीं समझेगा और न यह प्रणाली अधिक समय तक चल सकती है । मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ और आज भी यह बात दुहराना चाहता हूं कि हम यह लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि पंचायत स्तर पर न्याय का कार्य करने में समर्थ व्यक्तियों के प्रतिनिधि न्यायालयों की स्थापना करें और अधिक संख्या में छोटे छोटे मुकदमों के निर्णय का कार्य उन्हें दिया जाय । इन छोटे छोटे मुकदमों को सामान्य न्यायालयों में भेजने में बहुत व्यय होता है । हमें पंचायतों को अधिक प्रतिनिध्यात्मक और समर्थ बनाना चाहिये । इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि हमारी पद्धति ऐसी नहीं है कि पंचायतों में व्यवसाय कुशल व्यक्ति आ सकें । निसंदेह ऐसे व्यवसाय कुशल व्यक्तियों के अलावा हमें अन्य लोगों को भी शामिल करना होगा तथापि विधि व्यवसायी व्यक्तियों के लिये मतदाताओं को संतुष्ट रखना आवश्यक नहीं होगा । एक कुशल विधि व्यवसायी व्यक्ति उनको संतुष्ट रखते हुए भी अपना कार्य कर सकता है । किसी भी देश में एक सामान्य न्यायालय में कम व्यय में न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है । उदाहरण के लिये ब्रिटिश न्याय पद्धति को लीजिये। गरीब व्यक्तियों को वहां कम व्यय में केवल इस कारण न्याय मिलता है कि वहां गरीबों को विधि सम्बन्धी सहायता दी जाती है । अमेरिका में भी यही स्थिति है । केवल उन देशों में जहां पंचायत न्यायालय हैं— आप भले ही उन्हें जन-न्यायालय या किसी अन्य नाम से पुकारें— और जहां उन न्यायालयों में अर्हताप्राप्त वकील कार्य करते हैं केवल वे न्यायालय कम खर्च में शीघ्र न्याय करने में समर्थ हो सके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने स्वयं देखा है कि वहां एक मुकदमा २ महीने से अधिक समय नहीं लेता। वहां व्यवसायी वकील होने के कारण तथ्यों की जांच न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्भयता और निष्पक्षता से हो सकती है तथा सब को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सकता है। सामान्य और छोटे मुकदमों के लिये हमें इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिये । हां बड़े और महत्वपूर्ण मकदमों के लिये हमारी न्याय-पद्धति उपयुक्त है । हमारी न्यायिक परम्परायें और न्यायाधीश निर्भय और योग्य हैं तथा वे कई बार अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। केरल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में पिछले दो वर्षों में जो गड़बड़ी और तनाव रहा उसमें केवल न्यायपालिका ने ही अविचलित रह कर संतुलन कायम रखा तथा विझि पक्ष को संतुष्ट करने का प्रयत्न किये बिना सरकार और संविधान को निष्पक्षता और निर्भयता से कायम रखा । इस प्रकरा हमारी न्यायपालिका ने एक ऊंची परम्परा बनाये रखी है और जनता का विश्वास प्राप्त किया है ।

पंचायतों पर जनता का विश्वास क्यों नहीं हैं, जब मैं पंचायतों के बारे में बातें करता हूं तो श्री पांडे और श्री त्यागी असहमत दीखते हैं, इसका कारण यह है कि उन्होंने कोई ऊंचो परम्परा कायम नहीं की है । वस्तुतः अच्छे, निर्भीक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय से ही हमारे न्यायालयों की वर्तमान परम्परा बनी है । हमारी जनता पंचायतों के स्थान में न्यायालयों में जाना क्यों पसन्द करती है । क्योंकि व जानते हैं कि उनके प्रति अन्याय नहीं होगा भले ही वे मुकदमा हार जांय ।

अतः मैं सभा की इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें यथाशीघ्र यह प्रयत्न करना चाहिये कि जनता को न्याय शीघ्र और कम खर्च में प्राप्त हो । यह कार्य एक दो वर्ष में नहीं हो सकता । न्याय प्रशासन मुख्यतः राज्यों का विषय है । हमारे संसाधन अधिक नहीं हैं तथा हमारी मांगें इतनी अधिक हैं कि न्याय की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता जितना कि हम एक इस्पात या उर्वरक के कारखाने को दे सकते हैं । इसकी पूर्ववर्तिता अंत में आती है । अतः इसके लिये आवश्यक धनराशि तत्काल प्राप्त नहीं हो सकती है । तथापि हमें आशा करनी चाहिये कि थोड़ी भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होने पर हम इस दिशा में कुछ कार्य करने में समर्थ होंगे ।

अब मैं विधि आयोग के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के प्रश्न को लेता हूं । विधि आयोग दुहरी क्षमता में कार्य कर रहा है । एक तो यह वर्तमान विधियों और संविधियों के संशोधन तथा नयी विधियों की सिफारिश के निमित्त स्थायी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है । दूसरे इसने हमारी न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर परिश्रमपूर्वक एक भारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इसमें न्याय प्रशासन के सुधार, जिसमें दीवानी तथा फौजदारी के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा कई अन्य विषयों के सम्बन्ध में सिफारिश हैं ।

जहां तक वर्तमान संविधियों के संशोधन का कार्य है, यह कार्य बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है । उनका दूसरा प्रतिवेदन बिक्री कर के संबंध में था जिसे १९५६ के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया । उनका तीसरा प्रतिवेदन परिसीमन अधिनियम के सम्बन्ध में था, इस सम्बन्ध में मसविदा तैयार कर लिया गया है और वह समिति के विचाराधीन है । मेरा व्यक्तिगत मत यह है तथा मेरे विचार से मेरे वकील मित्र भी इस बात से सहमत होंगे कि परिसीमन विधान में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन करना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि यह विधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है । मेरे विचार से उसमें बुनियादी रूप से परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैंने परिसीमन विधान को नया रूप देने वाले विधान को प्रस्तुत करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है । तथापि विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

[श्री अ० कु० सेन]

चौथे प्रतिवेदन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि उच्च न्यायालय की पृथक बेंचे समस्त राज्य में रहे। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। इस सम्बन्ध में न तो तत्काल निर्णय किया जा सकता है और न सभी व्यक्ति एक मत हो सकते हैं। यह विवादास्पद विषय है, यदि आप एक स्थान पर बेंच स्थापित करेंगे तो दूसरे स्थानों के लोग शोरगुल मचायेंगे इससे शत्रुता पैदा होगी। यदि आप बनारस में एक बेंच स्थापित करेंगे तो देहरादून वाले भी इसकी मांग करेंगे। वस्तुतः यह समस्या केवल राज्यों में है और वास्तव में बहुत कठिन है मेरे विचार से इस प्रकार स्थानीय शत्रुता को रोकने के लिये उसका एक ही स्थान पर रहना ठीक है। केवल उन राज्यों को छोड़ कर जहां एक से अधिक बेंचों की आवश्यकता है—उदाहरणार्थ वर्तमान बम्बई राज्य में नागपुर और बम्बई में उच्च न्यायालय की बेंचे हैं। अन्य स्थानों में अधिक बेंचों की स्थापना करना कठिन है। इसलिये इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब हो सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इससे अगला प्रतिवेदन ब्रिटिश संविधियों के लागू करने के सम्बन्ध में है। हमने इस प्रतिवेदन को समस्त राज्यों में भेज दिया है। तथापि हमें उनके निश्चित निर्णय प्राप्त नहीं हो सके हैं। वस्तुतः कई बातों के सम्बन्ध में यही स्थिति है। कई विषयों पर हमने विधियां बना ली हैं। विधि आयोग का यह कार्य स्थायी प्रकार का है। संविधियों का क्रमशः संशोधन किया जा रहा है और उन पर निश्चित निर्णय हो जाने के पश्चात्, उनकी नयी विधियां बनाने के हेतु उन्हें संसद् में प्रस्तुत किया जाता है।

मुख्य प्रतिवेदन न्याय प्रशासन में सुधार के सम्बन्ध में है। एक मुख्य सिफारिश अखिल भारतीय विधि जीवी संघ की स्थापना के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में विधि पुरस्थापित हो चुकी है और प्रवर समिति उसका अध्ययन कर रही है। समिति अपना कार्य समाप्त कर चुकी है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक यह विधान बन जायेगा।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के उद्देश्य से उन्हें विधि आयोग के पास मसविदा बनाने के लिये भेजा गया है। मसविदा तैयार होने के पश्चात् उन पर पुनः विचार किया जायेगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पिछले वर्ष पर्याप्त चर्चा की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियां निष्पक्ष रूप से नहीं की जाती हैं अपितु कई अन्य हितों को ध्यान में रख कर की जाती हैं। जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रश्न है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को नाम की सिफारिश करते हैं। राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श से वह नाम स्वीकार कर लेता है या दूसरे नाम की सिफारिश करता है। दूसरा नाम बहुत कम भेजा जाता है। यदि राज्यपाल दूसरे नाम की सिफारिश करता है तो वे दोनों नाम गृह-मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं।

श्री त्यागी : यह परम्परा गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधि मन्त्रालय से परामर्श लिया जाना चाहिये।

†अ० कु० सेन : विधि मंत्रालय ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र में एक पृथक् न्याय मन्त्रालय की स्थापना की जाय। वह मामला अभी विचाराधीन है। यह बात प्रधान मन्त्री के हाथ में है। श्री आचार ने कहा है कि कई राज्यों में न्याय प्रशासन एक दम ठप्प पड़ा है। वस्तुतः यह विषय

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के अन्तर्गत आता है। उचित संख्या में मुंसिफों की नियुक्ति करने का काम राज्यों का है। मुझे दुख है कि कुछ राज्यों में मुंसिफों की संख्या कम है। वस्तुतः आज के युग में न्याय को अन्तिम पूर्व-वर्तिता दी गई है क्योंकि देश के लिये उर्वरकों के कारखाने या अधिक संचार साधन उपस्थित करना अधिक आवश्यक है। हमने यह सिफारिश की है कि न्यायालय में मामलों का निपटारा करने के लिये न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिये। यह बात मुंसिफ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों दोनों के लिये लागू होती है। बात यह है कि काम के बढ़ने पर, जब तक न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मुकदमों का निर्णय शीघ्रता से नहीं हो सकता है। यह भी सत्य है कि संविधान बनने और कई विशेष, आधारभूत संस्थाओं आदि की स्थापना के पश्चात् से मुकदमों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से सभी न्यायालयों में मुकदमों की संख्या बढ़ी है। अतः न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। ऐसा न होने पर लोगों के अपने मुकदमों के निर्णय के लिये १०, १२ या १५ वर्ष तक ठहरना पड़ेगा। कुछ दिन पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० सिद्धांत ने मुझे यह बताया था कि एक प्राफेसर को निर्दोष कलकत्ता विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। उसने अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और उसकी अवस्था बहुत दयनीय हो गई। केवल उसकी मृत्यु के उपरान्त उसको डिग्री प्राप्त हुई। इस पद्धति पर इससे कटु और कोई आलोचना नहीं हो सकती है कि एक व्यक्ति को उसके जीवनकाल तक उसके मुकदमों का निर्णाय प्राप्त न हो। मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि हमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की आवश्यकता है और प्रत्येक न्यायालय में मैं कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सफल भी हुआ हूं। मुझे इसका गर्व है तथा मैं इसके लिये प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक स्तर में मेरे प्रस्तावों का समर्थन किया। परिणामस्वरूप पहिली बार १९५७ के पश्चात् इलाहाबाद, पंजात्र, बम्बई, कलकत्ता इत्यादि उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई इससे निलम्बित मुकदमों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है।

चुनावों के सम्बन्ध में मैं श्री साधन गुप्त के आरोपों का उत्तर देता हूं। अभी हमारे दिमाग में केरल के चुनावों की याद ताजा है। सम्भव है चुनाव प्रणाली और चुनाव विधि के सम्बन्ध में हमारा रवैया वही हो जो केरल के चुनावों के सम्बन्ध में अपनाया गया था। यदि कोई व्यक्ति अपनी हार या जीत के लिये सभी बातों को दोषी ठहराये और अपना क्षोभ प्रगट करे। तो भी मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। तथापि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि केरल के चुनावों में गर्मी और तनाव के रहते हुए भी जो चीज निर्विवाद रूप से सिद्ध हुई है वह यह है कि हमारी चुनाव व्यवस्था और चुनाव विधि पूर्ण रूपेण प्रभावशाली और समर्थ है। मैंने चुनाव आरोप की निष्पक्षता के प्रति कोई आरोप नहीं सुना है। केरल की स्थिति को देखते हुए जो घटनायें वहां हुईं वे नगण्य थीं। मेरे विचार से वहां चुनाव के पूर्व हुई घटनाओं की संख्या, चुनाव के दिनों में हुई घटनाओं की संख्या से कहीं अधिक है।

मेरे विचार से समस्त विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारी चुनाव विधि व चुनाव व्यवस्था आदर्श है। आज अफ्रीका और एशिया के कई देश उसका अनुकरण कर रहे हैं। अभी हाल हमने अपने उपमुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव विधि बनाने और अपना अनुभव बताने को विदेश भेजा है। यह एक सामान्य बात नहीं है कि मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या हर पांचवे वर्ष वयस्कता के आधार पर राज्य विधान सभाओं और संसद् के लिये अपने प्रतिनिधि चुने। विश्व में कहीं भी मत-दाताओं की इतनी बड़ी संख्या नहीं है, जहां सामान्य चुनावों के आधार पर स्वतन्त्र निर्वाचन होते हैं। चुनाव विधियों का उल्लंघन किये बिना प्रत्येक पक्ष दूसरे का विरोध कर सकता है। कदाचारों को रोकने वाली व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाता है। कदाचार के आधार पर हुए कई चुनावों को रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये डा० परमार के निर्वाचन को कदाचार के टैक्नीकल

[श्री अ० कु० सेन]

आधार पर रद्द कर दिया गया। डा० परमार यह नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति ने नाम निर्देश पत्र दाखिल किया वह टैक्नीकल रूप से सहकारी कर्मचारी था। केवल इस आधार पर उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं वे उन्हें अगले तीन वर्षों के लिये चुनाव लड़ने के लिये अनर्हत ठहरा दिया गया। मेरे विचार से आपको ऐसी मिसाल किसी अन्य देश में नहीं मिल सकती है। चुनाव में निष्पक्षता बनाये रखने के लिये हम कदाचार से सम्बन्धित टैक्नीकल गल्तियों पर भी कठोरता से कदम उठाते हैं।

जनता पर दबाव डालने के सम्बन्ध में भी हमारी विधि में पर्याप्त और कठोर व्यवस्था है। इसका उल्लेख धारा १२३ की उप-धारा ३ में है। यदि कोई इससे अच्छी व्यवस्था का सुझाव दे सकता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मेरे विचार से उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही को जानी चाहिये जिस पर धार्मिक दबाव डाला गया है। यहां चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्यायाधिकरण ही निर्णय कर सकता है। हमने इस देश में कदाचारों के अस्तित्व और अनस्तित्व के निर्णय का अधिकार न्यायाधिकरण को दिया हुआ है हमने इस बात का निर्णय करने का अधिकार कि किसी विशेष निर्वाचन में कदाचार हुअ था या नहीं अपने पास नहीं रखा है क्योंकि हम राजनैतिक दलबन्दियों में विभाजित हैं। यदि माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति के चुनाव में धार्मिक दबाव डाला गया तो वे उचित कार्यवाही कर सकते हैं। हमारे संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी मतदाता पर किसी प्रकार का धार्मिक बन्धन नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह संविधान के प्रतिकूल कार्य करता है। यदि कोई ऐसा उदाहरण है तो दीवानी या फौजदारी न्यायालय में इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को स्वतन्त्रतापूर्वक मत देने सम्बन्धी मेरे बुनियादी अधिकार पर हस्तक्षेप करता है तो वह अनुच्छेद १९ के अधीन मेरे अधिकार पर हस्तक्षेप करता है। इसके विरुद्ध फौजदारी विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में धारा १२३ में कहा गया है कि यदि जाति, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर अथवा धार्मिक चिन्हों या धर्म के नाम पर मत मांगा गया हो या मत देने से रोकने की अपील की गई हो तो इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। भले ही ऐसी अपील कोई साम्यवादी करे या कोई कैथोलिक सम्प्रदाय का व्यक्ति करे विधि सब पर समान रूप से, निष्पक्षता से तथा उतनी ही कठोरता पूर्वक लागू होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

धर्म तथा जाति के आधार पर इसमें कोई भेद नहीं किया जायेगा। ऐसा चुनाव रद्द हो सकता है। तथापि यह निर्णय करना न्यायालयों और न्यायाधिकरण के हाथ में है। हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। यदि चुनाव के बाद भी, इस आधार पर कि उसने विशेष व्यक्ति को मतदान दिया, उसके बुनियादो अधिकारों पर आघात किया जाता है तो उसके विरुद्ध फौजादारी और दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। यदि ऐसा कोई मामला न्यायालय के सम्मुख नहीं लाया गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि उनके पास अपने आरोप को सिद्ध करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा आरोप सिद्ध करना कठिन होगा। क्योंकि उस पादरी के विरुद्ध उस समुदाय का कोई व्यक्ति गवाही नहीं देगा। तथापि उस व्यक्ति को दण्ड देने के लिये इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव के मामले में किसी प्रकार का धार्मिक दबाव उचित नहीं है। हम, विशेषतः भारत के उस भाग में, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसका कुप्रभाव देख चुके हैं। इसके लिये हमें अपनी भूमि का बटवारा तक करना पड़ा।

मुझे दुख है कि समाचार-पत्रों के प्रचार के कारण साम्यवादियों को कुछ कम मत मिले। जब तक समाचार-पत्र रहेंगे प्रचार जारी रहेगा।

अब मैं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के प्रश्न को लेता हूं। यह संविधान का निदेशक सिद्धान्त है। इस मामले पर मतभेद की कोई गुंजायश नहीं है। विधि रूप से इसे लगभग सभी राज्यों में और वास्तविक रूप से अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया गया है। प्रश्न इसे यथाशीघ्र लागू करने का है। यह एक दम लागू नहीं हो सकता है। हमें काफी न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करता होगा। क्योंकि अभी तक एक ही मजिस्ट्रेट कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का ही कार्य करता था। तथापि नये अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसा मसला है जिस पर सभी पक्ष सहमत हैं तथा यह संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में से एक है।

जहां तक मतदाताओं के फोटोग्राफों का सम्बन्ध है, मैं उससे सहमत हूं। मेरे नगर में वेष बदल कर मत देने का काम विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका है। प्रत्येक समुदाय इस कार्य में सिद्धहस्त होने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मतदान दिखावा मात्र रह जाता है। कई जिम्मेदार साम्यवादी सदस्यों ने भी मुझ से यह कहा है कि यदि घने बसे बसे औद्योगिक क्षेत्रों में इस बात पर रोक लगाई जायेगी तो उन्हें प्रसन्नता होगी।

माननीय सदस्य ने कहा है कि एक लाख व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। हमारा कारण यह है कि यदि फोटोग्राफरों के रात दिन जाने पर भी वह व्यक्ति वहा नहीं मिलता है तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल मतदान के समय दूसरों का वेष रख कर प्रगट होंगे। यह कैसे सम्भव है कि वे व्यक्ति फोटोग्राफरों को न मिलें। मुझे इस सम्बन्ध में पहिले भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के रूप में हमें ज्ञात होता है कि अमुक मकान में ३० व्यक्ति हैं। फोटोग्राफर वहां जाता है लेकिन प्रत्येक बार उसे १० या १५ व्यक्ति मिलते हैं। अन्य १५ व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया। यह कहना गलत है उनसे केवल यह कहा गया है कि वे मतदान करते समय अपने परिचय पत्र ले जायं।

उस व्यक्ति को न मिटने वाली स्याही भी लगानी होती थी अपने माता-पिताओं का नाम भी बताना होता था अब केवल परिचय पत्र दिखाना होगा। एक उत्तरदायी साम्यवादी कांग्रेसी सदस्य ने यह बताया था कि वे इण्डोनेशिया में चुनावों के वक्त उपस्थित थे तथा उन्होंने परिचय-पत्र प्रणाली की उपयोगिता देख कर अचम्भा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के पास परिचय पत्र होने के कारण मतदान पत्र परिचय पत्रों के अनुसार चुनाव के एक दिन पूर्व ही वितरित कर दिये गये। मतदाता प्रातःकाल मतदान पत्र और परिचय पत्र लेकर आया और अपना निशान बना दिया। मेरे विचार से इस प्रणाली को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है।

लोगों को अपना फोटो खिंचाने और उसकी एक प्रति लेने में क्या आपत्ति हो रही है हम उन्हें उनके फोटो की एक प्रति मुफ्त में दे रहे हैं। मैंने स्वयं फोटो लेते हुए देखा है। मुझ से कहा गया कि स्त्रियां फोटो खिंचवाने में आपत्ति करती हैं। मैं इस बात का पता लगाने के लिये कालीघाट के मध्यम-श्रेणी वाले मुहल्ले में गया। वहां तीन या चार फोटोग्राफर और मुख्य चुनाव आयुक्त गये हुए थे। मैं वहां छद्मवेष में गया जिससे यह न कहा जाय कि लोग मुझे देखने को एकत्र हो गये। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि स्त्रियां अच्छी से अच्छी साड़ियां पहिन कर फोटो खिंचवाने चली आ रही थीं। मुसलमान स्त्रियों की फोटो स्त्री फोटोग्राफरों से खिंचवाई जा रही थीं। मेरे विचार से स्त्रियों को स्त्री फोटोग्राफरों द्वारा फोटो खिंचवाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अतः यह आरोप लगाना गलत है कि लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। मेरे विचार से सूची में नामांकित सही व्यक्तियों का पता लगाने का यह सर्वोत्तम तरीका है।

[अ० कु० सेन]

जहां तक कलकत्ते के उस विशेष चुनाव क्षेत्र के चुनाव का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरी मुख्य आयुक्त से बातचीत हुई थी। विलम्ब फोटो लिये जाने के कारण नहीं हो रहा है। विलम्ब का कारण यह है कि फोटो लिये जाने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि ४० प्रतिशत मतदाता सूची गलत है। वे लोग या तो मर गये हैं या बाहर चले गये हैं या उनका अस्तित्व ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि घनी बस्तियों में प्रत्येक मतदाता का फोटो लेना अनिवार्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि उन्हें इन गलतियों को देख कर आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात् प्रत्येक घर की जांच के आधार पर नयी मतदाता सूची बनाने के आदेश दिये गये।

अब मैं गरीबों को विधि-सम्बन्धी सहायता देने का प्रश्न लेता हूं। इस सम्बन्ध में पिछले विधि मंत्रियों के सम्बन्ध में यह दृढ़ निश्चय किया गया था कि हमें गरीबों को विधि-सम्बन्धी सहायता देने की किसी अच्छी प्रणाली को क्रियान्वित करना चाहिये। तत्पश्चात् इस मामले की जांच की गई और कई योजनायें बनायी गईं। अब हम एक योजना बना रहे हैं जिसे सभी राज्यों में परिचालित किया जायेगा। इसी बीच राज्य भी हमें अपने प्रस्ताव भेजेंगे। केरल के अलावा किसी राज्य ने भी हमें अपने प्रस्ताव नहीं भेजे। तथापि मामले की सन्तोषजनक प्रगति हो रही है और यह योजना शीघ्र ही पूरी हो जायगी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि इस योजना में व्यय होगा और यह मुख्यतः राज्यों का क्षेत्र है। इस मामले पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि यह योजना शीघ्र ही तैयार हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
६९	विधि मन्त्रालय	२५,५७,००० रुपये
७०	निर्वाचन	८८,९२,००० रुपये

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १५ मार्च १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १४ मार्च, १९६०
२४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२६९५—२७१७
तारांकित प्रश्न संख्या	
८१६ केन्द्रीय सूचना सेवा . .	२६९५—९८
८१८ छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग . . .	२६९८—९९
८२० सहायक उद्योग	२६९९—२७०१
८२१ टिन प्लेटें . . .	२७०१—०३
८२२ रेडियो का निर्यात . .	२७०३—०४
८२५ स्कूटरों की बिक्री . .	२७०४—०५
८२६ बर्मा में भारतीय व्यापारी	२७०५—०७
८३० पटसन का मूल्य .	२७०७—०९
८३४ मध्यम तथा लघु उर्वरक कारखाने . .	२७०९—१२
८३५ वायदा बाजार आयोग .	२७१२—१४
८३७ मैसूर में मोटर साइकल फैक्टरी	२७१५
८३८ प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्यात .	२७१५—१६
८३९ रेयन तथा कृत्रिम फाइबर का निर्यात	२७१६—१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२७१७
तारांकित प्रश्न संख्या	
८२३ कपड़ा मिलों का भविष्य निधि में अंशदान	२७१७
८२४ भारतीय राजनयिक मिशन	२७१७—१८
८२६ अम्बर चरखा . . .	२७१८
८२७ राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्	२७१८
८२८ पंजाब में निष्कान्त भूमि .	१७१८—१९
८३१ दिल्ली परिवहन उपक्रम .	२७१९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८३२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२७१६
८३३	छपाई के कागज़ का सम्भरण	२७२०
८३६	दक्षिण भारत में सूत के भाव	२७२०-२१
८४०	अनिवार्य बचत योजना	२७२१
८४१	छोटे पैमाने के उद्योग	२७२१-२२
८४२	कलकत्ते के चीनियों द्वारा चीनी आक्रमण की निन्दा	२७२२
८४३	जूट की वस्तुयें	२७२२
८४४	दिल्ली में जनता होटल का निर्माण	२७२३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०५५	श्रृङ्गार सामग्री का आयात	२७२३
१०५६	बेरोज़गार ग्रेजुएट	२७२४
१०५७	औषध-भावित चाय	२७२४
१०५८	शाहदरा के निकट कारखाने में विस्फोट	२७२४
१०५९	आन्ध्र प्रदेश में कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग	२७२५
१०६०	रूस को तम्बाकू का निर्यात	२७२५
१०६१	पंजाब में हाथ के बने कागज़ का उत्पादन	२७२५-२६
१०६२	कानपुर में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	२७२६
१०६३	दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति	२७२६-२७
१०६४	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण	२७२७-२८
१०६५	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता	२७२८
१०६६	डी० डी० टी० कारखानों के लिये क्लोरीन	२७२८—३०
१०६७	पीतल और तांबे की चादरों का भाव	२७३०
१०६८	कपास का आयात	२७३०
१०६९	"चिड़ियाघर की सैर" और "विनम्रता" नामक फिल्म	२७३०-३१
१०७०	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास	२७३१
१०७१	कांच उद्योग का सर्वेक्षण	२७३१-३२
१०७२	कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल	२७३२
१०७३	भारत-तिब्बत व्यापार	२७३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०७४	टैक्सटाइल बॉबिन एनेमल	२७३२--३३
१०७५	सेल्युलोज़ .	२७३३--३४
१०७६	गन्धक का आयात	२७३४--३६
१०७७	फीनोल और क्रीसोल	२७३६--३७
१०७८	एमल्सीफायर	२७३७--३८
१०७९	हाथ की छपाई उद्योग .	२७३८--३९
१०८०	कर्मभारित कर्मचारी .	२७३९
१०८१	हिमाचल प्रदेश में गन्दी बस्तियां हटाना	२७३९
१०८२	पोटाशियम परमेंगनेट	२७४०
१०८३	मशीनों का निर्माण .	२७४०
१०८४	बम्बई के लिये भारी उद्योग	२७४०
१०८५	लौह-अयस्क का निर्यात .	२७४०--४१
१०८६	रंगों और रसायनों का आयात	२७४१
१०८७	दलाई लामा . . .	२७४२
१०८८	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अभिलेख (रिकार्ड) .	२७४२
१०८९	अमरीकी व्यापार शिष्टमण्डल . .	२७४३
१०९०	नेशनल न्यूज़प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स, लिमिटेड, नेपानगर .	२७४३
१०९१	आकाशवाणी पर "महिलाओं के लिये कार्यक्रम"	२७४३
१०९२	पंजाब में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	२७४४
१०९३	सूती कपड़ा	२७४४
१०९४	बांस . . .	२७४४
१०९५	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति .	२७४५
१०९६	लाजपत राय मार्केट, दिल्ली	२७४५
१०९७	टायरों का आयात . .	२७४५--४६
१०९८	आकाशवाणी पर वार्ताओं के लिये फीस	२७४६
१०९९	सिल्हट के लिये वीसा	२७४७
११००	नेफ़ा के कार्यालयों का स्थानान्तरण .	२७४७
११०१	उज्जैन में सहकारी औद्योगिक बस्ती	२७४८
११०२	चमड़ा कारखानों में बचा-खुचा सामान ,	२७४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

११०३	भारत में विदेशियों के चाय बागान . . .	२७४८
११०४	पुनर्वास मन्त्रालय के अधीन कार्यालयों के कर्मचारी .	२७४९
११०५	छावनी बोर्डों के कर्मचारी	२७४९

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २७४९—५५

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) बम्बई के राज्यपाल द्वारा कमाण्डर के एम० नानावती को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड का निलम्बन।	सूचनायें सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, गोरे और हेम बरुआ द्वारा दी गईं।
(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति का त्यागपत्र,	सूचना श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दी गई।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७५७—५८

(१) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत २६ जून, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपरोक्त समवाय के कार्य की समीक्षा।

(दो) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८—५९ के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० २२०।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दो) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २७४।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा ३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत असम के पृथक् क्षेत्रों के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९४२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ जनवरी, १९६० के असम गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जेयूडी २६/५९ की एक प्रति।

राज्य सभा से सन्देश . २७५८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त दो सन्देशों की सूचना दी कि राज्य सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(एक) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०, जो लोक-सभा द्वारा ७ मार्च, १९६० को पारित किया गया।

(दो) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०, जो लोक-सभा द्वारा ८ मार्च, १९६० को पारित किया गया।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २७५८

सचिव ने चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और ८ फरवरी, १९६० को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(एक) विनियोग विधेयक, १९६०।

(दो) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६०। २७५९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री मूलचन्द जैन ने १७ फरवरी, १९६० को सेंट स्टीफ़न्स कालेज के होस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म-हत्या की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें . . . . . २७६०—९२

विधि मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांग संख्या ६९ और ७० पर चर्चा हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

मंगलवार, १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।